खण्ड-211, अंक-3
शुक्रवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(11 मार्च, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 211 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ११ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६७

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीवरण अगवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश कुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री

ग़यूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेव सिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारावेती, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री

नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री

राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखनसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धा देवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री

सजीवनलाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहर बख्श, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ११ मार्च, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लच्छीपुर, जिला वाराणसी में कुये से लाशें निकालने में विलम्ब होना

**१—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) तथा श्री राजनारायण (जिला वाराणसी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल ही में ग्राम लच्छीपुर (वाराणसी) में एक कुयें में कुछ मजदूरों के दब कर मर जाने की जो दुर्घटना हुई है उसकी लाशें कब निकाली गईं ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—लाशें १ मार्च, १९६० को निकाली गयीं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसमें माननीय लक्ष्मणराव कदम और हमारा भी प्रश्न मिला दिया गया है। मैंने अपने प्रश्न में दिया था गांव न्यायपुरा, पोस्ट धनसरा, क्या यह उसी प्रश्न से सम्बन्धित है ?

श्री उपाध्यक्ष—हां, यही समझकर मिलाया गया है, मेरा ख्याल है ।

श्री जयराम वर्मा—इसमें लच्छीपुर लिखा हुआ है । यह गांव लुच्चेपुर है या लच्छीपुर है, भटौली के पास गांव है।

श्री राजनारायण—यानी २० तारीख को कुआं खोदते समय जो वाराणसी में हरौवा के पास आदमी दब गये थे, उन्हीं से सम्बन्धित है ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि २० फरवरी को जो आदमी वहां पर दबे उनको निकालने में १ मार्च तक की देरी क्यों हुई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—वह लोग जो कुएं के अन्दर दबे थे करीब २५ फिट मिटटी के नीचे दब गये और कुयें में चारों तरफ से मिट्टी आ गयी जो ज्यादातर रेतीली थी और जिसमें पानी भी मिला हुआ था। काफी कोशिश की गयी निकालने की और परिश्रम करने के बाद ये निकल सके, जिसमें कि कई रोज तक काम किया गया एक दूसरा रास्ता बनाकर निकालने की कोशिश भी की गई । मिट्टी ज्यादा थी। सौभाग्य से वाराणसी जाने का मौका मिला और मैंने डी० एम० से पूछा तो उन्होंने बताया कि काम ज्यादा जल्दी हो ही नहीं सका, जितनी मिट्टी निकालते थे उतनी ही और आ जाती थी।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को जानकारी है कि जब सही तरीके से काम किया जाना आरम्भ हुआ, उसके २४ घंटे के अन्दर ही लाश निकल गयीं ?

श्री उपाध्यक्ष—सही तरीके से क्या मतलब है ?

श्री राजनारायण—२० तारीख को आदमी दबे, तो जिस समय दबे थे, मुश्किल से ७ हाथ मिट्टी थी। सरकारी कर्मचारियों ने निकालने के बजाय पटवा दिया।

श्री उपाध्यक्ष—आप यह पूछिये कि सरकारी कर्मचारियों ने कब कब काम शुरू किया।

श्री राजनारायण—जब २० तारीख को वह आदमी दबे तो क्या यह सही है कि दमकल के कर्मचारियों ने कुएं के अन्दर जाने से इनकार कर दिया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—सरकार कृपया यह बतायेगी कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि बगल से दूसरी जगह से खोद कर निकालना पड़ा तो बगल से खोद कर निकालने का प्रयास किस तारीख को प्रारम्भ हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह तो श्रीमन्, ३–४ दिन के बाद करना पड़ा।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त मजदूरों के वारिसों को मुआवजा दिलाने की क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसके लिये डी० एम० को कहा गया है। डी० एम० जो सिफारिश करेंगे उस पर विचार होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय मंत्री जी ने बताया कि ७०, ७५ फीट गहरे में से लाशें निकाली गई। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कितना गहरा वाटर लेविल है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—२५ फीट के करीब जमीन में वह दबी हुई थी और जो जमीन दबी हुई थी वह काफी ज्यादा थी। पानी का लेविल ४०, ४५ फीट के करीब होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इस पर ५ हजार रुपया व्यय होगा। तो अब इस पर कितना रुपया व्यय हो चुका है, ५ हजार ही या उससे ज्यादा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उसका हिसाब अभी नहीं आया।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि जो दूसरा रास्ता बनाया गया वह किस तारीख को और क्या उसमें किसी मशीन की आवश्यकता पड़ी थी या वहां के लोगों ने, किसानों ने मिल करके, उस रास्ते को बना दिया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैंने कह दिया कि दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश की गयी।

श्री उपाध्यक्ष---वह पूछते हैं कि किसने बनाया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जो लोग वहां पर थे, श्रीमन्, उन्होंने बनाया। अब किस आदमी ने किया, यह कहना मुश्किल है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---वे कौन-कौन मजदूर थे जिनकी दबने से अकाल-मृत्यु हो गयी।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसका उत्तर मैं उसी रोज दे चुका था कि जो लोग कुआं खोद रहे थे उन्हीं में से मरे।

श्री उपाध्यक्ष---वे नाम और उनका पता पूछना चाहते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उनका नाम इस समय मालूम नहीं है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या यह सत्य है कि कुआं जिस ढंग से खोदा जा रहा था वह डिफेक्टिव था और यदि यह सत्य है तो क्या मंत्री जी जांच करा कर कोई कुआं खुदवाने की नयी प्रणाली की रिसर्च करावेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---यह लिखकर भेज दीजियेगा।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैं राजनारायण, स्वतः उस स्थान पर गया हुआ था और वहां की सारी घटना की जानकारी करके हमने सारी रपट की कि कौन-कौन लोग मरे और किन-किन के परिवार में कितने-कितने और कौन-कौन आदमी हैं, सब लिखकर गृहमंत्री जी को दे दी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, राजनारायण जी से मुझे तो कोई प्रकाश नहीं मिला है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या यह सही है कि पी० डब्लू० डी० के कुलियों के प्रयत्न से वह लाशें निकाली गईं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पहले ४ दिन में जब जमीन खोदने में असमर्थता रही तो उसके बाद ४ दिन तक प्रतीक्षा होती रही और कोई प्रयास नहीं किया गया उस समय तक जब तक कि दूसरा रास्ता निकाला गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---प्रतीक्षा तो नहीं की गयी। शुरू से ही कोशिश की गयी और जब पहले तरीके में कामयाब नहीं हुए तो दूसरा तरीका अपनाया गया और पैसा मांगा गया। उसी वक्त यहां से उसको भेजा गया। वास्तव में कामयाबी नहीं हो सकी, यही दिक्कत है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या यह सही है कि जब सरकार का पहला तरीका कारगर नहीं हो सका और दमकल का इस्तेमाल नहीं हो सका तो तीन, चार दिन तक काम नहीं हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष---वह तो कह ही रहे हैं कि प्रयत्न जारी रहा।

श्री रामस्वरूप वर्मा---माननीय मंत्री उसको स्पष्ट कर दें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैंने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि जब दमकल काम नहीं कर सका तो यहां से दूसरे तरीके के लिये पांच हजार रुपया जैसे ही मांगा गया भेजा गया। जो प्राइवेट पार्टी लगायी गयी वह भी कामयाब नहीं हुई। फिर पी० डब्ल्यू० डी० ने काम किया। सबने मिलकर काम किया उससे सफलता मिली।

पूर्वी जिलों में ओलावृष्टि से क्षति

**२---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर), श्री उग्रसेन, श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती), श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) तथा श्री ऊदल---क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वी भाग में विशेषत: जौनपुर, आजमगढ़, बलिया आदि में ६-३-६० को भीषण आंधी, पानी एवं ओला-वृष्टि से रबी की फसल बर्बाद हुई है?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों में मार्च ६, १९६०,को तेज हवा के साथ कुछ पानी बरसा व कहीं-कहीं ओले पड़े जिससे रबी की फसल को सरसरी जांच के फलस्वरूप कहीं कम कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है जिसकी सही तौर पर जांच पड़ताल की जा रही है।"

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या न्याय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किन-किन जिलों में ज्यादा ओले और बारिश से क्षति हुई है और क्या उनमें से कुछ स्थानों में जानें भी गई हैं, पशु और आदमियों की ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---आजमगढ़ में ओले पड़े हैं, नुकसान हुआ है। जौनपुर के एक हिस्से में और बलिया की एक तहसील के थोड़े हिस्से में, बस्ती के जिले में और वाराणसी में नुकसान हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---कितनी जानें गई और कितने पशु मरे, इसकी सूचना नहीं बताई गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन---बस्ती जिले से रिपोर्ट आई है कि चार आदमी मरे हैं और डेढ़ सौ के करीब जानवर।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन जिलों में ६ तारीख को कितने इंच वर्षा हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कहीं पौन इंच, कहीं दो इंच, एक इंच, आध इंच, मुख्तलिफ जिलों में इस तरह से बारिश हुई। आजमगढ़ की लालगंज तहसील के एक हिस्से में दो इंच के लगभग बारिश हुई।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, कल आपको याद होगा कि मंत्री जी की ओर से इस सम्बन्ध में बयान आने वाला था, तो अगर उनका बयान हो जायगा तो ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत कम हो जायगी। इसलिये उचित होगा कि आप इसको आखिर में लें लें ताकि मंत्री जी अपना बयान भी दे दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे कोई दिक्कत नहीं है बयान देने में लेकिन चूंकि नियम ५२ के अन्तर्गत इसको मंजूर नहीं किया गया था और शार्ट नोटिस क्वैश्चन में तो सिर्फ सप्लीमेन्टरीज ही होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मंत्री जी अगर संक्षेप में स्पष्टीकरण करना चाहें तो कर दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—कब्ल इसके कि मैं और अर्ज करूं, मैं यह कह देना अपना फर्ज समझता हूं कि ६ तारीख को कहीं-कहीं पर बारिश हुई और ओले पड़े, उसकी खबर हमको ७ तारीख को मिली। ७ तारीख को मैंने दस, ग्यारह बजे रात तक तमाम कलेक्टर्स को कन्टैक्ट किया और उसी वक्त मैंने तय किया कि मैं सुबह जाऊं और ८ तारीख को सुबह ८ बजे मैं रवाना हो गया। मैं फैजाबाद, जौनपुर और आजमगढ़ पहुंचा और आजमगढ़ में जब रात होगई तो वहीं रह गया और सवेरे बलिया, गाजीपुर से होता हुआ आया। तो मैं समझता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमैन्ट की तवारीख में इतनी जल्दी काम शायद ही कभी हुआ हो। बिना किसी माननीय सदस्य के आग्रह के मैंने स्वयं तय किया कि मैं जाऊं और अपनी आखों से देखूं। वहां हम जब गये तो हमको कोई एम० एल० ए० न इस तरफ के न उस तरफ के ही मिले और तनहा मुझे काम करना पड़ा, दौड़ना धूपना पड़ा। कुछ लोगों ने शिकायत भी की, जैसा कि मैंने सुना कि हमारे मिनिस्टर भला आ तो गये लेकिन एम० एल० ए० न मालूम कहां हैं। तो ऐसी बात वह कह रहे थे।

वहां मैंने, दो रोज में जो कुछ देख सका, देखने की कोशिश की, इंन्टीरियर में भी गया और बाहर भी गया। जौनपुर जब मैं गया तो वहां की शाहगंज तहसील चूंकि फैजाबाद के बाद शुरू में ही पड़ती है इसलिये सीधा शाहगंज तहसील गया। वहां पर कलेक्टर भी थे और दूसरे अफसरान भी थे उनसे पता चला कि कुल २४३ गांव शाहगंज में अफेक्टेड हैं जिसमें १९८ गांवों को लगभग दो आने का नुकसान हुआ था और ४५ गावों में ४ आने से १२ आने तक का नुकसान हुआ। कुछ दो, चार गांवों को मैंने भी देखा लेकिन यह तो सम्भव नहीं था कि मैं २४३ गांव देखता क्योंकि और जिलों में भी जाना था। फिर उसके बाद केराकत मैं पहुंचा। वहां पता चला कि १६० गांवों में नुकसान हुआ। उसमें से दो, तीन गांवों, सोहनी, बेंहडा और गोबरी में बारह आने का नुकसान हुआ। वहां पर सड़क के किनारे कुछ गावों को मैंने देखा भी बाकी में ८ आने के लगभग नुकसान बताया गया। यह सरसरी अन्दाजा है। फाइनल अन्दाजे के लिये मैंने आर्डर दे रखा है और सब मालूम कर रहे हैं। हर खेत का इतनी जल्दी अंदाजा होना सम्भव नहीं है।

वहां से मैं आजमगढ़ गया। लालगंज तहसील कैराकत के बार्डर पर है। वहां १०, १२ मील इंटीरियर में—गांव का नाम तो मुझे याद नहीं है, बड़ा टेढ़ा-मेढ़ा नाम है—हमने देखा कि काफी नुकसान हुआ। वर्षा भी वहां ज्यादा हुई। तहसील हेड क्वार्टर में तो कम हुई लेकिन ६, ७ मील पर हमने देखा कि २ इंच से अधिक वर्षा हुई। ऊसर जमीन में काफी पानी भरा था। घोसी तहसील में १७ गांव अफेक्टेड बताये गये। ८ गांवों में ८ आने से १० आने तक हानि, ९ गांवों में ३६/३७ नये पैसे हानि बताई गई। सदर तहसील में २५० गांवों पर असर है। ४० गांवों में ६ आने से ८ आने तक, २१० गांवों से ३६/३७ नये पैसे भर हानि से। लालगंज तहसील में ३८१ गांवों अफेक्टेड बताये गये। २० गांवों में १२ आने या अधिक हानि हुई, ४ में १० आने से १२ आने तक, १४ में ६ आने से ८ आने तक और ३४३ में ३६/३७ नये पैसे भर हानि है। फूलपुर तहसील में ४३७ गांवों पर असर हैं। ५० गांवों पर १० आने से १२ आने तक, ६ गांवों पर ८ आने से १० आने तक और ३६ गांवों पर ६ आने से ८ आने तक हानि का असर है। इतनी ही इत्तला अभी हमारे पास है। यह सब अन्दाजे हैं, जैसा मैं पहले कह चुका हूं। मोहम्मदाबाद गौबरा में ५० गांवों पर सब में ३६/३७ नये पैसे असर है। सगड़ी में गया नहीं। लेकिन वहां के कुछ गांव अफैक्टेड जरूर हैं। ज्यादा हानि नहीं है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—बहुत नुकसान है। यह कटिंग मौजूद है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—गाजीपुर में सदर, जमानिया और सैदपुर में नैग्लीजिबिल लास कहा जाता है। मोहम्मदाबाद में २ आने से कुछ कम है। गाजीपुर में कुछ पत्रकार और

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

अफसर भी मिले और दूसरे लोग भी मिले। ए ३० एल० ए० कोई नहीं मिला। वहां कुछ नुकसान आम के बौर को जरूर बताया गया। लेकिन फसल के बारे में भगवान की दया से कृपा हुई।

फैजाबाद की सदर तहसील में लगभग ३६ गांवों पर कुछ असर है। अकबरपुर मे ५२ गांवों का पता चला है लेकिन जलालपुर में जो बहुत इंटीरियर में है, मैं नहीं जा सका। मैंने आर्डर दे रखा है कि वहां का पता लगाकर मुझे बताया जाय। पता चला है कि वह फूलपुर के बार्डर पर है।

बस्ती में रुदौली के इर्द-गिर्द ७,८ स्क्वेयर मील म काफी नुकसान हुआ है। ४ आदमी मरे हैं और १५० जानवर भी मरे हैं।

वाराणसी में ज्ञानपुर तहसील में ४० गांवों में सरसों और बारली पर असर है और १०० गांवों में १ आने से २ आने तक असर है। चन्दौली में १२४ गांवों पर असर है २ आने से ६ आने तक हानि का। चकिया में, हिली एरिया में ५० गांव अफक्टेड हैं, बारली और ग्राम को लगभग ८ आने तक नुकसान बताया जाता है। प्लेन में १२५ गांवों पर २ आने से ४ आने तक हानि है। तहसील सदर में ७९ गांवों में ५० से ७५ नये पैसे तक हानि बताई जाती है, गेहूं, बारली, ग्राम और सरसों को। लेकिन ११ गावों में गेहूं बच गया है। बाकी गांवों में लगभग २ आने के नुकसान हुआ है।

सुल्तानपुर में कादीपुर तहसील में कुछ गांव अफेक्टेड हैं। यह कहा जाता है कि २ आने से १० आने तक नुकसान हुआ है।

भाई उग्रसेन जी के लिये देवरिया और बहराइच में भगवान की दया से ओला नहीं गिरा। पानी दोनों जगह बरसा है जिस से कुछ नुकसान हो गया होगा।

बलिया में रसरा तहसील में १५० गांवों में असर है जिनमें से १५ गांवों में १२ आने के लगभग नुकसान कहा जाता है। बाकी में ६ आने से ८ आने तक है।

जो इत्तला मेरे पास है वह मैंने सदन को दे दी।

श्री धनुषधारी पांडेय---शिक्षा मंत्री जी बस्ती जिले में गये थे। जो कुछ उन्होंने वहां देखा हो उसे बतला दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष---आपने मंत्री जी की रिपोर्ट सुन ली। जहां कहीं आपकी जानकारी में ज्यादा नुकसान हुआ है वहां के प्रश्न मंत्री जी को लिखकर भेज दें त कि नियमानुकूल कार्यवाही हो सके। इसमें ज्यादा पूरक प्रश्न करने से कोई लाभ नहीं होगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---बस्ती में कितने मकानों की क्षति हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री मदन पांडेय---गोरखपुर की ओला-वर्षा की भी सूचना टेलीफोन से मंत्री जी प्राप्त कर लें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे वहां सब कल्याण ही कल्याण सुनाई पड़ा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय मंत्री जी के स्वयं की जांच के प्रशंसनीय कार्य को देखते हुये वह बताने की कृपा करेंगे कि छूट और तकावी के लिये उन्होंने क्या आदेश जारी किये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने कलेक्टर मुताल्लिका को यह कहा है कि जहां ८ आने से अधिक हानि हुई है वहां मालगुजारी और तकावी की वसूलयाबी रोक दें।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी गोरखपुर और देवरिया की भीषण वर्षा की रिपोर्ट मंगाने की कृपा करेंगे ताकि वहां सहायता दी जा सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जहां नुकसान हुआ है वहां हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे लेकिन कंल अजबक्त कुछ नहीं कर सकते हैं ।

श्री ऊदल--ज्ञालगंज और केराकत तहसीलों को मंत्री जी ने देखा तो वहां मकानों की क्षति किस अनुपात से है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हमको खपरेल फूटी हुई नहीं दिखाई पड़ी ।

श्री राजनारायण--माननीय मंत्री जी ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि वह वाराणसी नहीं गये थे । इसलिये वाराणसी की खबर उनको सही नहीं मिली । कसवार सरकारी और कसवार राजा के परगने बहुत ही ज्यादा क्षति ग्रस्त हैं .....

श्री उपाध्यक्ष--आप भाषण न दें, प्रश्न पूछे ।

श्री राजनारायण--अन्तिम रूप सवाल का होगा । कोई आदमी अपने क्वेश्चन का रूप पहले रख देता है और कोई आदमी उसको बाद में रखता है । माननीय मंत्री जी ने एक विषद व्याख्यान दे दिया । इसलिये पहले मेरा प्रश्न सुन लिया जाय ।

वाराणसी में जहां पर सरकार को यह पता लगा है कि ८ आना की क्षति हुई है, क्या सरकार वहां पर फिर से जांच करायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह तो हमारे स्टैंडिंग आर्डर्स हैं कि पूरी जांच करके नक्शे बनाकर भेजे जांय ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक इस बात पर विचार करके कि जिस क्षेत्र का उन्होंने दौरा नहीं किया यानी जौनपुर और राजघाट के बीच के क्षेत्र में मंत्री जी फिर से जांच करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जांच तो सभी जिलों में हो रही है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को जानकारी है कि कसवार राजा और कसवार सरकारी के क्षतिग्रस्त राजा तालाब क्षेत्र में कितनी क्षति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उन्होंने इकट्ठा दिया है, अगल-अलग नहीं बताया ।

ग्राम पंचायतों को नवीन अधिकार

****३--श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे निकट भविष्य में ग्राम स्तर के सभी अधिकार (विकास व प्रशासन के) ग्राम पंचायतों को देने जा रहे हैं ? यदि हां, तो उसकी क्या रूप-रेखा होगी ?

श्री जयराम वर्मा--ग्राम पंचायतों को अप्रैल १, १९६० से कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिये जा रहे हैं, जिनका विवरण संलग्न † परिपत्रों में दिया गया है ।

---

† परिपत्र छापें नहीं गये ।

श्री प्रतापसिंह--परिशिष्ट १ में विकास के विषय, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, निर्माण कार्य, सामुदायिक संगठन, युवक कार्य, महिला तथा शिशु कार्य, शिक्षा और समाज शिक्षा, जनस्वास्थ्य तथा सफाई, ग्रामीण गृह निर्माण, यातायात तथा निर्माण कार्य जितने भी कार्य अब तक जिला स्तर पर होते थे, १-४-६० से पंचायतों को दिये जा रहे हैं। तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह अधिकार जिला अन्तरिम परिषद् ऐक्ट के मातहत दिये जा रहे हैं या तब तक जब कि जिला परिषद् ऐक्ट आ जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जिला परिषद् ऐक्ट का अभी कोई सवाल नहीं है। यह आज्ञा दे दी गयी है। इसके लिये प्लानिंग से पंचायतों को पैसा दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--यह आदेश आपने प्रशाकीय अधिकार से दिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये अधिकार शीघ्र ही दिये जायेंगे या नये चुनावों के बाद दिये जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--ये आदेश तो वे दे चुके हैं।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि इस ऐक्ट के मातहत अधिकार नहीं दिये जा सकते। लेकिन जब सारे अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिये जायेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कौंसिलों का क्या रूप रह जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मैंने यह नहीं कहा कि जिला परिषदों को ये अधिकार नहीं दिये जायेंगे। अभी वर्तमान जो कानून है उसके मातहत दिये जा रहे हैं। जब जिला परिषद् ऐक्ट बनेगा, उसमें भी इसका प्राविधान रहेगा। ये अधिकार उससे संगत होंगे।

****४--कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)--[स्थगित।]

ग्राम पंचायतों के निर्वाचन के लिए आदेश

****५--श्री मदन पांडेय**--क्या यह सत्य है कि सरकार ने ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिये जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह चुनाव कब तक सम्पन्न हो जाने का निश्चय किया गया है ?

श्री जयराम वर्मा--यह सत्य है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि गांव सभाओं का आगामी सामान्य निर्वाचन यथा समय करा दिया जाय तथा तदर्थ कार्रवाई करने के लिये जिलाधिकारियों से पत्र-व्यवहार हो रहा है। आगामी निर्वाचन की तिथियां अभी निश्चित नहीं की गई हैं।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गत पंचायत चुनावों के अनुभव के आधार पर वर्तमान चुनाव प्रणाली में कोई परिवर्तन करने पर सरकार विचार कर रही है जिससे कि कुछ पदों के लिये गुप्त मतदान कराया जाय ?

श्री जयराम वर्मा--जी हां, प्रधानों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा कराया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला अधिकारियों को जो आदेश भेजा गया है उसमें यह बात उल्लिखित है कि १५ दिसम्बर, सन् १९६० से १ ली जनवरी, सन् १९६१ तक चुनाव हो जायेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, आदेश यह है कि चुनाव कि तिथि ऐसे वक्त पर रखनी चाहिये ताकि जनगणना का जो काम होगा उससे उसकी कोई टक्कर न पड़े, बस इतनी बात है।

श्री मदन पांडेय--माननीय मंत्री जी जैसा कि प्रधान तथा उप प्रधानों के लिये गुप्त मतदान की बात सोच रहे हैं, उसी तरह का एक आदेश अन्य सदस्यों के चुनाव के लिये भी गुप्त मतदान कराने के सम्बन्ध में देने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--उस पर विचार करके ही हमने समझा कि उसमें खर्चा बहुत है तथा दिक्कत तलब भी है, इसलिये उसे छोड़ दिया गया ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री महोदय आगामी पंचायतों के चुनाव के पूर्व ग्राम सभाओं तथा न्याय पंचायतों की सीमा के क्षेत्र में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राजनारायण--गत पंचायतों के चुनाव के अवसर पर जो लिस्ट के बारे में बहुत से स्थानों से शिकायतें आयी थीं, तो क्या सरकार लिस्ट को प्रिपेयर करने की कोई विशेष व्यवस्था करेगी जिससे कि लोगों को शिकायत न हो ?

श्री जयराम वर्मा--संशोधन के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं, उस सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है ।

श्री राज नारायण--श्रीमन्, गत वर्ष ऐसा हुआ था कि चुनाव के मौके पर ही सेक्रेटरी लोगों ने लिस्ट सबमिट कर दी तो मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव से कितने समय पूर्व कोई ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे ताकि सब को लिस्ट मिल जाय ।

श्री जयराम वर्मा--समय तो निश्चित कहना सम्भव नहीं है लेकिन काफी पूर्व वह लिस्ट निश्चित हो जायगी जिससे किसी को असुविधा न हो ।

शाहजहांपुर जिले के अभाव ग्रस्त क्षेत्र में मालगुजारी में छूट देने का आश्वासन

६--श्री **रूमसिंह** (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में अभाव-ग्रस्त क्षेत्र में लगान इत्यादि स्थगित करने के लिये जिलाधीश ने सरकार को जनवरी, फरवरी, सन् १९६० में लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जिलाधीश, शाहजहांपुर ने दिनांक १०-२-१९६० को एक पत्र जिले में अभाव की स्थिति के सम्बन्ध में लिखा था। रबी की फसल की क्षति पूरी तरह से आंकी जाने पर जहां आवश्यकता होगी, नियमानुसार मालगुजारी में छूट दी जायेगी ।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच कब तक हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी तो फसल तैयार हो रही है, जांच के बाद सब का अन्दाजा हो जायगा ।

श्री रूमसिंह--उस पत्र में जिलाधीश ने क्या लिखा है, क्या लगान वगैरह स्थगित करने की सिफारिश की थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उन्होंने लिखा है कि यहां अभाव-ग्रस्त क्षेत्र है इसलिये लगान कलक्शन में दिक्कत पड़ती है। मैंने उनको लिख दिया है कलेक्शन का आपको पावर है, जहां कहीं मुनासिब समझें वहां स्टे कर दें ।

श्री बालकराम---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि आपके उस आर्डर के बावजूद भी रबी तक का लगान अभी वसूल हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह हमें नहीं मालूम है ।

****७---श्री लक्ष्मणराव कदम**---[१८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है । वह मसला अभी विचाराधीन है इसलिये आज उस पर कोई निर्णय नहीं दिया जायगा ।

प्रदेश में ३ वर्ष के डिग्री कोर्स के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष---श्री राजनारायण जी ने एक दफा ५२ का प्रश्न उपस्थित किया है उसे मैं पढ़े देता हूं । "लोकसभा में कल तारीख १० मार्च को एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री डा० के० एल० श्री माली ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ३ वर्ष का डिग्रीकोर्स करने के लिये इच्छुक है बशर्ते केन्द्र उसके आवर्तक तथा अनावर्त्तक खर्च का सारा भार जो ४३७.५ लाख रुपया पड़ेगा उसे दे । प्रान्तीय सरकार ने इस प्रकार हायर सेकेन्डरी तथा एम०ए० कोर्स में बिना परिवर्तन किये हुये ३ वर्ष का डिग्री कोर्स कर अधिक खर्च बढ़ाने का जो प्रस्ताव किया है उससे प्रारंभिक शिक्षा की ओर सरकार की उपेक्षा प्रतीत होती है और अनावश्यक ढंग पर पढ़ाई का खर्च भी बढ़ता है । हम सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित कर स्पष्टीकरण चाहते हैं जिससे प्रदेश में गरीबों पर शिक्षा का खर्च भार और अधिक न बढ़े और व्यापक शिक्षा का प्रसार हो ।"

इस सम्बन्ध में माननीय राजनारायण जी स्पष्टीकरण चाहते हैं । मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि यदि आज वह इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर सकें तो कर दें ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस सरकार के सामने गत दो, तीन वर्ष से है । माननीय राजनारायण जी ने जो लिखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ३ साल का डिग्री कोर्स कराने की इच्छुक है, जैसा कि समाचार-पत्रों में छपी हुई रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने लिखा है । इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सरकार इच्छुक तो नहीं है लेकिन जब कुछ शर्तों के साथ यह प्रश्न उसके सामने पेश किया गया तो उसने अपनी सहमति प्रकट कर दी । २ साल पहले शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था उस वक्त यह प्रश्न पहले पहल सामने आया कि ३ साल का डिग्री कोर्स हो और विशेष रूप से यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने इस बात की सिफारिश की थी । उत्तर प्रदेश की तरफ से यह कहा गया कि हमारे सामने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कठिनाइयां हैं । पहली कठिनाई यह है कि हमारे यहां सन १९२२ से ही माध्यमिक शिक्षा का एक क्रम चल रहा है जिसको आज ३८ वर्ष हो रहे हैं और तब से यह क्रम सफलतापूर्वक चला है । किसी भी डिग्री कोर्स को घटाने बढ़ाने से हमारा माध्यमिक शिक्षा का क्रम प्रभावित न हो, उसमें प्रस्ताव था कि हाई स्कूल में कक्षा १० और ११ कर दी जाय और इंटर की १२ वीं कक्षा डिग्री कोर्स में जोड़ दी जाय यानी ११ का हाईस्कूल और ३ साल का डिग्रीकोर्स हो जाय । इससे हमें माध्यमिक शिक्षा के क्रम में एक साल और जोड़ना पड़ता । तो हमने इस बात को स्वीकार नहीं किया, हमने कहा कि हमारे यहां ३८ साल से एक क्रम बड़ी सफलतापूर्वक चल रहा है । इतना ही नहीं राधाकृष्णन और मुदालियर कमीशंस ने भी कहा कि दस साल का हाई स्कूल ठीक नहीं है उसको बढ़ाना चाहिये ताकि यूनिवर्सिटी में जाने

से पहले विद्यार्थी परिपक्व हों। सेडलर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार यहां जो प्रयोग हुआ वह अधिक प्रिय रहा है यह सब मानते हैं। तो हम उस चीज को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि जिस से हमारा वर्तमान क्रम ही परिवर्तित हो जाय ।

दूसरी बात हमने यह कही कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम ३ साल के डिग्री कोर्स का व्यय उठा सकें और इस प्रदेश की एक विशेष स्थिति इस माने में भी है कि चार-चार हमारी यूनिवर्सिटियां हैं और भी एक, दो खुल सकती हैं जिनके प्रस्ताव हमारे सामने हैं। इस समय प्रदेश में ४ यूनिवर्सिटीज हैं। इनके अलावा डिग्री कालेजेज बहुत हैं, इस समय सम्भवतः १२४ डिग्री कालेजेज हैं और एक साल डिग्री कोर्स बढ़ा देने के माने यह हैं कि हम पर बहुत बड़ा व्यय का भार पड़ जायगा और हम एक पैसा भी इस समय प्रदेश के सार्वजनिक कोष से नहीं लगा सकते। यह दो बातें हमने उनसे कही थीं। इस पर उन्होंने हमसे खर्चे का ब्योरा मांगा और यह राय दी, लिखा उन्होंने, कि जितना भी नान-रेकरिंग खर्चा है वह हम सब उठा लेंगे और जो रेकरिंग खर्चा है उसका भी आधा हिस्सा वह उठाने को तैयार हैं। आप इस कोर्स को अब लागू करें और इंटरमीडियेट के पैटर्न को हम आपके स्पर्श नहीं करेंगे। यानी एक शर्त उन्होंने मान ली कि १२ साल का माध्यमिक शिक्षा का जो क्रम चल रहा है उसको परिवर्तित नहीं करेंगे और दूसरे यह कि डिग्री क्लासेज में तीन साल का कोर्स कर देने के लिये जो खर्च बढ़ेगा उसका नान-रेकरिंग सब और रेकरिंग का ५० परसेंट देने को तैयार हैं।

हमारे सामने यह प्रश्न है, हम उन्हें यह लिख रहे हैं और लिखा भी है कि रेकरिंग का ५० फीसदी भी उठाना हमारे लिये सम्भव नहीं होगा। और जो अखबारों में रिपोर्ट है उसमें भी केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने कदाचित् यह कहा है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, इस प्रस्ताव को भी उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के विचारार्थ भेज दिया है। यह स्थिति अभी है। तमाम देश के अन्य प्रदेश करीब-करीब तीन साल के डिग्री कोर्स को मंजूर कर रहे हैं। जो भारत सरकार की यूनिवर्सिटीज हमारे प्रदेश में हैं, अलीगढ़ और बनारस, उन दोनों ने तीन साल का डिग्री कोर्स स्वीकार कर लिया। और प्रदेश भी उसको स्वीकार करते चले जा रहे हैं। औरों के लिये एक बात यह थी कहीं १० साल का हाई स्कूल और कहीं ११ साल का हाई स्कूल रहा है। एक साल का डिग्री कोर्स बढ़ा करके तीन साल कर देना था। यह जरूर सरकार समझती रही है कि अगर डिग्री क्लासेज में एक साल और बढ़ा, बी० ए० के पहले एक प्रीलिमिनरी, तो उससे विद्यार्थियों में एक परिपक्वता आवेगी। परन्तु उसका खर्च हम कतई नहीं उठा सकते और यही हमने उनसे कहा और वह इस पर विचार कर रहे हैं। हमारी यह दो शर्तें अब भी जहां की तहां हैं। इन दो शर्तों को स्वीकार करें तो फिर हम इस योजना को अपने प्रदेश में लागू कर सकें।

माननीय राजनारायण जी ने एक बात और कही है कि इसका जो खर्चा बढ़ेगा उससे हमारी प्रारंभिक शिक्षा पर असर होगा। अब ऐसी बात न हो पायेगी इस माने में कि प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार के लिये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से हमारी विशेष योजनायें चल रही हैं जिसके लिये वह रुपया दें ताकि हम अपने प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा को इस प्रकार बढ़ा सकें कि ८० से ८५ फीसदी विद्यार्थी, लड़के और लड़कियां, सब प्रदेश की प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा प्राप्त कर सकें। उसके लिये अलग से उनसे बातचीत भी हो रही है, जैसा मैंने बजट के अवसर पर भी निवेदन किया था। हमने स्कीम भेज दी है और वह भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर बोझ इतना अधिक है कि जब तक हम विशेष उनकी सहायता न करें तब तक इस चीज को वह लागू नहीं कर सकते हैं। जो डिग्री क्लासेज के लिये ग्रान्ट मिलेगी वह यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से मिलेगी और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन का पैसा डिग्री कालेजेज और यूनिवर्सिटी के लिये ही खर्च होता है। प्रारंभिक शिक्षा के लिये कोई रुपया हमको यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से नहीं मिलने वाला है। तो बिलकुल दो भिन्न चीजें हैं। उसका कोई असर नहीं होगा हमारी प्रारंभिक शिक्षा पर।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हमारी जो दो शर्तें आरम्भ से रही हैं उन्हें हम बार-बार भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं उन्होंने कुछ बातें स्वीकार कर ली हैं और कुछ जो रखी हैं उनके लिये आग्रह कर रहे हैं। हमारी लाचारी है कि इस काम में खर्च करने के लिये हमारे प्रदेश के साधन हमारी कोई सहायता नहीं कर सकेंगे और यह भी हमने उनको लिखा है कि उतना कर दें। लेकिन यह जो भार उन्होंने उठाने को कहा है वह केवल थर्ड प्लान में। थर्ड प्लान के बाद कहां यह भार पड़ेगा? थर्ड प्लान में हमारे बहुत से डिग्री कालेजेज बढ़ेंगे यूनिविसटीज बढ़ेंगी तो उस हिसाब से खर्चे बढ़ेंगे तो यह सब विस्तार की बात है। इस सम्बन्ध में उनसे बातचीत हो रही है और मैं समझता हूं कि जब वहां से अन्तिम निर्णय यह हो जाय कि तीसरे प्लान का खर्चा तो उठायेंगे ही लेकिन जो हमारी वृद्धि होगी उसका भी खर्चा उठायेंगे और फिर पूरा-पूरा खर्चा हमको देंगे तब कहीं इस विषय पर आगे कोई निर्णय लिया जा सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या शिक्षा मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में शिक्षा की अलग व्यवस्था है, केवल १२ साल तक हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट, फिर दो साल डिग्रीकोर्स, तो क्या वे इस प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे और ३ वर्ष का डिग्री कोर्स लागू कराने के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति नहीं देंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने तो निवेदन किया कि हमारी नीति यह रही है कि हम तीन साल का कोर्स स्वीकार कर सकते हैं और सहमति हो सकी है उस प्रस्ताव से भारत सरकार के यदि हमारे माध्यमिक के क्रम पर कोई उसका असर न डाला जाय कमती या बेशी करने के बारे में और उसका वह भार भारत सरकार स्वयं उठाये क्योंकि उस खर्चे को उठाने में हम अपने को समर्थ नहीं पा रहे हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--हमारे नियम ५२ के अन्तर्गत ही एक और प्रश्न था और माननीय मंत्री जी ने इस वक्त सब प्रश्नों का उत्तर दिया है, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है वह यह है। प्रान्तीय सरकार इस प्रकार हायर सेकेंडरी तथा एम०ए० कोर्स में बिना परिवर्तन किये हुये तीन वर्ष का डिग्री कोर्स कर दे और अधिक खर्च बढ़ाने का जो प्रस्ताव है जो परीक्षार्थी होंगे, उन पर भी तो खर्चा बढ़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष--आप पूछिये ऐसा है या नहीं। लेक्चर देने की व्यवस्था नहीं है।

श्री राजनारायण--आपको तो भ्रम हो जाता है मेरे बारे में। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप उस भ्रम को निकाल दें क्योंकि इससे आपको अनावश्यक परेशानी होती है।

श्री उपाध्यक्ष--आप किताब खोल रहे थे।

श्री राजनारायण--मैं प्रश्न ही कर रहा था और वह यह कि प्रान्तीय सरकार इस प्रकार हायर सेकेन्डरी तथा एम०ए०कोर्स में बिना परिवर्तन किये हुये जो अधिक खर्चा विद्यार्थियों पर बढ़ा रही है उसका क्या उत्तर है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुझे खेद है कि उसका उत्तर मैं नहीं दे सका। राजनारायण जी के प्रश्न का यह अर्थ होगा कि १२ साल इधर हो जायेंगे। ३ और २ साल उधर हो जायेंगे यानी १७ साल। एक साल बढ़ जाता है। यह भी एक और प्रश्न हमारे सामने है। दूसरे प्रदेशों में कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लास १ साल का, ३ साल का डिग्री कोर्स हो। अगर हमने इसको स्वीकार किया और उन्होंने हमारी सहायता की, रुपया पैसा हमको दे दिया तो कुछ इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा कि विद्यार्थियों के समय पर और अभिभावकों पर जो बोझ पड़ता है वह न पड़ने पाये और किस तरह से वह एडजस्ट इसमें हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार इस प्रश्न को जो एजूकेशन कमीशन बनाया जाने वाला है उसकी राय के लिये भेजेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, यह विषय उनको दिया जा सकता है। हमने टर्म्स आफ रिफरेंस अभी बनाये नहीं लेकिन अपने प्रदेश की यूनिवर्सिटियों से इस बारे में राय ली थी और उन्होंने इससे सहमति प्रकट की थी और यह भी कहा था कि जब सारे देश में इस प्रकार की योजना लागू हो रही है और अपने प्रदेश में भी दो, दो यूनिवर्सिटीज में योजनायें लागू हो रही हैं तो इस प्वाइंट आफ व्यु से इससे लाभ भी है कि तीन साल का कर दिया जाय, लेकिन जैसा कि राजनारायण जी ने कहा इस प्रश्न पर भी विचार कर लिया जाय कि उसका जो बोझा पड़ेगा अभिभावकों पर और विद्यार्थियों का जो समय जायगा वह इतना अत्यधिक न हो जाय कि वे उठा न सकें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--केन्द्र द्वारा प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षा में एक वर्ष कम करने का था और डिग्री कोर्स तीन वर्ष का करने की योजना थी। तो जो अभिभावकों का खर्चा बढ़ जायगा और छात्रों का एक वर्ष और बढ़ रहा है और माध्यमिक शिक्षा में आप कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर भी विचार करेंगे कि अभिभावकों की दृष्टि से और छात्रों की दष्टि से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--जब माननीय मंत्री जी समझते हैं कि इस योजना के लागू करने से लाभ होगा और पूरे मुल्क में एकरूपता हो जायगी, केवल खर्चे की दिक्कत है तो क्या सरकार ने इस पुकार का एस्टीमेट लगवाया है कि इससे कितना खर्चा बढ़ जाता है और केन्द्रीय सरकार अगर आधा रेकरिंग खर्चा देने के लिये तैयार है तो कितना और खर्चा वहन करना पड़ेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जो आज हमारे कालेजेज और यूनिवर्सिटी हैं वे तो प्रति वर्ष बढ़ते हैं और सन् ६० में फिर २-४ की तादाद बढ़ेगी, लेकिन जो आज हैं उन पर ३,३९,४२,००० रुपये आवर्त्तक खर्चा और ३,२२,५०,००० रुपये अनावर्त्तक खर्चा, यानी ६,६१,९२,००० रुपये रेकरिंग और नान- रेकरिंग एक्सपेन्डीचर का हिसाब लगाया है। तब वह योजना लागू हो सकती है। जैसे जैसे कालेजेज आदि की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे यह खर्चा भी बढ़ेगा। यह खर्चा तो केवल इस फाइव इयर प्लान के पांच साल का है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या यह सही है कि सरकार यह योजना इसलिये लागू करने जा रही है कि उच्च शिक्षा को हतोत्साहित किया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इससे शिक्षा हतोत्साहित तो होती नहीं बल्कि इसमें तो कुछ प्रोत्साहन मिलता है कि इंटरमीडियेट के बाद एक साल प्रिलिमिनरी रहा और फिर तीन साल डिग्री कोर्स के लिये होगा।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इस प्रश्न पर भी विचार करेगी कि आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी और डाक्टर राधाकृष्णन् कमीशन दोनों की रपट जो आज केन्द्रीय सरकार की प्रस्तावित योजना है और जिसे यह सरकार स्वीकार करने जा रही है उससे भिन्न है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि राधाकृष्णन् कमीशन् और आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी, इन दोनों की रिपोर्ट से हमारे इंटरमीडियेट के पैटर्न का तो समर्थन होता ही है और इसलिये हमने इस बात पर जोर दिया कि हम अपने इंटरमीडियेट के पैटर्न में किसी तरह की तब्दीली नहीं करेंगे। डिग्री क्लासेज के बारे में जो उनका सुझाव है वह तो आपने बताया ही है।

श्री रामायणराय--जिन कठिनाइयों की ओर मंत्री जी ने ध्यान आकर्षित किया है उन कठिनाइयों का अन्त कब तक हो जायगा इसके लिये क्या सरकार कोई सक्रिय कदम उठा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जब वह रुपया देना स्वीकार कर लेंगे तो उस कठिनाई का हल हो जायगा नहीं तो तब तक जैसे चल रहा है वैसे चलेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा--इस बात को देखते हुये कि इंटरमीडियेट के बाद तीन साल का कोर्स होगा और विद्यार्थियों को दो साल का खर्च देना मुश्किल था तो तीन साल का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पायेंगे और वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये हतोत्साहित होंगे; क्या सरकार इस स्कीम को खत्म कर देगी ?

श्री उपाध्यक्ष--यह तो उत्तर दिया जा चुका है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)-----क्या मंत्री जी के विचार में कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि इस प्रकार की योजना लागू होने के बाद जो मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के लोग हैं वह अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ रहेंगे, तो क्या वह इस पर विचार करेंगे कि यह योजना लागू न की जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि इसका कोई ऐसा असर नहीं होगा बल्कि जिन लोगों को उच्च शिक्षा मिलनी चाहिये उनके लिये लाभकर होगा कि वह एक साल का और प्रिलिमिनरी कोर्स पढ़ें क्योंकि यूनिवर्सिटी के वातावरण में दो साल में शिक्षा की दृष्टि से देखें तो हाई स्कूल से विद्यार्थी इंटर में जाता है और फिर दो साल के लिये वह यूनिवर्सिटी में गया तो वहां रह कर जो वहां के वातावरण का असर रह सकता है उसमें अगर एक साल का और इजाफा हो तो उसके मस्तिष्क के विकास में और वहां के वातावरण के प्रभाव में रहकर उच्च शिक्षा की ओर जाने में सहायता मिलेगी और मैं समझता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से तीन साल का डिग्री कोर्स होना अनुचित नहीं है बशरते कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुए हम उसका भार उठा सकें।

कार्यस्थगन प्रस्ताव तथा याचिका के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने बताया था कि एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया और वह विचाराधीन है तो क्या वह हमारा ही प्रस्ताव है ?

श्री उपाध्यक्ष--जी हां।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा के २५ सदस्यों के हस्ताक्षर से लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति के हटने के संबंध में एक याचिका दी थी।

श्री उपाध्यक्ष--यह प्रश्न माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है। निर्णय बाद में दिया जायगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, वह तो हमारा प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष--वह भी है।

१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ४७––लेखा शीर्षक ६८––सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण, अनुदान संख्या १०––लेखा शीर्षक १७,१८ और १९–ख––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य तथा अनुदान संख्या ११––लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८––सिंचाई स्थापना पर व्यय (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष––अब सिंचाई विभाग के अनुदान पर वाद-विवाद जारी होगा।

***श्री मलिखानसिंह** (जिला मैनपुरी)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मैं कल इस बात पर प्रकाश डाल रहा था कि अपने प्रदेश में सिंचाई विभाग जनता से अधिक पैसा किस तरह से प्राप्त हो इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है और वह यह नहीं सोचता है कि किसानों को कितनी सुविधा दें, कितना पानी दें जिससे वह अपना उत्पादन बढ़ाने में सफल हो सकें। जहां तक इस विभाग के व्यभिचार या भ्रष्टाचार के बारे में जो भी प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैं यहां इसलिये कुछ कहना नहीं चाहता हूं कि यह मनुष्य के कैरेक्टर पर निर्भर करता है। जब हमारे माननीय मंत्री जी सदन में इस बात को मान बैठे हैं कि भ्रष्टाचार समाज की देन है और जब तक यह समाज में रहेगा तब तक हम इसको दूर नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से यह जो सिंचाई विभाग है इसके इंजीनियर्स जो हैं....

श्री उपाध्यक्ष––सदन में काफी बातचीत हो रही है। मैं देख रहा हूं कि माननीय सदस्य लाबी का काम सदन से लेना चाहते हैं, ऐसा अनुचित है।

श्री मलिखानसिंह––मैं यह कहूंगा कि या तो मंत्री जी इतने योग्य नहीं हैं और यदि हैं तो टैक्नीकल एक्सपर्ट नहीं हैं और उनको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इसलिये इनके विभाग के इंजीनियर्स उनसे यह कहकर कि यह टैक्नीकल बात है, आप लिख दीजिये, हम बाद में देख लेंगे, अपना काम निकाल लेते हैं। जो इस विभाग के इंजीनियर्स हैं वह सही एस्टीमेट न बनाकर मनमाना पैसा वसूल किया करते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण आज के प्रश्न में है जो स्थगित किया गया है और ललितपुर के बांध से संबंधित है। मुझे मालूम है कि वहां के लिये कुछ उल्लू पाले जा रहे हैं। वहां के इंजीनियरों ने बताया कि उल्लू इसलिये पाले जायें जिससे चूहे इसमें सूराख न कर सकें। मुझे बड़ी हंसी आई कि यह उल्लू पालक विभाग है या सिंचाई के लिये किसानों को समुचित मात्रा में पानी देने वाला विभाग है।

अब इस विभाग में जो अनियमित काम हो रहे हैं उन पर प्रकाश डालूंगा। किसान बिना-पढ़े लिखे हैं। इनके पतरौल और अमीन हमेशा तोड़ और डाल का गड़बड़ कर देते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†१० मार्च, १९६० की कार्यवाही से।

[श्री मलिखान सिंह]

तोड़ खेत की सिंचाई ज्यादा होती है इसलिये जितना डाल होता है उसको तोड़ लिख देते हैं क्योंकि ऊपर से यह आर्डर है कि किसी तरह से रेवेन्यू बढ़ायी जाय। मैंने इस संबंध में कई बार सदन में कहा कि अगर प्रधान इस प्रकार के सभी खेतों की शिकायत एक साथ लिख कर इंजीनियर के पास भेज दें तो वह मान ली जाय। लेकिन इंजीनियर कहते हैं कि एक एक व्यक्ति जिसका नुक्सान होता है वह अलग अलग अपनी अपनी उज्रदारी करे। किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वह रजिस्ट्री करके इस विभाग को भेजे।

इंजीनियर लोग पानी की कमी को छिपाना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस पर प्रकाश डालें। मैनपुरी डिवीजन या पश्चिमी जिलों में नहरें और बम्बे काट दिये जाते हैं। उसका एक मात्र कारण यह है कि उस क्षेत्र में पानी कम है। लेकिन यह विभाग नहरों और नालियों को बढ़ाने में सदैव अग्रसर रहता है। यह कमी नहीं सोचा गया कि यह नहरें काट देते हैं तो इसका क्या कारण है? इस पर प्रकाश न डाल कर उल्टे उन काश्तकारों को परेशान करने के लिये विभागीय नौकरों द्वारा मुकदमे चलवाते हैं जिस पर सदन में कई बार प्रश्न आया कि नहर विभाग के मुकदमें स्थानीय मैजिस्ट्रेटों द्वारा हों। किसानों को परेशान करने के लिये दौरे पर मुकदमे लिये जाते हैं जिससे काश्तकार नत मस्तक हो जाय और इन की नौकरशाही की जी हूजूरी बजाते हुए कुछ न कर सके।

कल जब माननीय हिम्मत सिंह जी भाषण दे रहे थे तो उधर से एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप पूर्वी और पश्चिमी जिलों का सवाल उठाते हैं। हम लोग पूर्व और पश्चिम में विश्वास नहीं करते। हम प्रदेश में भी विश्वास नहीं करते। हम तो एकात्मक शासन चाहते हैं जिसमें राष्ट्र की भावना हो और प्रांतीयता की भी भावना खत्म हो। लेकिन यह सरकार पूर्व और पश्चिम की भावना पैदा करना चाहती है, जिसका एक उदाहरण यह है कि पूर्वी जिलों में सिंचाई की दरें कम हैं और पश्चिमी जिलों में सिंचाई की दरें बहुत ज्यादा हैं। इसके लिये जनता ने कई बार एजिटेशन किया और पोलिटिकल पार्टियों के द्वारा सरकार के पास जनता ने अपनी आवाज भी पहुंचायी।

तीन रुपये बीघा और सात रुपये बीघा आज सिंचाई है, जब कि पहले १२ आने और एक रुपये बीघा थी। मेरी मुख्य मंत्री जी से परसनल बातचीत हुई, जनसंघ की पूरी कार्यकारिणी बैठी हुई थी। उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। वास्तव में सिंचाई की दरें ज्यादा हैं। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं यह देख रहा हूं कि सिंचाई की दरें इतनी ज्यादा हैं कि जब गल्ला सस्ता हो जाता है तो पश्चिमी जिलों के किसानों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह उनको अदा कर सकें क्योंकि नहरों का पानी ऊपर आने के कारण उत्पादन दिन पर दिन कम होता जा रहा है और जब उत्पादन कम होगा तो स्वाभाविक है कि हम इनका टैक्स जो है नहर का या लगान और इंडाइरेक्ट टैक्स जो हैं उनको किस तरह बरदाश्त करें? इससे पश्चिमी जिले के किसानों का कचूमर निकलता जा रहा है। लेकिन यह सरकार अपने टैक्स बढ़ाती चली जा रही है। वह यही चाहती है कि किस तरह से अधिक से अधिक टैक्स का रुपया उसके पास आये। तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने माननीय मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि वह तुरंत इस बात की व्यवस्था करें कि ये बढ़े हुए जो सिंचाई के कर हैं वह कम किये जायं और उसके बाद यह भी व्यस्था करें कि पानी में कोई सीमा दे दें। उपाध्यक्ष महोदय थोड़ा समय और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---दो मिनट हैं अभी।

श्री मलिखानसिंह---तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था करे कि एक पानी भी द या तीन तक का कोई रेशियो दे दे और उसके बाद जो ज्यादा

पानी ले उसके लिये अधिक टैक्स हो, न कि एक पानी दे उसके लिये भी वही टैक्स और जो चार पांच या छः पानी दे उसके लिये भी वही टैक्स। इस तरह से एक पानी और दो पानी या तीन पानी के चक्कर में डालकर सरकार जनता का नुक्सान कर रही है क्योंकि साइकोलाजी से उस जिले का किसान कुछ कर नहीं पाता। वह सोचता रहता है कि जब पानी आयेगा तो पानी देंगे, उसके लिये वह अपने दूसरे काम भी छोड़कर बैठा रहता है। माननीय मंत्री जी से जब कहा जाता है तो वह कहते हैं कि वहां से एस्टीमेट आयेगा, इंजीनियर पास करेगा, उसके बाद हमारे पास आयेगा तो हम देख लेंगे। लेकिन इंजीनियर क्या भेजेंगे और क्या एस्टीमेट आयेगा यह उनको चाहे न मालूम हो, हम लोग पहले से ही बता देते हैं कि वहां से यह रिपोर्ट आयेगी। उन्होंने सर्वे कराया, उस सर्वे के कराने के बाद कम से कम चार साल लग जाते हैं, तब कहीं किसी का कोई काम हो पाता है।

मैं पूछना चाहता हूं कि रामगंगा प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हुआ और उस प्रोजेक्ट के पूरा न होने के कारण पश्चिमी जिलों में आगरा डिवीजन के जो जिले हैं, उनमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है जिससे वहां का उत्पादन घटता चला जा रहा है। यह अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया?

जहां तक ट्यूब वेल का प्रश्न है, ट्यूबवेल का कमांड एरिया इतना ज्यादा रखा गया है कि एक ट्यूबवेल उस कमांड एरिया को समुचित रूप से पानी नहीं दे पाता और उस एरिया के काश्तकार ट्यूबवेल के पानी के लिये परेशान होकर के अन्त में एक-एक महीने लेट पानी अपने खेतों में देंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका एकमात्र नतीजा यही होगा कि फसल सूख जायगी और दीमक लग जायगी, पैदावार कम हो जायगी।

*श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। जो अनुदान आज उपस्थित है सदन में मैं उसका समर्थन करता हूं। सिंचाई मंत्री जी का बुन्देलखंड आभारी रहेगा कि जो सिंचाई के साधन बुन्देलखंड के हर एक जिले में बनाये गये और अन्न की पैदावार को बढ़ाया गया। इसके साथ-साथ झांसी सेमरदा बांध के बारे में मुझे कुछ निवेदन करना है। जबकि किसानों को तीन पानी देने के बाद उनसे आबपाशी टैक्स लेना चाहिये वहां पर एक पानी ही किसानों को मिलता है और उससे उतनी पैदावार नहीं बढ़ सकती जितनी कि बढ़नी चाहिये। लेकिन टैक्स उनसे बराबर लिया जाता है। आबपाशी बराबर ली जाती है। मैंने कई बार इंजीनियर महोदय से यह निवेदन किया कि जब एक पानी मिलता है तो उनसे आबपाशी टैक्स पूरा नहीं लेना चाहिये। लेकिन इंजीनियर महोदय का यह कहना है कि यहां बांध के अन्दर पानी कम है इसलिये तीन पानी न मिलकर एक ही पानी मिलेगा। इसलिये वहां पर सिंचाई के कर में कुछ कमी होनी चाहिये। आबपाशी टैक्स या तो एक तिहाई लेना चाहिये या आधा लेना चाहिये।

दूसरा निवेदन मुझे यह करना है कि जैसा कि माननीय सदस्यों का और कुछ जनता का माताटीला के करप्शन के बारे में विचार था कि माताटीला के कर्मचारियों और अधिकारियों ने करप्शन किया। मैं माननीय सिंचाई मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने एक कमेटी उसके लिये बैठाली जो कि अब उसकी जांच करने जा रही है। जब लोगों का यह कहना हो कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गज्जूराम]

सरकारी कर्मचारियों में और अधिकारियों में करप्शन है तो उस बात की सरकार को जांच करनी चाहिये और जांच करने के बाद अगर सरकार किसी निर्णय पर पहुंचे तब तो माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिये। लेकिन अगर बारबार हम अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर ऐसे लांछन लगाते चले जायं या उनको बुरे बताते चले जायं तो हो सकता है कि वे बजाय इसके कि अच्छा काम करें उसको खराब भी कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में सारी चीजें हैं।

मैं कुछ थोड़ा-सा अपने ललितपुर सब-डिवीजन के बारे में आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं। माताटीला बांध से ललितपुर सब डिवीजन में एक इंच भी सिंचाई नहीं हो सकती है। पानी की सिंचाई नीचे की तरफ कुछ गरौठा तहसील में और कुछ मऊ तहसील में और बाकी हमीरपुर में चली जाती है। वहां ललितपुर सब-डिवीजन में सिंचाई के साधन नहीं हैं। जमीन अच्छी है और उपजाऊ है परन्तु वह लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है। अगर वहां पर सिंचाई के साधन हो जायं तो वहां की भुखमरी दूर हो सकती है। वहां पर लाखों की तादाद में गरीब किसान लोग दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं और वहां जाकर फसल काटने का काम करते हैं। कुछ तो मध्य प्रदेश की तरफ चले आते हैं और कुछ उत्तर प्रदेश की तरफ चले आते हैं। अगर वहां पर सिंचाई के साधन बन जायं तो लाखों की तादाद में किसान बाहर न जायं। हम लोग बुन्देलखंड के रहनेवाले इस बात को बार-बार कहने में शर्म महसूस करते हैं कि इस एरिया में भुखमरी है और गरीबी है। वहां के लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिये सब से पहले अपना कदम उठाया था और तलवार के नीचे अपना सर झुकाया था, परन्तु दूसरे की गुलामी को मंजूर नहीं किया। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वहां पर लाखों की तादाद में, ७५ फीसदी लोग ललितपुर सब-डिवीजन के महुआ और बेर खाकर दिन गुजारते हैं। अगर वहां पर सिंचाई के साधन पैदा हो जायं तो वह जमीन काश्त के काबिल हो सकती है और उस उपजाऊ जमीन में अन्न भी अधिक पैदा हो सकता है जिससे अन्न की समस्या हल हो सकती है।

वहां पर सरकार की तरफ से सर्वे हो रहा है और उसके बाद वहां पर कुछ काम किया जायगा। मैं यह समझता हूं कि सिंचाई के लिये बांध या छोटे छोटे तालाब बनाये जायं तो उनसे सिंचाई अधिक हो सकती है। वहां पर एक जामुनी नदी है अगर उस पर भौंटा बांध बना दिया जाय तो वह ऐसी नदी है कि उसकी नहर से महरौनी तहसील का बहुत एरिया सींचा जा सकता है। एक नारायणी नदी ग्राम पिपरई में है जिसका सर्वे हो चुका है और उसके लिये कुछ रुपया भी खर्च हो चुका है। अगर उस पर भी बांध बना दिया जाय तो सिंचाई की समस्या हल हो सकती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर इन दोनों बांधों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में ले लिया जाय तो वहां की पानी की समस्या हल हो सकती है।

ललितपुर सब-डिवीजन के पाठागौरी गांव में बांध बनाया गया था जिसको बने हुए ६,७ वर्ष हो गये हैं। वहां पर जो बांध टूट गया था उससे गौला किसान का बहुत नुकसान हो गया था। उसको अभी तक मुआविजा नहीं मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसका मुआविजा शीघ्र दिलाया जाय।

मुचेरा तालाब के लिये बजट में रुपया दिया गया है। सरकार से उसकी मंजूरी हो चुकी है और उसके लिये एस्टीमेट भी हो चुका है पर उस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं उस पर जल्दी से काम शुरू करा दिया जाय। मैं, जो अनुदान सरकार की तरफ से पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमान् जी, जब पानी नहीं है तब तो पानी बरसता है। चैत फागुन में पानी बरसता है। ऐसी इस सरकार की चीज है कि जब पानी की जरूरत पड़ती है तब पानी नहीं मिलता है और जब पानी की जरूरत नहीं तब पानी मिलता है। इसी तरह से सरकार की तरफ से रजबहे अक्टूबर में चलते हैं। यह सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऊंचे दिमाग की बन गई है। 'अन्धे के आगे रोना और अपनी आंखें खोना' बस यही बात है। यह सरकार भी अंधी है और हम भी अन्धे हैं, न इधर के लोगों को सूझता है न उधर के। हमारे यहां का रजवाकुरसंडा, सादाबाद, जिला मथुरा सिर्फ अक्टूबर के महीने में चलता है और उस समय भी किसान को एक पानी के बाद कोई पानी नहीं मिलता है। इस के कारण वे लोग पहले जो कुंए से सिंचाई करते थे, वह भी बन्द हो गयी है और आबपाशी पूरी ली जाती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि वहां पिछले ५ साल में जो पूरी आबपाशी ली गयी है सरकार उसे वापस करने की मेहरबानी करे। हमारी तनख्वाह में अगर बाढ़ आये, ओला पड़े, सूखा पड़ जाय, वह दो सौ रुपये से घट कर १०० रुपया रह जाय तो हमें मालूम पड़े कि किसान की क्या हालत होती है। 'जाको न फटी पैर बेवाई, वा का जाने पीर पराई'। सरकार में ही पानी नहीं है तो नहरों में पानी कहां से आ सकता है। मेरा अनुरोध है कि रजवाकुरसंडा, सादाबाद, जिला मथुरा में ५ साल से जो आबपाशी ली जाती है उसमें से आधी किसानों को वापस की जाय और नहीं तो उसे बराबर कर दिया जाय। हम कोई गुरेज नहीं करेंगे। हम भले ही कुंए से सिंचाई कर लें, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहेंगे। अभी हम न इसमें और न उसमें। हम कुछ कहना चाहें तो ५ मिनट बोलें और ज्यादा कहें तो निकल जाओ, और वे लोग बोलें तो कुछ नहीं। किसान को बोलने के लिये मिलें कुल ५ मिनट। यह क्या सदन की मर्यादा है। हम शेरों को जो अंग्रेजों को सदा ठोकर मारते रहे उनको तो बोलने के लिये ५ मिनट ये जो सियार शेर बने बैठे हैं उन को २५ मिनट दिये जाते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है! मैं आप के द्वारा अनुरोध करता हूं कि अगर नहर में पानी समय से नहीं चलता है तो सरकार उसे बन्द कर दे, किसान अपनी सिंचाई जैसे चाहे करालेगा। अगर सरकार निकम्मी हो जायगी तो लोग निकम्मे नहीं बने रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––समय समाप्त।

श्री गयूर अली खां (जिला मुजफ्फरनगर)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से रामस्वरूप वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस बात को कौन नहीं जानता कि हमारे देश और प्रदेश की गिजाई सूरते हाल एक नाजुक दौर से गुजर रही है। इन हालात का मुकाबला करने के लिये और गिजा की पैदावार बढ़ाने के लिये यह जरूरी हो जाता है हमारे लिये कि हम अपनी खेती की पैदावार में इजाफा करें। मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश की ७५ फीसदी आबादी इसी खेती पर मुनहसर है। इन लोगों के स्तर को ऊंचा करने के लिये यह जरूरी है कि हम अपनी खेती की पैदावार को बढ़ावें और गिजा के संकट को जिससे हमें रोज-रोज दो चार होना पड़ता है खत्म करें।

श्रीमन्, खेती का सबसे जरूरी अंग सिंचाई है। अगर सिंचाई के साधन अच्छे नहीं हैं और पानी मयस्सर नहीं है तो खेती की पैदावार को बढ़ाना नामुमकिन है। हमें काश्तकारों को सिंचाई के साधन देने के लिये या तो नहरों की तरफ देखना पड़ेगा या ट्यूबवेल्स का आसरा करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे प्रदेश में सिंचाई के साधन बहुत कम हैं और तकरीबन १५ फीसदी रकबा इस प्रदेश का ऐसा है जिस पर सिंचाई हो सकती है। सिंचाई के लिये हमें नहरों या ट्यूबवेलों पर ही मुनस्सर रहना पड़ता है। लेकिन होता क्या है? जब नहरों में ही पानी न आ रहा हो, ट्यूबवेल ही न चल रहे हों, तो काश्तकार कैसे अपनी फसलों के लिये पानी पा सकता है? अक्सर काश्तकारों की फसलें पानी न मिलने के कारण ही खराब होती हैं।

[श्री गयूर अली खां]

श्रीमन्, मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारे यहां जो नहर जमन शर्की है, उस नहर में पानी बहुत कम आता है। उसमें ६-६ और ४-४ हफ्ते पानी नहीं आता है और बड़ा नुकसान होता है । नतीजा यह होता है कि खेती सूख जाती है । श्रीमन्, मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ काफी तवज्जह दें और इस नहर को चौड़ा भी करायें । इसके अलावा इस नहर के किनारे-किनारे ट्यूबवेल्स लगाये जायं ताकि वहां पर जो चोश्रा है वह खत्म हो सके और नहर का पानी बढ़ सके ।

श्रीमन्, हमारे इस इलाके में बहुत से पुराने कुंएं पड़े हुये हैं जो नहर की वजह से बिल्कुल बेमरम्मत हैं और चूंकि पानी की बहुत ज्यादा कमी है इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि इन कुओं की तरफ तवज्जह दी जाय ताकि इनसे आपबाशी का काम लिया जा सके । मान्यवर, इसके अलावा नये कुंओं की भी बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे इलाके में क्योंकि तकावी देते वक्त अक्सर सरकारी कर्मचारी यह कहते हैं कि जो रकबा नहर से सींचा जाता है उसके लिये तकावी नहीं दी जा सकती। मैं, श्रीमन्, गुजारिश करूंगा कि इस तरफ काफी ध्यान दिया जाय । मान्यवर, जब मैं शिकायत करता हूं कि नहरों से पानी नहीं मिल रहा है, फसलों को नुकसान हो रहा है, तो यह जवाब दिया जाता है कि दरिया पानी नहीं दे रहा है या यह कि दिल्ली शहर के लिये पानी की जरूरत है । इसलिये पानी नहीं दिया जा सकता है । लेकिन क्या हालत होती है उन किसानों की जिनकी खड़ी फसलें बरबाद हो जाती हैं ? इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि सरकार नहर में पानी बढ़ाने के लिये कोई न कोई प्रयत्न करे । श्रीमन्, आजादी मिलने से पहले बड़े-बड़े नेताओं से अक्सर यह कहतेहुये सुना कि गंगा हमारी है, जमना हमारी है । गंगोत्री से यह नदियां निकलती हैं। और जिन मैदानों से होकर ये बहती हैं, वह भी हमारे हैं, तो अंग्रेजों के मुताल्लिक कहा जाता था कि उनको आबपाशी लगाने का क्या हक है ? लेकिन मैं देखता हूं कि हिन्दुस्तान आजाद हो गया और अब भी आबपाशी के महसूल में दुगुनी, तिगुनी तरक्की हो गयी है, कोई कमी नहीं हुई । मैं यह अर्ज करूंगा कि वह अपने पुराने वायदों को याद रखें और महसूल में तखफीफ करें ताकि काश्तकारों की भलाई हो सके और आबपाशी की ३ आने रुपये की जो छूट दी है उसको हमेशा के लिये मुस्तकिल कर दें ।

मान्यवर, ऐसे बहुत से ट्यूबवेल इस वक्त तक हैं जिन में आज तक बिजली नहीं पहुंच सकी और नतीजा यह हुआ कि वह अब तक वैसे ही पड़े हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इन ट्यूबवेल्स में बिजली देने की कृपा करें ताकि वह काम में आ सकें और उनसे फसलों को फायदा हो सके और पैदावार में इजाफा हो सके ।

मान्यवर, हमारे इस विभाग में काफी अखराजात हो रहे हैं और गैर-जरूरी पोस्ट्स बहुत सी बढ़ा दी गयी हैं। इसमें कई कई चीफ इंजीनियर रख दिये गये हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं । मैं समझता हूं कि जब हमारे माननीय मंत्री जी कई विभाग के मंत्री रह कर उनको चला सकते हैं तो क्या वजह है कि इस विभाग में एक ही चीफ इंजीनियर रखकर काम नहीं चलाया जा सकता ।

मान्यवर, बड़े-बड़े वैगंस और गाड़ियां इस विभाग के लिए जो फराहम की जाती हैं, इकोनामिक कमीशन की यह रिपोर्ट है कि ये वापस की जायं और यह स्टाफ गाड़ियां वापस की जायं ताकि जनता के ऊपर आबपाशी के जरिये इस कदर बोझ न पड़े जितना कि अब पड़ रहा है ।

इन अल्फाज के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई विभाग के अनुदानों का सम्बन्ध है, कल से इस पर बहस हो रही है और जो माननीय वर्मा जी ने कटमोशन यहां पर पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं ।

उधर के बैठने वालों ने और इधर के बैठने वालों ने बहुत सी बातें कहीं । संक्षेप में मैं उन पर प्रकाश डालना चाहता हूं । माननीय वर्मा जी ने निवेदन किया कि जब से हम आजाद हुए हैं तब से लेकर आज तक प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश में जहां तक आबपाशी के साधनों का सम्बन्ध है यह प्रदेश पीछे गया है, आगे नहीं । मान्यवर, यह बात गलत है । अगर हम आंकड़ों को देखें तो १९४६ में १७,८२५ मील के करीब चैनल्स थे और १,८४७ के करीब स्टेट ट्यूबवेल्स थे । उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना बनने से पूर्व ७८ लाख एकड़ के करीब आबपाशी के साधन उपलब्ध हुए, जिसमें कि ७१.०५ लाख के करीब इर्रीगेशन हुआ और बहुत सी स्कीमें लागू हुईं । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ४,००० मील नयी चैनल्स बनायी गयीं और मान्यवर, २,८०० ट्यूबवेल बनाये गये । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में इस सदन के अन्दर जब हम १९६०–६१ का बजट पेश कर रहे हैं, जहां तक एकड़ जमीन की आबपाशी का सम्बन्ध है, मान्यवर १२१·१५ लाख एकड़ के करीब आबपाशी होगी और ३० प्रतिशत के करीब बढ़ोत्तरी हुई है । इसलिये यह कहना कि पिछले पांच या दस साल के दौरान में इस प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ और आबपाशी के साधन घटे हैं, गलत बात है ।

कल माननीय रघुबीर सिंह जी कह रहे थे कि ३० प्रतिशत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आबपाशी के साधन बढ़ तो जायेंगे लेकिन वह सरकार के द्वारा नहीं । सरकार के द्वारा तो केवल १७ प्रतिशत ही बढ़ा बाकी किसानों ने अपने लिये अपने आप पैदा किया है । उन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि हमारे यहां पिछले वर्ष और इस वर्ष भी छोटी-छोटी स्कीमें लागू की गयीं और किसानों के लिये तकावी का इंतजाम किया गया, छोटे-छोटे कुंओं से आबपाशी का इंतजाम किया गया, कम्युनिटी ब्लाक्स, इंटेंसिव ब्लाक्स इत्यादि के जरिये से काम जो हुआ है पिछले दो तीन सालों के दौरान में उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । जो कम्युनिटी डेवलपमेंट्स को पैसा दिया है वहां पर गूल वगैरह बनाने के लिये जो छोटे-छोटे सिंचाई के साधन हो सकते हैं उनको ठीक करने के लिये तो वह पैसा भी किसानों का नहीं है सरकार के द्वारा दिया गया है, तो यह कहना कि वहां सिर्फ १५ या १७ फीसदी सरकार के द्वारा बढ़ाया गया, गलत है ।

दूसरे यह कहा गया कि इस दौरान में प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बढ़ा । मेरे पास आंकड़े हैं । हमारे प्रदेश में गेहूं और चावल का प्रोडक्शन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है यद्यपि शुगरकेन भी है, लेकिन मैं जो यहां आंकड़े दे रहा हूं वह टन्स में दे रहा हूं । सन् १९५०–५१ में ह्वीट २६.७९ था, राइस १९.६७, और दूसरी फसलें थीं ६५.८५ । सन् १९५३–५४ में जब कि यह योजनायें चल रही थीं ह्वीट ३१.०५ हो गया, राइस २२.५५ हो गया और जो दूसरी फसलें थीं उनमें ६६.६४ के करीब हो गया । ५८–५९ में ह्वीट ३०.३६ रहा, चावल २९·८४ हो गया । इस प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर १९५०–५१ और ५८–५९ के आंकड़ों को देखा जाता है तो ह्वीट और राइस दोनों में काफी पैदावार हुई । अब पैदावार तो गई लेकिन यह क्या कभी सोचा गया कि किस तरह से इस दौरान में आबादी बढ़ी है ? क्या पाकिस्तान बनने के बाद लोग उधर से इधर नहीं आये, क्या इस तरीके की चीजें नहीं पैदा हुईं ? तो यह कह देना कि प्रोडक्शन घटा है और पैदावार नहीं हुई बिल्कुल गलत है । इस दौरान में आबपाशी के साधन और पैदावार दोनों बढ़े हैं । इतना

[श्री धर्मसिंह]

ही नहीं, पोटैटो भी प्रोडक्शन में शामिल है तो ५०–५१ में वह ६·३० लाख टन था अब ५८–५९ में ७·५४ लाख टन के करीब उत्पादन हुआ है। . इतना ही नहीं, आयल सीड ७.६७ पैदा होता था वह अब ९.९६ लाख टन के करीब पैदा हुआ। जूट में इन्क्रीज हुआ इतना ही नहीं, शूगरकेन में भी १७·३० लाख टन का प्रोडक्शन बढ़ा है। लिहाजा यह कह दिया गया कि गवर्नमेंट का बहुत पैसा आबपाशी के साधनों पर लग गया फिर भी पैदावार नहीं बढ़ी, लेकिन वह यह कहना भूल गये कि इस दौरान में आबादी भी बढ़ी। इसी तरह से आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जोकि किसानों के काम में आते हैं उनमें भी ५० फीसदी बढ़ोतरी हुई है।

एक बात यह कही जाती है कि ट्यूबवेल से ज्यादा आपबाशी नहीं होती, उसमें नुकसान हो रहा है और नहरों में भी नुकसान हो रहा है। श्रीमन्, ट्यूबवेल का पहले सर्वे किया जाता है, फिर बोरिंग में टाइम लगता है और उसके बाद बिजली का भी प्रबन्ध करना पड़ता है और उसके लिए गूल वगैरह भी बनवानी पड़ती हैं। इन सारी चीजों में समय लगता है। शुरू में काफी पैसा लगता है और उसके बाद में सिंचाई होती है। एक ट्यूबवेल का रिटर्न ५–७ साल के बाद मालूम हो सकता है। लिहाजा यह कह देना कि जितने भी सिंचाई के साधन उपलब्ध किये गये हैं उनमें घाटा ही घाटा है, ठीक नहीं है। जो नहरें ३० या ४० साल पहले बनाई गई थीं वह आज भी चली आती हैं और उनसे आज भी सिंचाई होती है। लिहाजा रिटर्न का पता एकदम नहीं मालूम हो सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के साधनों पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ा और कुछ योजनाओं को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी ले जाना पड़ा। इनमें कहीं पर एक्वीजिशन की दिक्कत आती है और दूसरी तरह की दिक्कतें भी होती हैं जिनकी वजह से काफी समय लग जाता है। प्लान का पैसा हमको भारतीय सरकार के द्वारा मिलता है, कभी उसके मिलने में भी दिक्कतें आ जाती हैं। दोहरीघाट और टांडा पम्प कैनाल, जिनका कि जिक्र किया गया, उनके सम्बन्ध में फारेन एक्सचेंज की भी दिक्कत रही। कहीं पर एक्वीजिशन के कागजात बनने में देर हो जाती है और कहीं पर मजदूर नहीं मिलते। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन तमाम दिक्कतों के होते हुये भी जहां तक सम्भव हो सका बहुत से प्रोजेक्ट्स को समय के अन्दर ही समाप्त करने की कोशिश की गई।

जैसा कि श्री नवल किशोर जी ने जिक्र किया कि कुछ प्रोजेक्ट्स में अधिक धन लगा, माताटीला का भी जिक्र किया और कहा कि समय भी अधिक लगा, उसमें मध्य प्रदेश से कुछ झगड़े थे, कम्पेन्सेशन के भी कुछ मामलात थे और उसमें इतना पैसा क्यों लगा, इसके लिये एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है। जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है उसने सिंचाई के मामले में कोई उदासीनता नहीं दिखाई है। जहां तक वहां ज्यादा रुपया लगने का सवाल है उसके लिये हमारा फाइनेन्स डिपार्टमेंट है, इर्रीगेशन का ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है और वहां पर कितना रुपया लगा, उसके क्या कारण थे इस सम्बन्ध में कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है और वह सरकार के विचाराधीन है। उस पर सरकार पूरे तरीके से छान-बीन कर रही है ताकि इस तजुर्बे से सरकार आगे फायदा उठा सके। सम्भव है चूंकि यह रुपये पैसे का सवाल है इसलिये इस रिपोर्ट को फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को रेफर करना पड़े।

मान्यवर, यह कहा गया है कि बाढ़ से संबंधित मामलों में बंगलिंग हुई, कम से कम मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। पिछले ४–५ सालों की अगर हमारे प्रदेश की हालत को देखा जाय तो और जो पूर्वी जिलों के रहने वाले माननीय सदस्य हैं वह इस बात को जानते होंगे कि प्रदेश बर्बाद हो गया, इतनी ज्यादा वर्षा हुई जितनी पिछले २०, २५ और ४० सालों में भी नहीं हुई थी। इस प्रदेश के इंजीनियरों ने रातदिन खड़े होकर काम किया। और इस तरह की बहुत सी स्कीमों को यहां पर लागू किया गया। उदाहरण

के लिये बाढ़ निरोधक जलाशयों की स्कीम, गांवों को ऊंचा करने की स्कीम, छोटे-छोटे पुलों, जिनके नीचे से पानी निकलता था और गांव डूब जाते थे, उनको ऊंचा किया गया, ग्रामों का रेंजिंग (ऊंचा करना) किया गया। यह काम पूर्वी जिलों के अलावा कहीं-कहीं पच्छिमी जिलों में भी किया गया। इसके बावजूद भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी कहीं हुई हो, लेकिन यह कहना कि जितना भी पैसा खर्च हुआ है उसमें सब में गड़बड़ी हुई है, यह गलत है। कटाव से भी रक्षा की गई और इतना ही नहीं इसी तरह से प्रदेश में जितनी भी बाढ़ या ड्रेनेज स्कीम्स थीं उनका बहुत कुछ काम हुआ है। चाहे हम महसूस करें या न करें केवल पिछले साल ही वर्षा नहीं हुई जैसी कि पहले होती थी और गांवों के चारों ओर पानी इकट्ठा हो जाता था। इन सारी दिक्कतों को दूर किया गया है और लोगों को लाभ पहुंचा है।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि भ्रष्टाचार बहुत है। इधर से उत्तर भी दिया गया। मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है पिछले ३ साल में किन्हीं इनएफीशिएन्सी, भ्राष्टाचार या अन्य कारणों से, कहीं सरकार को कोई कमी नजर आई कि कुछ गड़बड़ी है, तो सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही की। इस सम्बन्ध में १२ गजटेड अधिकारी मुअत्तल किये गये हैं और ४८ नान–गजेटेड अधिकारी मुअत्तल हुये हैं, इस तरह से कुल ६० गजेटेड व नॉन-गजेटेड अधिकारी भ्रष्टाचार या इनएफीशियेन्सी वगैरा के सम्बन्ध में हटाये गये हैं।

एक सवाल यह भी उठाया गया कि प्रदेश में जितनी भी नहर की या नलकूपों की कच्ची पटरियां हैं वह सब पक्की करा दी जायं, हम तो खुद यह काम कराना चाहते हैं, इसका सर्वे भी हम कराया। केवल पक्की कराने का एस्टीमेट ४७ करोड़ का है। यह ठीक है कि उससे लाभ होगा और स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ जायगा, लेकिन वह ४७ करोड़ रुपया कहां से आये यही सवाल है।

श्री होरीलाल जी ने कहा कि जहां तक गूलों की सफाई का सम्बन्ध है वह समय पर नहीं होती। मैं निवेदन करूंगा कि सफाई आम तौर पर समय से होती है, अगर वह किसी खास गूल का किसी गांव, तहसील या हेडक्वार्टर की गूल का जिक्र करते कि वहां पर फलां गूल की सफाई नहीं हुई और गड़बड़ी है तो मैं उसको दिखा लेता, लेकिन जनरली कह देना कि गूल की सफाई कहीं नहीं होती और उनका रेत नहीं निकाला जाता, यह बात गलत है।

इसके बाद मैं गंडक योजना के बारे में भी थोड़ा निवेदन करूंगा। यह योजना ३ सूबों से सम्बन्धित है और अब यह भारत सरकार को भेजी गई है, इस बजट में उसके लिये १५ लाख के करीब रखा गया है। और ५,००० के करीब रुपया सपलीमेंटरी बजट में भी सर्वे आदि के लिये रखा गया था। इसकी लम्बाई ८० मील के करीब होगी। ११ मील तो नेपाल में होगी और ६९ मील यू० पी० और बिहार में होगी। धान की सिंचाई उससे ३,७०,४८४ एकड़ में होगी। रबी में ७४,०९७ एकड़ की आबपाशी होगी और गन्ने की १,४८,१९४ एकड़ की सिंचाई होगी। जहां तक पैसे का संबंध है यू० पी० और बिहार का सम्मिलित २,९९२·१७ लाख रुपया के करीब व्यय होगा। जिसमें यू० पी० के द्वारा १,५४७·४१ लाख और बिहार के द्वारा १,४१४·७६ लाख व्यय होगा। इस योजना से गोरखपुर और देवरिया में काफी आबपाशी होगी और आशा की जाती है कि सिंचाई के मामले में दोनों जिले सेल्फ सफीशियेंट हो जायंगे।

[श्री धर्मसिंह]

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिमी जिले में सिचाई के साधन कम दिये गये हैं और पूर्वी जिलों में ट्यूबवेल आदि ज्यादा बनाये गये हैं। यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आयी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वी जिलों में उनसे बहुत थोड़ी आबपाशी हो रही है इसलिये पश्चिमी जिलों में ज्यादा बनाने चाहिये। यह ठीक है कि इस समय वहां कम आबपाशी हो रही है, लेकिन जब ये साधन वहां बन गये हैं अगर आज कम होती है तो आगे अधिक होगी। पूर्वी जिलों का यदि इतिहास देखा जाय तो पहले वहां ये साधन बहुत कम थे, न वहां कोई रजबहा था और न वहां कोई ट्यूबवेल ही था। इसलिये वहां इन साधनों की बहुत आवश्यकता है। यह भी ठीक है कि पश्चिमी जिलों में और भी होने चाहिये, उसके लिये हम प्रयत्न कर रहे है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जौनपुर जिले में कोई ट्यूबवेल नहीं बना। बने हैं वहां काफी और भी आवश्यकता है, थर्ड फाइव ईयर प्लान में उनके बारे में सोचा जा सकता है। बुन्देलखंड के लिये भी कहा गया कि वहां साधन बहुत कम हैं। वहां पर ४१ के करीब माइनर स्कीम्स लागू की गयी हैं। माताटीला योजना तो उस क्षेत्र के चार जिलों के लिये है। इसी सिलसिले में एक पंजाबी क्लर्क का भी जिक्र किया गया। एक बहुत छोटी सी बात को बड़ी भारी बंगलिंग का रूप दिया गया। कहा गया कि पंजाबी क्लर्क ने सरकार को शिकायत की थी, इसलिये उसको निकाल दिया गया। वह एक अनक्वालीफाइड क्लर्क था। उसकी शिकायत करने के बाद सरकार ने उस पर पूरी तरह से विचार किया और लोगों को मुअत्तिल किया। उसको तो वैसे ही पहले ही नोटिस मिलने वाला था, शिकायत उसने की इसलिये नहीं मिला। जिनको यह तहकीकात वगैरा सुपुर्द की गयी थी, श्री प्राग नारायण जी, उन्होंने कहा कि इसको मुअत्तिल कर दिया जाय, सरकार ने उनको मुअत्तिल नहीं किया बल्कि उसको मौका दिया। बाद में रिपोर्ट इस प्रकार की आयी कि जहां तक तहकीकात है उसमें उसकी आवश्यकता नहीं है, वह बिना उसके ही हो सकती है। स्वयं ही उसकी इंक्वायरी की जा सकता है। इसको बहुत से लोगों ने बताया कि २२ करोड़ का गबन हो गया, यह बात नहीं है। पंजाबी के खिलाफ भी शिकायतें थीं। समय की कमी के कारण इस समय मैं बता नहीं सकता। उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। उन के खिलाफ २१ ऐसी शिकायतें थीं जो सुबकमे के कर्मचारी के खिलाफ नहीं होनी चाहिये।

अन्त में मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह विभाग उल्लू भी पालता है। जहां तक बुन्देलखंड डिवीजन की बात है, कोई उल्लू नहीं पाला गया। मान्यवर, यह बिल्कुल गलत बात है, माताटीला में चूहे बहुत हैं और उन चूहों को मारने के लिये सरकार ने जैसा कि मैंने कहा कोई उल्लू नहीं पाल रखा है, लेकिन एक एक दो दो फर्लांग पर बांस की कुछ छतरियां खड़ी कर दी हैं जिन पर उल्लू अपने आप आकर बैठ जाते हैं और अपने आप उड़, भी जाते है। इसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ बांस की छतरियां खड़ी करने पर एक एक दो दो फर्लांग पर एक या दो दो रुपये का खर्चा है। ऐसे माताटीला बांध को जो चूहे काटते हैं, इन उल्लुओं की वजह से उस बांध को लाभ ही होता है क्योंकि वे चूहों को मार कर खा जाते हैं। लेकिन यह कहना कि सरकार ने उल्लू पाल रखे हैं, यह बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष---इसका मतलब है कि उल्लू भी सरकार की मदद करते हैं। (हंसी)

*श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामस्वरूप वर्मा ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज सिंचाई के अनुदान पर बहस हो रही है। सिंचाई मोटे तौर पर तीन चार तरीकों से होती है। नहरों से, ट्यूबवेल्स से, छोटे-छोटे कुओं से और ताल पोखर वगैरा से। आज इस कांग्रेसी सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने सिंचाई के इन छोटे छोटे साधनों की तरफ से अपनी आंखें मूंद रखी हैं। यों तो सिंचाई मंत्री जी निर्माण विभाग के भी मंत्री हैं। इसलिये मैं उनको सुझाव देता हूं कि वे ज्यादा से ज्यादा पैसा इन अनुदानों पर खर्च करें और मंत्रियों और बड़े-बड़े अफसरों के रहने के लिये मकान बनवाने में ज्यादा पैसा न लगायें। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि कांग्रेस सरकार के वजीरों को झोपड़ी में बैठ कर हुकूमत करनी चाहिये, लेकिन आज महात्मा गांधी की बात को उनके चेले भूल गये हैं और वे मंत्रियों तथा बड़े बड़े अफसरों के रहने के लिये ६०–६० और ७०–७० हजार के मकान बनवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष––इस ग्रांट से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, आप सिंचाई पर ही बोलें।

श्री रूमसिंह––मेरा मतलब यह है कि निर्माण विभाग से रुपया निकाल कर इस अनुदान पर ज्यादा खर्च किया जाय। श्रीमन्, सिंचाई मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि मंत्रियों तथा बड़े-बड़े अफसरों के लिये ६०–६०, ७०–७० हजार के बंगले न बनाकर उधर का रुपया बचा कर इधर लगाया जाय। यानी बड़ी-बड़ी योजनाओं की तरफ कम तवज्जह दें और सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं की तरफ ज्यादा तवज्जह दें। श्रीमन्, किसान नहरें और ट्यूबवेल्स की आशा में छोटे-छोटे कुओं और ताल पोखर से सिंचाई करना ही भूल गये। देहात में किसानों को ऐसा कुछ सहारा हो गया है कि हमारे यहां भी ट्यूबवेल्स बनेंगे, हमारे यहां भी नहरें बनेंगी, लेकिन वे सब अभी तक नहीं बनीं। इस सरकार का अपने अफसरों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। सरकार छोटे-छोटे कुओं के लिये जिले में कुछ तकावी के पैसे बांटती है, लेकिन वहां पर जो हाकिम परगना या जो अधिकारी होते हैं वे काश्तकारों को पैसा देते नहीं हैं और ऐसी हालत में वह पैसा व्यपगत हो जाता है। तो माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे बड़ी-बड़ी योजनाओं के बदले छोटी-छोटी योजनाओं की तरफ ज्यादा तवज्जह करें।

श्रीमन्, मैं शाहजहांपुर जिले की एक बात कहना चाहता हूं। शाहजहांपुर में बदायूं जिले से एक नदी का सोता आता है जो बहुत कम चौड़ा है। वहां पर कई साल से एक पक्का बांध बंधवाने की योजना चल रही है, लेकिन आज पांच साल के बाद भी वह बांध नहीं बन पाया है। पिलुआ टिंडई में भी एक पक्का बांध बन जाय तो उससे बहुत एकड़ जमीन सींची जा सकती है। किसान कभी कभी कच्चा बांध बनाकर अपना काम चलाते हैं, लेकिन सरकार को चाहिये कि इस बांध को पक्का बना देने की तरफ तवज्जह दे ताकि हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई की जा सके। इससे हमारे देश में अन्न की पैदावार भी बढ़ सकती है। उसी के दूसरी तरफ लक्ष्मणपुर एक गांव है, वहां भी ऐसी व्यवस्था करें तो बहुत-सा अन्न पैदा हो सकता है। ये सारी दिक्कतें वहां सिंचाई की व्यवस्था न होने की वजह से ही हैं। शाहजहांपुर में सूखा पड़ गया, लेकिन सिंचाई का कोई बन्दोबस्त तक नहीं है (लाल बत्ती जलने पर) अभी तो श्रीमन्, समय होगा ?

श्री उपाध्यक्ष––समय कम है, ७ मिनट में ही कह लें।

श्री रूमसिंह––सूखा पड़ गया फसल मारी गई। हमारे न्याय मंत्री कहते हैं कि हमने कलेक्टर को आदेश दे दिया है कि वह लगान इत्यादि की वसूलयाबी को मुलतवी कर दें। लेकिन वहां के अमीन जबर्दस्ती अभी का ही नहीं बल्कि रबी तक का लगान वसूल करते हैं। तो मेरा

[श्री रूमसिंह]

निवेदन यह है कि सिंचाई मंत्री जी छोटी-छोटी योजनाओं की तरफ ज्यादा तवज्जह दें। बड़ी-बड़ी योजनाओं की तरफ से कम करें। तभी पैदावार बढ़ सकती है और सिंचाई का क्षेत्र बढ़ सकता है।

सिंचाई विभाग में बहुत धांधली चल रही है। एक हरिजन भाई हैं। उनका नाम है खरगी। उतरटिया में रहते हैं। परगना बिजनौर, तहसील मोहनलालगंज और जिला लखनऊ है। उनके पास ५ बीघा जमीन थी। सिंचाई विभाग ने ६-७ साल का असी हुआ ले ली थी। लेकिन आज भी उस बेचारे पर लगान पड़ता है। मुआवजा बहुत कम दिया गया है और दूसरे को दे दिया गया है। उसने सब जगह अपनी आवाज पहुंचाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरीके की धांधली को खत्म किया जाय और गरीब आदमियों के ऊपर जो बेजा वजन पड़ रहा है उसे दूर किया जाय। अन्त में मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि छोटी-छोटी योजनाओं पर ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये। छोटे छोटे कुओं के लिये, तकावी के लिये ज्यादा अनुदान रखा जाय ताकि हर क्षेत्र में सिंचाई का बन्दोबस्त हो सके। आबपाशी का रेट बहुत बढ़ गया है उसे भी कम किया जाय।

*श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे धर्मसिंह जी के बाद बोलने का समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष---यह बात सही नहीं है। रूमसिंह जी बीच में बोल चुके हैं।

श्री जगवीरसिंह---मुझसे पहले वह बोल चुके हैं। मैंने धर्म सिंह जी को बहुत गौर से सुना मुझे आशा थी कि एक-दो बात वह अपने भाषण में जरूर कहेंगे, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है कि उन्होंने जिक्र नहीं किया। इतना संकेत जरूर किया कि ट्यूबवेल के बनने में कुछ समय लगता है। अगर यह बतला दिया होता कि एक ट्यूबवेल के बनने में कितना समय लगता है तो मैं आभारी होता। मुझे मालूम है कि उनके महकमे के ट्यूबवेल जो ७-८ साल पहले बन चुके थे, बिजली न पहुंचने की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। अगर यही रवैया रहा तो मुझे आशा नहीं है कि प्रदेश के किसानों को राहत मिलेगी...

श्री उपाध्यक्ष---कहां का है ?

श्री जगवीरसिंह---गुलावटी का है। कई दफा सवाल भी कर चुका हूं। सरकार कहती है कि हर चीज के लिये समय की आवश्यकता है। मुझे विश्वस्त रूप से मालूम हुआ है कि हमारी सरकार को मालूम नहीं है कि वह ट्यूबवेल किस महकमे से और किस तरीके से बना दिया गया। माननीय मंत्री जी बतावें कि वह ट्यूबवेल किस महकमे से और कैसे बनाया गया और क्या कारण था कि ७ साल तक इलेक्ट्रीफाई नहीं हो सका ?

हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जब बोल रहे थे तो कुछ उन्होंने आंकड़ों के जाल की बात की। कहा कि प्रोडक्शन बढ़ा है। मेरा कहना है कि जब से हमारी कांग्रेस सरकार का रिजीम आया है, प्राडक्शन घटा है, बढ़ा नहीं। अगर भ्रम हो तो मैं आंकड़े दिखा दूंगा। अगर बहुत आवश्यकता हो तो पिछले वर्ष की मेरी कृषि की स्पीच पढ़ ली जाय। जहां तक इरिगेशन की बात है मैं दो, तीन बातें कह देना चाहता हूं। हमारी सरकार का ध्यान बड़ी स्कीम्स की तरफ ज्यादा है, छोटी स्कीम्स की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। सरकार को चाहिये कि छोटे-छोटे कुओं की तरफ, जो पुराने खराब हालत में और कच्चे पड़े हुये हैं उनके लिये किसान को कुछ सबसिडी देकर किसान को इस लायक बनाये कि वह नहर या ट्यूबवेल के आसरे न रहे स्वयं उन कुओं से पानी लेकर सिंचाई कर लिया करे। इस तरह से खेती की पैदावार बढ़ सकती है।

आज सदन में रेट्स का बड़ा जिक्र सुना। मैं उन अभागे पश्चिमी जिलों से आता हूं जिनको बहुत ही मालदार कहा जाता है और समझा भी जाता है। हर मामले में कहा जाता है कि बहुत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मालदार हैं, मालूम नहीं उनसे कितना ले लिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता किस तरीके से उन जिलों में कुछ और टैक्स हैं और दूसरे जिलों में कुछ और हैं। मुझे आपत्ति नहीं हमारे पूर्वी जिलों में टैक्स म.फ हों, या वहां कम लिये जायं, लेकिन जिस पानी के लिये जितना टैक्स प्रान्त के किसी भी कोने में हो दूसरी जगह भी उतना ही टैक्स होना चाहिये। यही मेरा अनुरोध है।

सरकार का अजीब तरीका है कि ट्यूबवेल के पानी का असेसमेन्ट किसी और तरीके से और नहर के पानी का असेसमेंट किसी और तरीके से। टैक्स इस बात का होना चाहिये कि पानी कितना किसान को मिला और किस वक्त मिला। पानी छोड़ा जाता है जब देख लिया जाता है, हमारे अधिकारी सोच लेते हैं कि अब तो पलेवा का समय आ गया है लेकिन यह ध्यान नहीं रखा जाता कि जिस चीज का पलेवा हमने कराया है उसको पूरा पानी दे सकते हैं या नहीं। इससे किसान को बड़ी तकलीफ होती है। मैं बताना चाहता हूं ऐसा होता है, मैं नहर गंग का जिक्र कर दूं कि ५,६ हफ्ते रजबहे बन्द हो गये फसल के पकने के वक्त। आखिर क्यों? हमारा मंशा यह तो नहीं है कि एकरेज दिखाने के लिये सिर्फ पानी दे दें और फिर उसका खयाल न रखा जाय। मंशा तो हमारा यह है कि पैदावार बढ़े। लेकिन पैदावार बढ़े कैसे? जिस समय किसान को पानी की जरूरत होती है उस वक्त पानी नहीं नहर में दिया जाता। मैं कहता हूं कि किसान को अगर पैदावार बढ़ाने के लिये अच्छे साधन समय से मिल जाते हैं तो १०० फीसदी तक पैदावार बढ़ जाया करती है।

दो, तीन बातों का और नहर के मुताल्लिक जिक्र करना चाहता हूं जो कि बिल्कुल किसान की बातें हैं और उनका जिक्र अभी तक नहीं किया गया। एक चीज ओसराबन्दी होती है। मालूम नहीं किस कानून से ओसराबन्दी की जाती है? एक किसान का खेत बिल्कुल टेल पर है लेकिन पानी लेकर आता है बिल्कुल रजबहे के मुंह से और जितना उसको वार मिलता है उतना पानी रास्ते में ही खत्म हो जाता है। मुझे जी० के० अग्रवाल जी का वह भाषण याद आ गया जो उन्होंने बख्शी के तालाब पर दिया था जिसमें कहा था कि बड़े लीगल तरीके इस्तेमाल करते हैं कुछ मामलात में। मैं जानना चाहता हूं कौन-सा इंसाफ ह आपका, गांव में उसे बराहशामिल कहते हैं, अगर मेरा और आपका खेत मिला-जुला है और आप अपने खेत की आबपाशी करने के लिये पानी लाते हैं और मैंने तमाम साल में एक दफा भी आबपाशी नहीं की, सिर्फ दूसरे के खेत से मिला हुआ खेत होने का गुनाहगार हूं, तो मेरे ऊपर भी आबपाशी लग गई। मैं नहीं समझता कि जब आबपाशी नहीं की तो टैक्स क्यों लगाया जाय? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। सीधे सादे किसान इस कानून के शिकार होते हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। जिस वक्त अमीन जाता है या पतरौल जाता है तो कहते हैं कि इसको हम बचा सकते हैं अगर आप हमसे कुछ हिस्सा बांट लें। करप्शन शुरू होता है वहां से जिस समय कि पर्ची बंट जाती है और कहा जाता है यह पर्ची गलत बाट दी। ठीक कराना है तो उसके लिये पैसा दे दिया जाय। किसान अगर पैसा नहीं देता है तो उसको १ के बजाय २ रुपये देने होते हैं। मंत्री महोदय इन दो बातों की ओर विशेष कर ध्यान देंगे।

श्री अबदुस्समी (जिला सुल्तानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें मुझे कहनी हैं। एक तो यह कि जो सिंचाई वाली किताब मिली है इसको पढ़ कर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सुल्तानपुर जिले को उसमें कोई जगह नहीं दी गयी। लेकिन इससे पहले इस सिलसिले में वहां कई चीजें

[श्री अब्दुस्समी]

आ चुकी हैं। पुराने जो मिनिस्टर थे राममूर्ति जी वह खुद सुल्तानपुर गये थे और बाज जगहों को उन्होंने खुद देखा था और इस नतीजे पर वे पहुंचे थे कि यहां ट्यूबवेल होना जरूरी है। लेकिन इस किताब में हमारे यहां कोई ट्यूबवेल्स नहीं रखे गये हैं। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि हमारे जिले को ट्यूबवेल्स जरूर दिये जाय।

हमारा जिला कोई बड़ा शहर नहीं है। सुल्तानपुर शहर की आबादी कुल २०, २२ हजार है। बाकी आबादी देहात में बिखरी पड़ी है। इसलिये जो जमीन काश्त के लिये मिलती है वह बेहद कम मिलती है। कोई तीन एकड़ फी खानदान हमारे जिले में जमीन पड़ती है। हमारे जिले में कोई सनअत, दस्तकारी या उद्योग नहीं है। सिर्फ खेती पर गुजर होती है। एक जरिया था फौजी मुलाजिमत। बदकिस्मती से वह भी बहुत हद तक खत्म हो गया है। हमारे यहां ५० हजार बीघा जमीन बेकार पड़ी है। वह इस तरह से कि बड़े-बड़े तालाब हैं हजार बीघा, डेढ़ हजार बीघा के। उनमें पानी की निकास नहीं है और बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है और वह तालाब की जमीन खराब हो जाती है और जमीन पानी के नीचे डूब जाती है और फसलें तबाह हो जाती हैं। अगर नालियां निकाल दी जायं जिनसे पानी निकाला जा सके तो २०,२५ हजार बीघा जमीन तो तालाबों से निकल आये और जो जोती बोई जाती है वह भी काम में आ जाय। तो इस तरह से ५० हजार बीघा जमीन हमारे जिले को मिल सकती है और जो भूमि हीन है उनको काफी मदद मिल सकती है और जिले का एक बहुत बड़ा सवाल हल हो सकता है। वही दो बातें मुझे कहनी थीं।

श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि कई दिनों के प्रयत्न करने के बाद आज मुझे इस सदन में बोलने का मौका मिला और मैं माननीय मंत्री जी के इस अनुदान का समर्थन करता हूं। सभी लोगों को विदित है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहां की अधिकांश जनता कृषि पर ही अपना जीवन मुनहसिर करती है। अपने देश में अन्न इतना कम है कि जब कभी सूखा पड़ जता है तो अन्य देशों से अन्न मंगाना पड़ता है। इसलिये अन्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार का कर्त्तव्य है कि वह जनता की ज्यादा से ज्यादा सहायता करे। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि १२ वर्ष के अन्दर सिंचाई की व्यवस्था में काफी तरक्की हुई है। अंग्रेजों की हुकूमत जब थी तो ये सारी सुविधायें नहीं मिली हुई थीं। उस समय न कुएं खुदवाने की सुविधा थी, न ट्यूबवेल लगाने की सुविधा थी, न इतनी नहरें बनी थीं। लेकिन सरकार धन्यवाद की पात्र है कि १२ वर्ष के अन्दर उसने काफी प्रगति सिंचाई के सम्बन्ध में की है।

इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार ने प्रदेश के कोने-कोने में, प्रत्येक गांव में सिंचाई के लिये कुयें की व्यवस्था की है। इससे भी कोई इन्कार नहीं कर सकता कि सरकार ने सिंचाई की सुविधा के लिये काफी ट्यूबवेल्स की व्यवस्था की है। यही नहीं, एक बड़ी लम्बी चौड़ी स्कीम सरकार ने नहर की निकाल दी है। इस सबसे किसानों को काफी सुविधा मिलेगी। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, यह बात छिपी हुई नहीं है कि आपका बलिया जिला, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में काफी भाग लिया, नये-नये निर्माण के कार्यों में उतना ही सबसे पीछे रह गया है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बात की ओर विशेष ध्यान रखें कि राजधानी से जो भी स्कीमें हर जिले के लिये निकाली जाती हैं मेरा खयाल है कि लखनऊ से चल कर बलिया के पूर्वी क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते वह सारी स्कीमें समाप्त हो जाती हैं और बलिया जिला उन सारी सुविधाओं से वंचित रह जाता है। इसलिये मंत्री जी बलिया जैसे पिछड़े जिले की तरफ विशेष ध्यान रखें ताकि वह जिला उपेक्षित न रह जाय।

इसके साथ-साथ मैं एक और प्रार्थना करता हूं कि हमारे जिले के उत्तरी छोर में श्रीनगर-तुरतीपार बांध और घाघरा के बीच स्थान में सैकड़ों गांव बसे हैं, लेकिन उनकी सिंचाई के लिये

सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। न तो वहां ट्यूबवैल की व्यवस्था है, न नहर की व्यवस्था है और न समुचित कुओं की ही व्यवस्था है। इसलिये सरकार से प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान देकर उन गांवों में सिंचाई का प्रबंध करने की कृपा करे।

इसके अलावा घाघरा के किनारे कठौरा एक गांव है जहां एक इतना जबरदस्त नाला पड़ता है कि वह अकेले १४ गांवों की फसलों को बरबाद करता है। सरकार की रिपोर्ट है कि उस बांध के टूट जाने से लाखों रुपये की क्षति होती है। आज मैं तीन साल से उस बांध पर रेगुलेटर लगाने के लिये सरकार से प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मुझे दुःख है कि अभी तक सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बरसात के पहले उस रेगुलेटर को बनवा देने की कृपा करें ताकि उन १४ गांवों के लोगों को राहत मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

***श्री रामकुमार वैद्य** (जिला मुरादाबाद)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मेरा उद्देश्य इस सम्बन्ध में नीति का ब्योरा देना अथवा समालोचना करने का नहीं है। समय अपर्याप्त है किन्तु फिर भी आपने जो समय मेरे लिये निर्धारित किया है उसी में कुछ सामान्य सुझाव अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। मैं मुरादाबाद जिले के अमरोहा क्षेत्र से आता हूं। दुर्भाग्य से अमरोहा सन् ५४-५५, ५५-५६, ५६-५७ और ५७-५८, इन वर्षों में निरन्तर बाढ़ और अतिवृष्टि से पीड़ित रहा है। दुर्भाग्य से मेरा क्षेत्र बिजनौर जिले की भूमि से कुछ नीचे पर है जिसके कारण अमरोहा और बिजनौर में जब साथ-साथ अतिवृष्टि होती है तो बिजनौर जिले का बहुत-सा पानी अनियंत्रित रूप से बहता हुआ अमरोहा के सैकड़ों गांवों को डुबा देता है और इस तरह निरन्तर चार वर्षों से, इस वर्ष को छोड़ कर, हमारे क्षेत्र में बहुत बाढ़ आती रही है।

पिछले सिंचाई मंत्री, माननीय चरणसिंह जी सन् ५८ की बाढ़ के बाद उस क्षेत्र में गये थे और उन्होंने एक इस तरह का आदेश दिया था कि उस क्षेत्र का, बिजनौर और मुरादाबाद के कुछ भागों का सर्वे किया जाय। वह सर्वे हुआ भी और जहां तक मुझे ज्ञात हुआ एक योजना वहां के लिये थी कि एक कच्चा नाला बना दिया जाय जिससे कि क्षेत्र का अधिक पानी बहता हुआ निकल जाय और किसी नदी में गिर जाय। मैं नहीं जानता कि इस योजना का क्या हुआ? मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान देंगे और इस तरह की व्यवस्था कर दी जायगी जिससे उस क्षेत्र में जो बाढ़ का पानी आता है उसके निकासी का प्रबंध हो जाय।

दूसरी बात यह है कि ५७-५८ में मुरादाबाद जिले में बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी और ट्यूबवेलों की नालियां टूट गई थीं। उनके टूट जाने से ट्यूबवेल्स के होते हुये भी किसान पानी नहीं ले पाता है। इसलिये कि अगर कोई नहर एक मील लम्बी है और वह २०० गज टूट गई है तो उसको मरम्मत नहीं कराई गई है। मैंने मुरादाबाद जिले के सिंचाई इंजीनियर से कहा और एक सज्जन को मौका दिखाया। उन्होंने बताया कि हमारे विभाग से इस काम के लिये रुपया आया है कि नई नहरें बनाई जायं लेकिन मरम्मत के लिये कोई आदेश नहीं हैं। एक तरफ तो सिंचाई के साधन बढ़ाये जा रहे हैं, नये नये कुयें स्थापित किये जाते हैं लेकिन जो पुराने टूट गये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकुमार वैद्य]

हैं उनकी मरम्मत नहीं करायी जाती है। इससे किसान को तो नुकसान होता ही है साथ-साथ सरकार को भी नुकसान होता है क्योंकि सिंचाई के रूप में जो पैसा सरकार को मिलता उससे वह वंचित रह जाती है।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र ६ प्राकृतिक भागों में है और उसमें तीन नदियां बहती हैं। जब वर्षा अधिक होती है तो पानी बहने लगता है और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि जो पानी बिजनौर से आता है वह मेरी तहसील को ही नहीं बल्कि हसनपुर तहसील के एक बहुत बड़े भ-भाग को डूबा देता है और उससे सारी फसल नष्ट हो जाती है और दूसरी फसल की बुआई भी नहीं हो पाती है। इस लिये माननीय मंत्री जी को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। इस पर करोड़ों रुपये के व्यय का प्रश्न नहीं है बल्कि एक कच्चे नाले के रूप में व्यवस्था की जा सकती है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी आवश्यक कार्यवाही करने के लिये अधिक उदारता दिखायेंगे।

माननीय मंत्री जी के पास सौभाग्य से दोनों विभाग हैं इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि बिजली देने में जो कृपणता का व्यवहार किया जा रहा है वह उसमें परिवर्तन करें। इसलिये कि यदि हम सोचते हैं कि जगह-जगह सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये तो हमें उदारतापूर्वक सिंचाई के लिये बिजली देनी चाहिये। लेकिन सरकार की पालिसी इसके विपरीत है। औद्योगीकरण के लिये तो बिजली दी जाती है लेकिन सरकार यह क्यों नहीं सोचती है कि औद्योगीकरण भलीभांति तभी हो सकता है जब अन्न का उत्पादन अधिक हो। इसके बिना औद्योगीकरण की सारी योजनायें रखी रह जायगी। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम सिंचाई की उपयोगिता के लिये जल्दी से जल्दी उदारतापूर्वक बिजली दिलाने की भी व्यवस्था करें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रगट करता हूं जिन्होंने सीधे या येनकेन प्रकारेण हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

श्रीमन्, मैं खास तौर से माननीय नवलकिशोर जी का आभारी हूं जो हमारे आंकड़ों की पूरी तरह से पुष्टि करके, उन्हीं तथ्यों पर पहुंचे।

कल मैंने जो सरकार की शक्ल रखी थी वह बहुत अच्छी बना कर रखी थी क्योंकि मैंने उत्पादक नहरों की कम वृद्धि पर अधिक जोर न देकर अनुत्पादक नहरों की बेतहाशा वृद्धि को साधारण तरीके से वर्णन किया। जब हमने यह आंकड़े लिये कि कितनी जमीन पर सिंचाई बढ़ी तो उसमें से ट्यूबवेल का क्षेत्र इसलिये निकाल दिया कि ट्यूबवेल से सिंचित क्षेत्र खर्च के हिसाब से बहुत कम होता है।" इस प्रकार मैंने बहुत सौहार्दपूर्ण चित्रण करने का प्रयत्न किया है। जब हमने आमदनी ली तो ट्यूबवेलों की आमदनी भी जोड़ दी, क्योंकि ट्यूबवेल से सिंचित भूमि पर कीमती फसल पैदा होती है। इस प्रकार जो पिक्चर मैंने सरकार की खींची है वह बहुत अच्छी बना कर रखी है, फिर भी जो भद्दी शक्ल है वह भद्दी तो रहेगी ही। जो शक्ल मैंने रखी है उसी से सदन के माननीय सदस्य आश्वस्त हो गये हैं और यह बात स्पष्ट हो गयी है कि सरकार इस सम्बन्ध में कतई असफल रही है, सिंचाई के साधनों में कोई श्रेयस्कर वृद्धि नहीं हुई है, जिससे प्रदेश की जनता आश्वस्त हो कर सरकार की ओर निगाह लगा सके।

एक बात मैं इस सम्बन्ध में और कह दूं। मैंने जो इतनी अच्छी पिक्चर खींची थी उसमें मैंने प्रशासन की जो रिपोर्ट थी उससे आंकड़े दिये थे उसमें मैंने १९४५-४६ के नहरी क्षेत्र से १९५५-५६ के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी दिखायी है। इस प्रकार मैंने सरकार की शक्ल को कोई भद्दी करके नहीं रखा था बल्कि जितनी वह खूबसूरत बनाई जा सकती थी उतनी खूबसूरती के साथ मैंने सदन के सामने रखा था। उसी से सदन आश्वस्त हो गया कि सरकार की शक्ल भद्दी है। मैंने दिखाया कि ४५ हजार एकड़ क्षेत्रफल बढ़ गया है। लेकिन एक किताब मेरे सामने है

जो कि सरकार ने निकाली है, उसके अनुसार १९४५–४६ में ५१ लाख ७२ हजार ५ सौ ८७ एकड़ क्षेत्र फल सिंचित हुआ था और १९५५–५६ में ५१ लाख ४३ हजार ४ सौ ४३ एकड़ यानी ५५–५६ में काफी कम है। लेकिन मैंने अपने को प्रशासन की रिपोर्ट पर कायम रखा और अच्छी पिक्चर यहां खींची लेकिन पिक्चर अपनी जगह पर रही और इस सदन के माननीय सदस्य जो प्रदेश के सभी हिस्सों से आते हैं वह सब इस बात से मुतमईन हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई तरक्की नहीं कर पायी तथा अनुत्पादक नहरों को बढ़ा कर नहरों के निर्माण और मरम्मत में फिजूल खर्ची करके, इंजीनियरों की सुख-सुविधा की सामग्री जुटा करके, गलत किस्म के बांध बना कर, प्रदेश को बहुत नुकसान पहुंचा है ।

अब दो-तीन बातें और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय धर्मसिंह, जो कि इस विभाग के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जब यह देखा कि सिंचाई विभाग के आंकड़े तो ऐसे हैं नहीं, जिससे साबित किया जाय कि सरकार ने सिंचाई में उन्नति की है, तो उन्होंने पूरे प्रदेश की खेती की पैदावार के आंकड़े ले लिये और कहा कि खेती की पैदावार बढ़ी है। लेकिन अगर खाकी इलाके में पैदावार बढ़ गयी तो उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है समस्त कृषि की पैदावार से यह कैसे मालूम हो गया कि सिंचित जमीन की पैदावार ज्यादा हुई, उसका तो वैलुएशन होता है। उसको हमने सामने रखा। फिर भी इस प्रकार की बात एक सचिव कहते हैं। न सोचते हैं, न समझते हैं और बक जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष––"बकना" शब्द आप वापस लीजिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा––तो आप इसको अनपार्लियामेंटरी डिक्लेयर कर दें।

श्री उपाध्यक्ष––मैंने अनपार्लियामेंटरी डिक्लेयर कर दिया है इसीलिये वापस लेने को कह रहा हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा––तो मैं वापस ले लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष––"ले लिया" कहिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा––वापस ले लिया। मेरा कोई निरादर का मतलब नहीं था। माननीय सिंचाई मंत्री जी जब अपना भाषण देंगे तो जरूर वह कहेंगे कि भ्रष्टाचार व गबन की यह छोटी-छोटी बातें हैं, बांधों के बारे में जो हमने गबन और घपले की बातें बतायीं, उसके लिये वह कह देंगे कि कुछ तो नुकसान होता ही है। तो मैं उनका ध्यान चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्ति पर लिफू चिन की एक किताब की तरफ ले जाना चाहता हूं जोकि चीन की पहली पंचवर्षीय योजना की समीक्षा करते हुये उन्होंने लिखी है। चूंकि समय कम है इसलिये मैं उसका हिन्दी अनुवाद ही सदन के सामने रख देना चाहता हूं ताकि समय बच जाय। यह पृष्ठ ११३ पर माननीय मंत्री जी देखेंगे। उन्होंने लिखा है––

हमें इस विचार की भी आलोचना करनी चाहिये कि निर्माण-कार्यों में हमारे अनुभव की कमी को दृष्टि में रखते हुये कुछ मात्रा में हानि अनिवार्य है। यदि निर्माण-कार्य के उत्तरदायी व्यक्ति इस विचार को अपने मस्तिष्क में रखते हैं तो वह वास्तव में अनिवार्य हो जायगा।

उसी पृष्ठ पर पांचवें पैराग्राफ में आप देखें, उसमें वे कहते हैं कि हमें इस विचार की आलोचना करनी चाहिये कि ऐसी हानि छटफुट और छद्र है। किन्तु एक छोटी सी हानि भी यदि बेरोकटोक

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

होने दी जाय तो वह बहुत बड़े नुकसान में परिवर्तित हो जायगी। तो अब इन शब्दों के जरिये से जो वहां के बहुत जिम्मेदार प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे उन्होंने इसे महसूस किया।

मैं अब आपके सामने कुछ बातें रख देना चाहता हूं। श्रीमन्, शारदा सागर के बारे में बड़ी बातें चलीं और माताटीला के सम्बन्ध में तो सरकार ने कोई कमेटी बैठायी है। मुझे मालूम नहीं कि किन लोगों की कमेटी वह है, कौन-कौन से इंजीनियर उसमें हैं और किनके अंडर में वह काम कर रही है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चीफ इंजीनियर भी उससे संबंधित हैं जिनकी सुपुर्दगी में यह काम है और जो खास तौर से डिजाइनिंग के लिये जिम्मेदार थे। इसलिये मैं चाहता था कि कोई उच्च-स्तरीय निष्पक्ष जांच होती, जो कुछ मैकेनिकल सहायता वह चाहते, वह तो वे ले लेते लेकिन आदमी उसमें निष्पक्ष होते तो जांच अधिक सफल होती।

माताटीला में श्रीमन्, हिन्दुस्तान कार्मशियल कारपोरेशन ने तारों की सप्लाई का काम किया था। मैंने सदन में भी उस बात को कहा था खराबी क्या हुई है श्रीमन्, कि यह कम्पनी यहां के एक विशेष मंत्री से सम्बन्धित थी। उसका फल यह हुआ कि उसको सप्लाई में बहुत काफी घपला हुआ। मैंने उसके बारे में एक नौ सूत्री पत्र भी लिखा है माननीय मंत्री जी को, सबसे बड़ा प्रमाण उसका कि कैसे इन्फ्लुएंस किया उन माननीय मंत्री जी ने उस घपले को, यह है कि जितने भी ठेके होते हैं उनकी २० परसेंट रकम बाद में अदा होती है और उसमें से भी दस परसेंट रकम रीटेन कर ली जाती है ६ महीने के लिए बतौर जमानत के। जब ६ महीने बीत जाते हैं और देख लिया जाता है कि कोई खराबी ठेके के माल में नहीं है तब वह पैसा वापस दे दिया जाता है। इस हिन्दुस्तान कार्मशियल कारपोरेशन का वह पैसा छः महीने बीतने से बहुत पहले दे दिया गया। डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज, कानपुर ने उनको शारदा सागर के इंजीनियरों को लिखा और छः महीने से बहुत पहले ही उनका पेमेंट कर दिया गया और वह भी हिन्दुस्तान कार्मशियल कारपोरेशन को नहीं बल्कि डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज कानपुर को क्योंकि उस कम्पनी के डाइरेक्टर थे एक माननीय मंत्री जी के सुपुत्र। इसलिये कोई कानून उनके लिए नहीं रहा, सिक्योरिटी की रकम जो जमा थी वह बहुत पहले अदा कर दी गई। उनके नाम।

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या रिप्लाई देते वक्त माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि उन प्रश्नों का जवाब वह दें, जो प्रश्न कि उठाये गये हैं या कोई नयी चीज भी वह अपनी बहस में यहां रिप्लाई देते वक्त ला सकते हैं? नमूने के तौर पर मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो यह प्रश्न माताटीला का अब उठाया जा रहा है, कहीं भी अपना कटौती का प्रस्ताव रखते वक्त माननीय सदस्य ने इस बात को इस सदन में नहीं कहा था।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, शारदा सागर के बारे में प्रश्न उठा था। यहां पर कहा गया उसके लिये कि उसमें कोई गबन नहीं है और यह बात गलत है, तो मैं उसका प्रमाण दे रहा हूं। अब हम यह नहीं कहेंगे.....

श्री उपाध्यक्ष—(श्री महावीर सिंह से) मैं आपसे सहमत हूं कि जवाब देते वक्त कटौती के प्रस्तावकर्ता कोई भी बात कहते हैं तो उसमें नयी बात वह कोई नहीं ला सकते। जो बातें पहले वादविवाद में कही जा चुकी हैं उन्हीं प्रश्नों पर वह राय दे सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—कटौती का प्रस्ताव भी श्रीमन्, इस सम्बन्ध में था—भ्रष्टाचार के बारे में—और उन्होंने जो जवाब दिया है धर्मसिंह जी ने, तो कहा था कि यह बातें गलत हैं और कोई निश्चित प्रमाण उसके लिये नहीं हैं। तो मैं निश्चित प्रमाण दे रहा था।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—आपने माताटीला कह दिया था। वह शारदा सागर है।

श्री रामस्वरूप वर्मा––ठीक है। मैं शारदा सागर के बारे में कह रहा हूं।

श्री धर्मसिंह––शारदा सागर में, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर कोई इस तरह की बात नहीं हुई है।

श्री रामस्वरूप वर्मा––मैं यह कह रहा हूं कि शारदा सागर में .....

श्री महावीरसिंह––श्रीमन्, यह प्रोसीडिंग से देख लिया जाय। उस समय कोई भी ऐसा प्रश्न प्रस्ताव करते समय इन्होंने नहीं उठाया था जिस चीज को अब वह पेश कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या रिप्लाई देते वक्त कोई नया प्रश्न उठाया जा सकता है या नहीं तो श्रीमान् ने कहा कि नहीं उठाया जा सकता। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि अब कोई नया प्रश्न माननीय सदस्य न उठायें।

श्री राजनारायण––मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है?

श्री उपाध्यक्ष––मैंने आपको आदेश नहीं दिया। इस समय कोई भी प्वाइंट आफ आर्डर मेरे सामने नहीं है। जो था उस पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं। यह एक आपस में उनकी बातचीत हो रही है। उस पर प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री राजनारायण––उनका प्वाइंट आफ आर्डर तो समाप्त हो गया।

श्री उपाध्यक्ष––जी नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा––तो मैं यह कह रहा था कि शारदा सागर में भयानक भ्रष्टाचार है .....

श्री महावीरसिंह––मैं आपकी निगाह इस तरफ खींचना चाहता हूं कि जहां तक मैं समझता हूं वर्मा जी ने यह आश्वासन इस सदन में दिया था कि वह जवाब में केवल ५ मिनट लेंगे। अब उनको बोलते हुए लगभग १० मिनट हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष––माननीय रास्वरूप वर्मा ९ मिनट बोल चुके हैं और अब उनका एक मिनट बाकी है। वह एक मिनट और बोल लें।

श्री रामस्वरूप वर्मा––मैं यह कह रहा था कि इस तरह की बातें देखकर कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर यह कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाना चाहिये। मैं यह निवेदन करता हूं कि प्रदेश की हालत को देखकर जब हमारे पास ऐसे ज्वलन्त प्रमाण हैं तो फिर कैसे उनको छिपाया जा सकता है। शारदा सागर में गलत ब्लैकेट को ठीक करने के लिये मिट्टी डालने के लिये एक मोटर बोट १६ हजार में खरीदी गई थी लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उस पर बड़े-बड़े इंजीनियर बैठकर सैर करने जाते हैं। जो नुकसान होता है आप उसकी ताईद करते हैं और फिर अधिकारियों के साथ पक्षपात बरता जाता है। यह क्या ज्वलन्त प्रमाण नहीं है? हमारे जो बांध आज बन रहे हैं उनमें करोड़ों रुपया खराब किया गया है। एक करोड़ रुपया माताटीला बांध में गबन है। पचास लाख का शारदा सागर में गबन है। इससे कम वहां पर नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और आशा है कि आदरणीय सदन के सब लोग उसका समर्थन करेंगे।

*सार्वजनिक निर्माण-मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---उपाध्यक्ष महोदय, कल से आज तक यह बहस सुनी और जैसा कि तमाम बहस से लाभ होना चाहिये वह लाभ होगा। जहां तक कटमोशन का सम्बन्ध है उसके विषय में मेरे से कुछ समय पूर्व मेरे साथी श्री धर्मसिंह जी ने पूरी तरह से जवाब दे दिया फिर भी दो एक बातें मेरे लिये कहना इस सिलसिले में जरूरी सा हो जाता है।

एक बात आमतौर पर यह उठाई गई कि इस सिंचाई विभाग के अन्दर जो काम हुआ है इस वजारत के जमाने में वह अनप्रोडक्टिव काम हुआ है यानी अनरेम्यूनरेटिव काम हुआ है। जो पहले काम हुआ है वह प्रोडक्टिव काम हुआ है। सो मेरे पास इस बात का बहुत साधारण सा जवाब यही है कि आज की स्टेट बनिये की दुकान नहीं है। इसका काम पैसे की शकल में लाभ को गिनना नहीं है। इस राष्ट्रीय सरकार के आने के पहले जो पुरानी सरकार थी वह सूबे में इस बात को देखती थी। उन्होंने जब यह देखा कि सिंचाई का प्रबन्ध भी हो सकता है और उसके साथ नफा भी हो सकता है तो उन्होंने उस काम को अपने हाथ में लिया और इसी तरीके से उन्होंने गंगा और जमुना कैनाल आदि निकालीं और सचमुच उन नहरों से बहुत काफी लाभ हुआ, जहां तक पये की बात है उस दृष्टिकोण से। लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा था हमारे सामने लक्ष्य है अकाल से अपने प्रान्त की रक्षा करने का और इसके लिये जरूरी है कि जितने ज्यादा से ज्यादा साधन हम सिंचाई के मुहैय्या कर सकें, करें। इसी लक्ष्य को ले कर हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक बढ़े हैं। मैंने जैसा कहा इस प्रकार के जितने रिम्यूनरेटिव और प्रोडक्टिव काम हो सकते थे वह पहले हो चुके और इसके मायने यह नहीं हैं कि हम अब कोई सिंचाई का प्रबन्ध न करें।

हम अहसानमन्द होंगे उन दोस्तों के जो हमको बतलायेंगे ऐसी स्कीमें जो ज्यादा रिम्यूनरेटिव और प्रोडक्टिव हों। मैं उनके सुझाव का स्वागत करूंगा। लेकिन अभी तक हमारे विभाग के जो रहनुमा रहे हैं और मेरे से पूर्व जितने संचालक थे उनकी देखरेख में जो स्कीमें चली हैं उनका संचालन और संपादन हमारे प्रान्त में हुआ है। वह स्कीमें उस माने में तो प्रोडक्टिव नहीं हैं कि अगर उनमें हमने १० रुपया लगाया तो उससे हमारी वसूली भी १० रुपया हो गयी हो, लेकिन यह जरूर है कि अन्न का उत्पादन उस से अवश्य बढ़ा है और अकाल की रक्षा करने में उससे काफी मदद मिली है। इस वर्ष जब खरीफ के समय सूखा पड़ रहा था उस समय आपकी नहरों और ट्यूबवेल्स से किसानों को काफी लाभ पहुंचा है और हम उस नवशें से बच गये जो कि इनकी गैरहाजरी में यहां हो सकता था। इस वक्त सरकार का मंशा है कि कम से कम ४० फीसदी अपने प्रान्त में हम सिंचाई का इंतजाम कर लें, अभी तक ३० परसेंट एरिया को ही हम इरिगेशन में ला पाये हैं। पश्चिम, में, मध्य में और दक्षिण में और यहां तक कि पहाड़ों पर, जहां आसानी से प्रबन्ध नहीं हो सकता, वहां भी हमने सिंचाई का प्रबन्ध किया है। -भले ही रुपये की शकल में हमको इससे लाभ न होता हो, लेकिन दूसरा फायदा हुआ है और वह यह कि जिस समय अकाल पड़ता है उस समय हमको १५ या २० करोड़ रुपया लगान में छूट देना पड़ता है, जो उस समय सप्लाई करते हैं उसे सब्सीडाइज करना पड़ता है, उस सब को देखते हुए, मैं समझता हूं कि कोई भी स्कीम अनप्रोडक्टिव नहीं है। सबकी सब प्रोडक्टिव हैं।

दूसरी बात यह कही गई कि हमारे यहां नदियों और खास तौर पर गंगा और जमुना को हम पूरा-पूरा इस्तेमाल नहीं करते। कल इसका जवाब दे दिया गया था, फिर भी मैं कुछ रोशनी इस पर डालना चाहता हूं। जो नदियाँ उत्तर में हिमालय से निकलती हैं उनके लिये यह बात लागू हो सकती है, लेकिन दक्षिण में जो नदियां हैं उन के लिये यह बात लागू नहीं होती रिहन्द और मातातीला डैम बने हैं और इसी तरीके पर हमने कई रिजर्वायर बनाये हैं। यह दक्षिण का तमाम पहाड़ कच्चा पहाड़ है। जैसा कि भाखरा के सिलसिले में बहुत से साथियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने पढ़ा होगा वहां पर लोगों ने यह अपनी राय दी कि वह पहाड़ कच्चा है। नये डैम्स बनान की जो सलाह दी थी वह भी इसी खयाल से छोड़ दी गयी क्योंकि जो इस वक्त दुनिया के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, उनसे भी सलाह ली गयी उन्होंने भी यही राय दी कि चूंकि वह पहाड़ कच्चा है इसलिये हो सकता है किसी मौके पर वह नुकसान दे। इस वजह से उसको छोड़ दिया गया।

इसके अलावा एक और राम गंगा प्रोजेक्ट की योजना हमारे सामने है। जो पानी ऊपर से आ रहा है उसको कालागढ़ में रोक कर और उस पानी को एक तरफ करके जिन इलाकों में बाढ़ आती है उनको सुरक्षित रखा जा सकता है और जिस वक्त जहां पानी की जरूरत होती है वहां उसको काम में लाया जा सकता है और काफी सिंचन का कार्य किया जा सकता है। इस तरह से, जैसा मैंने बताया, जहां तक जितना हो सकता है, उससें कमी नहीं की गयी है।

जहां तक इस सिलसिले में माननीय सदस्यों की यह राय है कि हमको बड़ी-बड़ी योजनाएं लेनी चाहिये, कुछ साहबान की राय है हमको छोटी-छोटी योजनायें लेना चाहिये, कुछ साहबान चाहते हैं कि ट्यूबवेल अधिक बनने चाहिये। मैं इतना ही इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सभी अपने अपने स्थान के लिये ठीक हैं। जैसा कि इस वक्त लक्ष्य है हमें अपने प्रान्त के अन्दर ज्यादा से ज्यादा सिंचन के साधनों को उपलब्ध करने के लिये जहां पर जो भी तरीके आसानी से और सस्ते उपलब्ध हो सकते हैं उन साधनों को हम बढ़ा रहे हैं और उसके लिये कोशिश की जा रही है। उन इलाकों में जहां पर नहर का पानी नहीं लाया जा सकता है, वहां ट्यूबवेल्स बनाये जा रहे हैं, जहां पर ट्यूबवेल्स सफल नहीं हो रहे हैं वहां पर छोटे-छोटे कुएं बनाये जा रहे हैं। इस तरह से जहां भी जिस चीज की जरूरत है उसको किया जा रहा है और जनता को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन कुओं के लिये प्लानिंग कमेटी के जरिये से तकावी भी देने का प्रबन्ध किया जाता है। तो यह कोई बात नहीं है कि छोटी स्कीमों को छोड़ा जा रहा है।

जमुना की स्कीम के सिलसिले में भी एक आध बात कही गयी है। इस सम्बन्ध में एक बात तो यह कहूंगा कि उसमें पानी की कमी है। मैं इससे सहमत हूं कि उसमें पानी की कमी है। वह नहर ६०-७० साल पुरानी है और उसका पानी यू० पी० और पंजाब के अन्दर बटा हुआ है। दूसरी बात यह है कि बीच में यह योजना थी कि किस तरह से इसके पानी को इकट्ठा करके इसकी शक्ति को बढ़ाया जाय लेकिन बाद में वह चीज किसी तरह से सम्भव नहीं हुई। उसे भी, मेरा खयाल है छोड़ दिया गया।

पलावे के सिलसिले में भी एक बात कही गयी। यह कहा गया कि पलावे से जो पानी दिया जाता है उसके चार्जेज ज्यादा हैं। यह गलतफहमी है, मैं यह कहूंगा कि उसके चार्जेज ज्यादा नहीं हैं, उसके चार्जेज आबपाशी के चार्जेज से कम हैं और वह सिर्फ ३ रुपया फी एकड़ लिया जाता है। इसके अलावा जहां पर पलावे की जरूरत होती है वहां पलावे दिये जाते हैं।

कुछ आफिसरों के विषय में शिकायत की गयी कि जो आफिसर्स हैं वह पूरे तरीके से पानी नहीं देते हैं। यह ठीक है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अगर कम से कम कुछ पानी मिल जाये तो उससे वहां की खेती को बड़ा भारी लाभ हो सकता है, लेकिन हम वहां पर पूरा पानी नहीं दे पाते। इसका कारण यह है कि हमारे पास पूरे साधन नहीं हैं जिससे हम पूरा पानी दे सकें। हमने नहरें खोद लीं और उनसे जोकि बरसाती पानी है उसको लेकर हम अक्तूबर में पलेवा

[श्री गिरधारीलाल]

का पानी दे देते हैं, उससे वहां पर काफी लाभ होता है और जितना भी कम से कम इस काम के लिये कर सकते हैं वह हमने वहां पर किया है।

इसके अलावा अब दो एक बातें और हुईं। एक तो कुछ एस्टीमेट्स के सिलसिले में कहा कि एस्टीमेट्स बढ़ जाते हैं। सो इसमें मैं इतना बतला दूं कि इसमें अभी तक आबपाशी का जो काम हुआ, जब हम एक युग से निकले, इस युग में आये तो हमारे प्रान्त पर अन्न की कमी का बड़ा भारी सवाल आकर पड़ गया और इस प्रकार की समस्याएं आ गयीं जिनको हल करने के लिये वार लेविल पर हमें आबपाशी के प्रबन्ध को हाथ में लेना पड़ा। जिस वक्त वह काम लिये तो हो सकता है कि हमारे बहुत से एस्टीमेट्स इस तरीके से बढ़े हों। अबतक ऐसा होता था, जैसे कि माताटीला की मिसाल है। एक दिन बात हो रही थी तो नक्शे में उसको देखा कि इतना बड़ा इलाका है और यहां पर इस तरीके से डैम बन सकता है। उसका एक हिसाब लगाया और लोगों ने बतला दिया कि ४ करोड़ रुपये में बन जायगा---इंजीनियर्स ने कहा। मुमकिन है अगर हम उस स्थान पर बैठे होते तो मैं कहता कि ४ करोड़ बहुत है, इसको कम किया जाय। कागजों में कम कर देते, लेकिन जबकि मौके पर पहुंचे, वहां देखा और जिस वक्त सर्वे होने लगा तो मालूम हुआ कि ४ करोड़ में नहीं बन सकेगा और इस तरीके से उसका एस्टीमेट बढ़ा। तो मैं यह बतला रहा था कि इस तरीके से एस्टीमेट्स बहुत से बढ़ गये हैं। आगे इस चीज का इन्तजाम करने के लिये यह किया कि एक सर्वे का इनवेस्टिगेशन सर्किल इस विभाग के मातहत खोला गया है जिसका यह काम होगा कि जितनी योजनाएं हमारी लागू होंगी उनका पहले से सर्वे हो जाय, पूरे तौर पर वह चल जायं, पूरे तौर पर उनका परीक्षण और नाप-तौल हो जाय तो उसका जो तखमीना है उसको हम सदन के सामने मंजूरी के लिये रखें। मैं समझता हूं कि इस तरीके से करने से आगे को इस प्रकार की शिकायतें नहीं मिलेंगी और मिलेंगी भी तो बहुत कम।

एक बात यहां पर यार्ड स्टिक के सिलसिले में कही गयी कि पी० डब्लू० डी० में जो काम होता है उसको एक यार्ड स्टिक हुआ करती है, इरिगेशन में इस प्रकार की नहीं है। मैं समझता हूं यह गलतफहमी है। मिसाल के तौर पर जैसा कि एग्जिक्यूटिव इंजीनियर का डिवीजन है वह ८०० से हजार मील तक का है और जहां तक कि निर्माण का सम्बन्ध है १८ से २० लाख रुपये तक का है। इसी तरह से असिस्टेंट इंजीनियर, ओवरसियर, और इसी तरीके से नीचे के कर्मचारियों का है। चीफ इंजीनियर का भी है। तो मेरे लायक दोस्त अपनी गलतफहमी दूर करेंगे।

एक बात और यहां पर कही गयी---दो दफा कही गयी। पहली बात तो पंजाबी के सिलसिले में, जिसका कि अभी जवाब दिया गया, कही गयी। बार-बार बात आ रही है, कई दफा सवालों के सिलसिले में भी बात आयी, मैं आज उस बात को फिर दोहराये देता हूं कि यह बात ठीक है कि एक साहब ने शिकायत की---पंजाबी उनका नाम था---अपने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, और उसके बाद उस शिकायत को मान कर आगे बढ़ाया गया, एक चीफ इंजीनियर प्रागनारायण ने उसको हाथ में लेकर आगे बढ़ाया। और उन्होंने देखा कि यह सब चार्जेज गलत हैं। मैं उस रिपोर्ट की दो तीन लाइनें पढ़ दूं :---

"He has not been able to prove any of these allegations and in my opinion deserves suspension for this as well as for the fact that his behaviour throughout the enquiry was not as it should be towards his superior officers. Also one witness Shri Ram Adhar Singh, Contractor, has stated that Shri Punjabi has caught him drunk."

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---पहले निकाला और फिर क्यों रख लिया गया ?

श्री गिरधारीलाल---जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इस कर्मचारी की कुछ शिकायतें थीं इसलिये पहले मैंने यह मुनासिब नहीं समझा लेकिन दोबारा जब यह अपनी आदतों से बाज

नहीं आया तब यह करना पड़ा। वह उस वक्त इस बात को समझता था कि वह समय आ रहा है जब वह निकाल दिया जायगा तब उसने यह चार्जेज लगाकर यहां पर भेजे। तो मैंने उस वक्त एक कर्मचारी को जिसको हमारे बहुत से सदस्य समझते हैं कि वह जो कुछ काम करते थे बहुत ही इंसाफ के साथ करते थे उनके सुपुर्द यह काम किया और उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसकी कुछ लाइनें पढ़कर मैंने सुना दी हैं उनकी रिपोर्ट थी कि यह चार्जेज एक भी सही साबित नहीं होते हैं और सब के सब निर्मूल हैं।

श्री उग्रसेन—वह क्यों पहले ही नहीं निकाला गया?

श्री उपाध्यक्ष—यह बार-बार प्रश्न करना अनुचित है।

श्री उग्रसेन—यह हमारा हक है।

श्री उपाध्यक्ष—हक नहीं है। मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं, आप बैठिये।

श्री उग्रसेन—यह तो हमारा हक है ही।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री उग्रसेन—स्थान तो मैं ग्रहण कर रहा हूं लेकिन आखिर जनता ने हमको इसी के लिये यहां भेजा है।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, आप बैठ जाइये।

श्री गिरधारीलाल—दूसरी बात उसमें यह भी लिखी है कि इस व्यक्ति का एन्क्वायरी के मौके पर किसी भी कर्मचारी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, उचित व्यवहार नहीं था, बदतमीजी का था इसलिये इनको यहां से निकाला जाय। तो मैंने जैसा कहा कि उनको इसलिये मुअत्तल किया गया और जो चार्जेज उन्होंने लगाये थे वह सबके सब निर्मूल सिद्ध हुए हैं।

एक बात मैं और बता देना चाहता हूं। एक सरकारी कर्मचारी जो इस विभाग के नहीं, हाइडेल विभाग के हैं उनके सिलसिले में कुछ बातें कही गयीं। बात यह है कि उस कर्मचारी के खिलाफ कुछ गुमनाम शिकायतें आयीं। एक बार प्रश्न भी हुआ था। मैंने बतलाया था कि उन शिकायतों की जांच हुई। और उसकी बातें निर्मूल सिद्ध हुईं। फिर भी जिस कर्मचारी के खिलाफ शिकायतें थीं वह छुट्टी पर गया हुआ था और उसने कुछ ऐसे भाव दिये थे जिससे यह प्रकट होता था कि वह जब तक रिटायर नहीं होता तब तक छुट्टी पर रहेगा। किसी भी कर्मचारी को छुट्टी लेने के बीच में काम पर वापस आने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं उस वक्त इस चीज को किसी भी हालत में मुनासिब नहीं समझता था। मैंने उस वक्त यही मुनासिब समझा कि पहले इसकी परीक्षा की जाय और उसके लिये हमने सूबे के एक ऊंचे अधिकारी, श्री के० पी० भार्गव, जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे, और श्री सतीश चन्द्र, जो इस वक्त डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, इन दोनों आदमियों की एक एन्क्वायरी कमेटी बैठाई और उसने छानबीन की। उन्होंने सारे चार्जेज को निर्मूल पाया सिवाय एकाध बातों के जिसके लिये उन्होंने कहा कि इनकी इन्क्वायरी बाद को हो सकती है लेकिन उन चार्जेज की बिना पर किसी क आप सस्पेंड नहीं कर सकते, किसी आदमी को नौकरी से बिल्कुल मुअत्तल नहीं कर सकते। तो यह सब बातें थीं। उस वक्त मेरे लिये या जो कोई मेरे स्थान पर होता उसके लिये सिवाय इसके कोई दूसरा चारा

[श्री गिरधारीलाल]

नहीं था जो कि किया गया। यह कहा जाता है कि उस कर्मचारी को किसी ऊंचे पद पर रखा गया। यह बात भी निर्मूल है। यह भी कहा जाता है कि उस सरकारी कर्मचारी को जो तनख्वाह पहले मिलती थी उस से ज्यादा पर रखा गया। यह बात भी गलत है। जो तनख्वाह उसकी पहले थी उसी वेतन पर उसको रखा गया। और उसको इस वक्त जैसा परसों मैं बतला रहा था, हमारे प्रान्त में केन्द्रीय सरकार से आजकल इर्रिगेशन और बिजली के कामों में दिन रात सम्बन्ध स्थापित होता है, उसके लिये हमको एक सरकारी कर्मचारी जोकि हर वक्त इन कामों को करता रहे ऐसे आदमी की जरूरत थी, उस स्थान पर हमने उसको रखा। और वह हमारे इन कामों में सहायक हो रहा है।

श्री राजनारायण---कोई दूसरा आप को नहीं मिल रहा था ?

श्री गिरधारीलाल---इस समय बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स और दूसरे बड़े-बड़े काम चल रहे हैं जैसा कि कुछ योजनाओं के विषय में मैंने बतलाया और अखबारों के जरिये भी मालूम हुआ, इन तमाम कामों में इसकी जरूरत है। दूसरे, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और सरकार के बीच में भी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, इसलिये उसको रखा गया। इसके अलावा जब तक वह रिटायर नहीं होता, हमारे लिये दूसरा चारा नहीं था। तो जब चारा नहीं था तो उसको रखा और रख कर उस से इस काम को ले रहे हैं। यह कहा जाता है कि उसको चीफ इंजीनियर के पद पर क्यों नहीं रखा गया। मैं इसके लिये बताना चाहता हूं कि इस वक्त बीच में जब हमारा एक काम चालू हो गया और एक चीफ इंजीनियर उसको करने लगा तो वह भी मुनासिब नहीं था कि हम उस समय के अन्दर उसमें किसी प्रकार का विघ्न डालते। इस वजह से हमने उसको इधर रखा वरना इधर न रखकर दूसरी तरफ भी उसको रख सकते थे। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो मागें मैंने हाउस के सामने रखी हैं उनको सदन मन्जूर करने की मेहरबानी करेगा।

श्री राजनारायण---माननीय मन्त्री जी एक बात का स्पष्टीकरण कर दें। जिस पद पर माथुर जी को सुशोभित किया गया वह पद नया क्रिएट किया गया है या पहले से था ? अगर नया क्रिएट किया गया तो उसकी क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री गिरधारीलाल---मैंने आवश्यकता तो बता दी अभी और यह पद नया है।

श्री राजनारायण---भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला और खिलाने वाला।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---मैंने जो कल कहा था उस सम्बन्ध में पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी ने मेरी बातों को गलत बताया और आंकड़ों को ग़लत बताया, इसलिये मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठिये, इसका स्पष्टीकरण नहीं होता। आंकड़ों के सम्बंध में स्पष्टीकरण नहीं होता। आंकड़े तो न मालूम कितने रोज दिये जाते हैं, उसमें न मालूम कौन सही है और कौन ग़लत है, इस बारे में कोई फैसला नहीं हो सकता। अगर उन्होंने आपका नाम ले कर कहा हो कि आपने ऐसी बात कही और वह बात गलत हो तो उसका आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि मैंने ऐसी बात नहीं कही।

श्री रघुवीरसिंह---माननीय मन्त्री जी इस बात का स्पष्टीकरण करदें कि अंग्रेजी शासन के बाद जनतांत्रिक सरकार ने कितनी फीसदी भूमि को अधिक सिंचन किया ?

श्री उपाध्यक्ष---इसका जवाब वह दे चुके हैं।

श्री उग्रसेन---मैं जानना चाहता हूं कि नारायणी कैनाल के स्कैंडल के सम्बन्ध में कि क्या जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सहायक इंजीनियर्ज मुअत्तल किये गये थे वह भी बहाल करके नये पदों पर रख गय ह ?

श्री गिरधारीलाल––इसके लिये प्रश्न किया जाय तब मैं जवाब दे दूंगा। नोटिस की आवश्यकता है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)––मैं माननीय निर्माण मन्त्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं, उन्होंने यह बात कही कि पूर्वी जमन नहर के बारे में जो सुझाव रखे गये वह व्यवहार में नहीं आ सकते, तो क्या उस सवाल को अब, यह समझ कर कि पूर्वी जमन नहर जैसी की तैसी रहेगी, छोड़ दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल––इंजीनियर्स के विभागों में जो चीज जैसी होती है वैसी कभी नहीं छोड़ी जाया करती है। जैसा केस होता है उसके मुताबिक लोग सतर्क रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७––राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्य का सम्पादन में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है –– सिंचाई के कार्यों में लगे धन के दुरुपयोग की आलोचना करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:––

पक्ष में––३५,
विपक्ष में––१२६।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७––राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्य का सम्पादन [स्थापना व्यय (Establishment charges) सम्मिलित नहीं है]––लेखा शीर्षक ६८––सिंचाई, नौचालन, (Navigation) बांध (Embankment) और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों (Drainge works) का निर्माण के अन्तर्गत ७,८९,६८,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य ––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है––सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैधानिकता एवं अनुत्पादक व्यय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:––

पक्ष में––३४,
विपक्ष में––१३६।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०––राजस्व से किये जानेवाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)––लेखा शीर्षक: १७, १८ और १९–ख के अन्तर्गत ५,२२,०८,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११--सिंचाई स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है--राज्य सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव निरोधक योजनाओं की बन्दी पर आलोचना तथा जलकुंडी, घाघरा कटाव निरोधक योजना की मांग करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११--सिंचाई स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक: १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत ४,७८,०४,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२-लेखा शीर्षक १८-अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी अनुदान संख्या १२ को पहले ले लें क्योंकि उस पर बहस नहीं होना है।

श्री गिरधारी लाल--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२--अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें--लेखा शीर्षक: १८ के अन्तर्गत ३१,३३,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२--अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें--लेखा शीर्षक: १८ के अन्तर्गत ३१,३३,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७-लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क-विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ५१--- लेखा शीर्षक ८१-क-विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)

श्री गिरधारीलाल--मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७--विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय---लेखा शीर्षक: ४१ और ८१-क के अन्तर्गत १,५५,३२,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१---विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)--लेखा शीर्षक: ८१-क के अन्तर्गत ६,०८,०१,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिए स्वीकार की जाय।

१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २७३ २७––लेखा शीर्षक : ४१ और ८१–क––विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ५१––लेखा शीर्षक : ८१–क––विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या २७––लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क में कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

जनता को महंगे दर पर बिजली देकर रिहन्द बांध की बिजली को बिड़ला आदर्स को सस्ते दाम पर देने की घोषणा की आलोचना करना।

इसके अतिरिक्त दूसरा कटौती का प्रस्ताव अनुदान संख्या ५१ में इस प्रकार है––

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संस्थाओं का निर्माण न करना।

(इस समय २ बज कर १४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

माननीया, हमें उम्मीद थी कि हजारों वर्ष से अंधकार के गर्त में पड़े हुए गांवों में पर्वत की घाटियों और उपत्यकाओं को आलोकित करने और हजारों और लाखों बेरोजगारों को जो देहातों में रहते हैं, उनको रोजी के साधन देने का उद्देश्य इस विभाग का है, वह इसको ठीक प्रकार से करेगा। अगर इस दिशा में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस प्रदेश म जहां रोज मर्करी का प्रकाश प्रस्फुटित होता है वहां तो और प्रकाश पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है और प्रान्त के गांवों में जहां पहले से ही अन्धकार फैला हुआ है वहां और अन्धकार फैलता जा रहा है। इसी रोशनी में हम यह भी समझते थे कि गांवों को और सर्वसाधारण को सस्ते दामों पर बिजली मिलेगी लेकिन आज हम देखते हैं कि बिड़ला को तो सस्ती बिजली देने का प्रबन्ध किया गया है लेकिन आम जनता का कुछ ख्याल नहीं रखा गया है। सन् ५६–५७ में १,२०२.६६६ लाख रुपया इस योजना के लिये रखा गया था जिसमें ३२ पावर हाउस बनाने की बात थी लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का है कि ९७४.३७२ लाख रुपया केवल उन कामों के लिये जो पहले से चल रहे थे, उनको चालू रखने के लिये रखा गया था और २२८.२९४ लाख रुपया नये काम को चालू करने के लिये रखा गया था लेकिन बाद में यह एस्टीमेट बढ़ कर ११४१.९५८ लाख हो गया। तो इन सब को देखने से पता चलता है कि केवल १४ स्कीम्स ही आज तक पूरी हो पायीं और उसमें भी कहीं कहीं आधी स्कीम रह गयी और कहीं कहीं अभी पूरी होने को बाक़ी है।

श्री गिरधारीलाल––आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। अधिष्ठात्री महोदया, मुझे यह कहना है कि जिस वक्त मैंने अनुदान रखा था तो मैंने समझा कि माननीय सदस्य इसको समझते होंगे। यह जो अनुदान है यह रिहन्द और हमारे जो इन्वेस्टोरेट हैं उनके लिये रखे गये हैं। बाकी बिजली के जितने काम हैं उन सब को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सौंप दिया गया है। अब वही उसकी देखरख करता है और हमारे यहां से लोन की शकल में उसको पैसा दिया जाता है, तो उन्हीं दो आइटम्स पर यहां बहस होनी चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अधिष्ठात्री महोदया, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। इस समय माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया उसे सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। माननीय विद्युत मन्त्री जी ने यह निवेदन स्वयं किया। अगर कोई दूसरे माननीय सदस्य यह निवेदन करते तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। उनका कहना है कि चूंकि रिहन्द परियोजना सम्बन्धी बिजली खर्च को छोड़ कर बाकी सब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया गया है इसलिये उस सम्बन्ध में आज यहां चर्चा न की जाय। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो बोर्ड है वह पब्लिक सेक्टर में है और जो राज्य के अधिकारी हैं केवल वे ही उसके सदस्य हैं। श्री बी० बी० लाल, सेक्रेटरी पावर व इर्रीगेशन उस बोर्ड के चेयरमैन हैं और अभी वह बजट स्वीकार भी नहीं हुआ है, वह अभी आगे आने वाला है। जब वह बजट अभी पूरी तरह से स्वीकृत भी नहीं हुआ है तो माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इस सदन की बात मान कर कम से कम अपने इस एतराज को वापस लें और नहीं तो बोर्ड पर वाद विवाद के लिये कोई दूसरा दिन रखें। अगर इस पर विवाद नहीं होता है तो इसका मतलब यही मालूम होता है कि इस वर्ष इस पर कोई विवाद ही न हो। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि सारे बिजली विभाग के ऊपर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी है, पूरा विवाद होना चाहिये।

श्री राजनारायण---अधिष्ठाता महोदया, इस सम्बन्ध में मेरी एक आपत्ति है। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी इस पर विवाद को रोक कैसे सकते हैं। मान लीजिये कि हमारी सम्मति में यह बात आयी कि जिस प्रकार से इस बिजली बोर्ड का कांस्ट्रक्शन हुआ है वही गलत है और ६८ करोड़ रुपया जो उसको दे रहे हैं, उसका दुरुपयोग होगा, तो इस अनुदान पर हमें पूरा अधिकार है कि उस पर हम अच्छी तरह से वाद विवाद करें। इसलिये मैं समझता हूं कि जो माननीय मंत्री जी की वैधानिक आपत्ति है वह महत्वहीन और शून्य है और इसलिये उसको महत्व नहीं देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को क्या कहना है ?

श्री गिरधारीलाल---मुझे यह कहना है कि श्री नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि या तो कोई दूसरा दिन रखें और या इस वक्त पूरी चीज पर प्रकाश डालने का मौका दें, इस खयाल से बहस करना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन वोटिंग तो केवल २ अनुदानों पर होगा और बाद में किसी दूसरे दिन की जरूरत फिर नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझती हूं कि बहस तो हो सकती है और वोटिंग तो जैसे आप चाह रहे हैं वैसे ही होगी।

श्री प्रतापसिंह---महोदया, जो मेरा समय इस बेकार के वैधानिक प्रश्न में लग गया वह मुझे मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---अवश्य मिलेगा।

श्री प्रतापसिंह---जिन सवालों का जवाब माननीय तिवारी जी ने दिया उस के समर्थन में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो कटौती के प्रस्ताव हमने रखे हैं उन के २ ध्येय हैं। एक तो रेहन्ड डैम के बारे में है और दूसरा देहातों में बिजली के बारे में है। जब मेरे उद्देश्य ही यही हैं तो किस तरह से यह वैधानिक प्रश्न संगत हो सकता है ? अब आप देखें कि इतने साल हो गये और दस साल भी यह प्रदेश बिजली में सेल्फसफीशियेन्ट न बन सका। सन ६० तक केवल साढ़े ३ लाख यूनिट बिजली दी गई जब कि आवश्यकता साढ़े ६ लाख की है। मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि आज बिजली की कितनी महत्ता है उस को वह

कहां तक समझते हैं ? थोड़ी देर के लिये सोच लिया जाय आज सारी बिजली को हम वापस भी ले लें तो सारे देश का क्या होगा ? क्या कभी इस तरफ मंत्री जी ने ध्यान दिया कि आज बिजली की कितनी जरूरत है ? मैं आप की आज्ञा से जो वाटर पावर कमीशन है उसकी ४ लाइन पढ़ दूं ।

"Electricity has become so indispensible at the present time that it is no longer considered a luxury, but it is an economic necessity not only for affording living comforts but also in promoting agricultural and industrial development."

इसका अर्थ है कि बिजली अब महज रोशनी या रेडियो के लिये एक सुख-सुविधा की चीज नहीं रह गयी है बल्कि अब वह कृषि और उद्योग को बढ़ाने के लिये भी बहुत सहायक हो सकती है । मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि उनका इस ओर क्या प्रयास हुआ है ? ठीक है किसी इंजीनियर को रखा हो या कोई इन्क्वायरी कमेटी बिठाई हो या माताटीला डैम के बारे में ऐसा कोई काम हुआ हो लेकिन आज तक कृषि और उद्योग के विकास के लिये बिजली का क्या इंतजाम किया गया है ?

दूसरी चीज जो इस सम्बन्ध में मुझे सदन के सामने रखनी है वह यह है कि रिहन्द डैम के बारे में २९ अक्तूबर, ५९ को समझौता हुआ, जिसको बिरला जी की कम्पनी कहा जाता है, उससे । यह समझौता २५ साल के लिये हुआ है । १.९९७७ या कुछ पर बिरला जी को बिजली दी गई है जब कि नलकूपों को बिजली दी जाती है २.५ पर किलोवाट कन्ज्यूम्ड के हिसाब से । जिस समय यह रेट १७५ रुपया प्रति किलोवाट के बिरला जी से तय किये गये उस वक्त क्यों नहीं हाउस को कानफिडेंस में लिया गया, बिना किसी से पूछे इतने सस्ते रेट पर बिरला को बिजली का ठेका दे दिया गया और इस तरह से सारे प्रदेश के उद्योग और कृषि धंधों को धक्का पहुंचाया गया है । जो बिजली पूर्वी जिलों को दी जाने वाली थी और जो हमारे डेफिसिट इलाके हैं चाहे वह पूर्वी इलाके हों या पहाड़ के इलाके हों जहां आप सस्ते गल्ले की दूकानें खोलते हैं उन तमाम इलाकों की सारी औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी उन्नति को और वहां की सारी एकानामी को फेड कर दिया गया है । जिस इलाके का हमें जीवन स्तर उठाना है कृषि के विकास द्वारा, रोजगार द्वारा, उद्योग-धन्धों द्वारा उस इलाके को हमें सब से पहले इन कामों के लिये बिजली उपलब्ध करनी चाहिये थी ।

माताटीला का बहुत वर्णन हुआ है जिसकी चतुर्मुखी योजना बताई गई है । यह पहले १६०·६८ करोड़ का था । यह सरकार की किताबें हैं, मेरे पास समय नहीं है कोई चुनौती दे तो मैं कोट कर सकता हूं । यह १२ करोड़ की रह गई । उसमें यह कहा गया था कि बिजली पैदा करेंगे । आज कहा जाता है कि कुछ दिक्कतें आ गईं । प्रिन्सिपल आफ प्रायरटी देखना चाहिए । मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से बिजली से अंधकार मिटता है उसी तरीके से इस विभाग के जो अधिकारी, कर्मचारी और मंत्री हैं उनको भी इसी लाइट में काम करना चाहिए ।

श्रीमन्, चर्चा होती है कि बड़े बड़े आफिसर बड़े बढ़िया तरीके से काम करते हैं । खटीमा पावर हाउस है मेरे इलाके में । उसकी गाथा बड़े बड़े आफिसरों की नैग्लीजेंस का इतिहास रही है । मैं ही नहीं कह रहा हूं, एक रिपोर्ट है । ७ करोड़ ४८ लाख रुपया जिस इमारत पर लग रहा हो, ४१ हजार ४०० किलोवाट बिजली पैदा हो रही हो, उसका हाल देखिये । जिस समय पन्त जी ने उसके कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया, उसके दो महीने बाद कंट्रोल रूम गिर जाता है । अंग्रेज के जमाने में एक पावर हाउस बना था, एक दीवार तब बनी थी, वह ऐसी लगती है कि कल ही बनी हो । लेकिन हमारी जो करोड़ों की स्कीमें हैं उनका काम किस

[श्री प्रतापसिंह]

तरह से हो रहा है, कैसी नेग्लीजेंस है, उसके बारे में मैं इलैक्ट्रिसिटी एडवाइजरी बोर्ड, पार्ट १, खटीमा इलैक्ट्रिसिटी जेनरेटिंग स्टेशन आफ दि सारदा हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट—इसकी जो रिपोर्ट है उसको पढ़ना चाहता हूं। जनरल रिमार्क्स में है :—

"*Loss due to the delay in commissioning of the plant*—The delay in the commissioning of the plant is naturally resulting in a loss of revenue to Government as no commercial load of importance can be taken due to the uncertainty of firm supply from this source. It is difficult to make an assessment of this loss. It may, however, be mentioned that the yearly interest alone on the capital investment of Rs.7·5 crores at 4 per cent per annum comes to Rs.30 lacs a year."

तो केवल ब्याज में ही ३० लाख की हानि आती है। कौन जिम्मेदार है, वह भी पढ़ देना चाहता हूं: —

"*Site supervision by Electricity Department*—The Board noticed that throughout the period of construction even an officer of the status of the Executive Engineer did not have his headquarters at Khatima. For the greater part of the erection period the Superintending Engineer was as far as Lucknow and Executive Engineer at Bareilly."

खटीमा में पावर हाउस बनता है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहते हैं लखनऊ और बरेली में। क्या यह उपेक्षा नहीं है ?

एक छोटे से ठेकेदार को भी आप ठेका देते हैं तो पेनाल्टी क्लाज रखते हैं। आपने विदेशी कम्पनी को ठेका दिया। उसमें कोई पैनाल्टी क्लाज था ? यह लाखों, करोड़ों का घाटा आप उनसे वसूल कर सकते हैं ? कौन जिम्मेदार है ? जिसने ठेका दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। मैं जवाब तलब करता हूं।

मेरे एक दोस्त हैं इंजीनियर, उनसे बात हुई। सौभाग्य से गवर्नमेंट में सर्विस नहीं करते, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को चेतना चाहिए, खटीमा का पावर हाउस १०–१५ साल बाद नहीं रहेगा।

श्रीमन्, लोक लेखा समिति क्या कहती है ? "समिति की राय में इतनी बड़ी परियोजना के सम्बन्ध में सर्वेक्षण, भूमि-परीक्षण और तखमीने तैयार करने के विषय में योजना आरम्भ करते समय ही यथोचित सावधानी बरती जानी चाहिए थी।" श्रीमन्, मदरास के गोताखोर को बुलाया गया गेट्स को खोलने के लिये और १०० रुपया रोज खर्च किया गया, ये सारी चीजें खटीमा पावर हाउस के बारे में हैं। जो लोक लेखा समिति ने कमेटी बनाने के बारे में कहा है क्या विभाग ने उस पर अमल किया और नहीं तो उसका जवाब हमको मिलना चाहिए।

उद्योग-धंधों के बारे में कहा जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार सदन में और बाहर यही कहते हैं कि उद्योग-धंधे हमारे प्रदेश के लिये जीवन मरण का प्रश्न है। लेकिन वह क्या हाथ से चलेंगे। चर्खा कातने का अब जमाना चला गया। अब तो बिजली से चलने चाहिये। लेकिन सरकार ने क्या किया ? इस सम्बन्ध में मैं सदन का अधिक समय न लेते हुये जो फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट है उस में से कुछ पढ़ना चाहता हूं। ताज्जुब इस बात का है कि यहां बिजली के जो रेट्स हैं वह पहले से ही ज्यादा थे और उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी। बाम्बे, यू० पी० और मैसूर में ड्यूटी ली जाती है लेकिन इस प्रदेश में सब से ज्यादा ली जाती है।

"*Electricity duty and the Rates*—One of the major hindrances in the development of industries is the high electricity rates and the duty prevailing in the State.....The duty on industrial consumption of electricity is levied only in U. P. Bombay and Mysore.

Bombay City—

(*a*) For electric furnaces . . 3 pies for every five units.

(*b*) For other purposes . . 3 pies for every two units.

उत्तर प्रदेश में २५ परसेंट और मैसूर में १० परसेंट ।

"It would thus be observed that the Bombay rate is negligible and all other States like Bihar, West Bengal, Punjab, etc. charge no duty on industrial energy."

तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं रोज आप दावा करते हैं कि प्रदेश बहुत सी चीजों में आगे है, लेकिन जब आप जानते हैं कि खेती के बाद प्रदेश का भला उद्योगों से हो सकता है तो कौन से कारण हैं जिससे आपने ड्यूटी बढ़ाई ?

"The existing electricity rates in U. P. are quite high and they aredeterrent to the development of industries in the State."

यह रेट्स उद्योग धन्धों के लिए बाधक हैं । और फिर उसी कमेटी ने कहा है :

"From all accounts it appears that the electricity rates are higher in U. P. than those in other States and the electricity duty of 25 per cent on industrial energy further increases the burden."

तो उसकी सिफारिश है कि :

"We, therefore, recommend that the State Government should seriously consider this matter and take steps so that cost of electricity to industry is placed at par with that obtaining in States like West Bengal and Bombay. For this purpose, the duty on industrial energy should be abolished and the rates brought down to lower levels."

जैसे मैसूर और बम्बई में है वैसे ही एक तो यहां रेट्स कम होने चाहिये और ड्यूटी खत्म होनी चाहिये। यही नहीं प्लानिंग कमीशन ने भी लिखा है :

"Electricity is assuming growing importance for agricultural pumping and dewatering. Also, cottage industries can be developed on an economic basis by the use of electrically worked appliances or small units of machinery. For this purpose, electricity needs to be extended to rural areas."

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीया, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री प्रताप सिंह—मैं आपसे कह रहा था कि प्लानिंग कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है इर्रीगेशन और पावर के सम्बन्ध में उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि देहातों की तरफ बिजली के साधन बढ़ने चाहिये।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं इस सम्बन्ध में कि १० साल पहले जो सब स्टेशन बने हैं, गरम पानी और बेताल घाट के, उनमें खटीमा से बिजली जाने में कितना समय लगेगा।

लखनऊ में देखें आलमबाग वाली जो सड़क है उस पर आज तक बिजली नहीं है। हमारे मंत्री जी जब हवाई जहाज पर चढ़ने जाते हैं तो उसी रास्ते जाते हैं लेकिन आज तक वहां बिजली क्यों नहीं दी गई ?

[श्री प्रतापसिंह]

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि पावर और इरीगेशन डेवलपमेंट फंड का निर्माण होना चाहिये। वह इसलिये कि बहुत-सा रुपया लैप्स हो जाता है। इस तरह का फंड बना रहेगा तो किसी भी स्कीम के कार्यान्वित करने में बाधा नहीं पड़ेगी। एक इंवेस्टिगेशन होना चाहिये नदियों का जैसे अलकनन्दा और मंदाकिनी का और इस नतीजे पर हम पहुंचे कि कौन-कौन नये पावर स्टेशन खोले जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का तजकिरा हुआ। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा ३७ में यह लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रूल्स बनायेगा और उन रूल्स को सदन में लाने की जरूरत नहीं समझी गयी। अगर यह चीज कहीं नहीं लिखी है तो क्या नई परम्परा कायम नहीं की जा सकती। उन रूल्स को सदन में पेश किया जाना चाहिये ताकि हम कुछ सुझाव पेश कर सकें।

जो आंकड़े हमको दिये गये हैं सन् ४७ से ले कर के आज तक के उनमें हम देखेंगे यह लिखा हुआ है कि ५६-५७ में ७,४९,७३२ हजार यूनिट बिजली पैदा हुई और ६,००,८५१ हजार यूनिट बिजली खर्च हुई तो १,४८,८८१ हजार यूनिट बिजली बेकार हुई, उसका कोई हिसाब नहीं है। उसमें एक टिप्पणी दी हुई है कि स्तम्भ २ और ५ में दिये हुए आंकड़ों का अन्तर पावर स्टेशन सहायकों में खर्च हुई बिजली, भेजने तथा वितरण में एवं अन्य प्रकार से जिसका कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता, नष्ट हुई बिजली का योग है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं लाखों यूनिट बिजली हर-साल यों ही खर्च हो जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं दिया जा सकता। मैं मानता हूं कि आप के विभाग में बड़े-उड़े ज्योतिषी है, गणित के विद्वान हैं। मैं देखता हूं कि यह भी करप्शन का जरिया है। ५६ से लेकर ५९ तक जो आंकड़े हैं १,९८,७३७ हजार यूनिट बेकार हुई और उसके बारे में कोई हिसाब नहीं दिया जा सकता।

एक चीज और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सारे देश में बिजली में सबसे पीछे है। एक प्राविन्शियल इंडस्ट्रियल कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है।

"That India is far behind other nations in the generation and consumption of electrical energy"

प्राविन्शियल इंडस्ट्रीज कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ १५ पर आंकड़े दिये हुए हैं उनको मैं पढ़ देना चाहता हूं। इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये दूसरी स्टेट्स में जो बिजली खर्च हुई उसके आंकड़े इस प्रकार हैं --बम्बई ६६९,३१५, बंगाल ४८७,८८४, मद्रास १९२,४२८ और उत्तर प्रदेश १७०,८२४। यह कहा जायगा कि ये ४६ के आँकड़े हैं। भारतवर्ष का जो पावर और वाटर कमीशन है वह कहता है १० साल में १३६ फीसदी की वृद्धि हुई है। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर हमारा ध्यान इधर नहीं गया तो हमारा जो इरादा है उद्योगों को आगे बढ़ाने का वह पूरा न हो सकेगा।

यह भी कहा जाता है कि हम दूध की तरह धुले हैं। इस विभाग में एक ऐसा कलंक लगा है कि जो अच्छे-अच्छे अफसर हैं उनका सर लज्जा से झुक जाता है। करमचन्द थापड़ एंड ब्रदर्स की एक कोयले की कम्पनी कलकत्ते में है और वह कोयले का बिजनेस करती है। एक इंजीनियर महोदय ने इस कम्पनी को ठेका दिया कोयला सप्लाई करने के लिये। तीन तरह का कोयला होता है और कम्पनी ने ही सी क्लास का कोयला सप्लाई किया ए क्लास की जगह औ इस तरह इन इंजीनियर महोदय ने लाखों रुपया कमाये। पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार मैं उन महानुभाव का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस प्रकार का कार्य अगर कोई रिश्तेदार भी करता तो उनको विभाग में नहीं रखना चाहिये। अगर विभाग में उनको रखते हैं तो दूसरे लोगों को शह मिलती है और जो ईमानदार इंजीनियर्स हैं वे सोचने लगते हैं कि जब लाखों, करोड़ों रुपये का करप्शन करने वाले के लिये एक स्पेशल पोस्टक्रियेट की जा सकती है तो हम लोग ही क्यों ईमानदारी से काम करें।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि १२ साल की आजादी के बाद जितने प्रतिशत बिजली ग्रामों के उद्योगों के लिये दी गयी। इसके आंकड़े हमको आज

तक नहीं मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जो अपनी पालिसी स्पष्ट करें। जब खेती के बाद उद्योगों को ही हम स्थान देते हैं तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या किया गया।

इसके अलावा मैं खासतौर से बार्डर के इलाके के लिये कहना चाहता हूं। वहां सौभाग्य से नदियां भी हैं। अगर वास्तव में यह सरकार चाहती है कि बार्डर एरियाज की समृद्धि ठीक हो तो वहां की नदियों पर बांध बांध कर उनसे बिजली पैदा करने की योजना बनाये।

अन्त में मैं जो लोग हमारी योजनाओं में काम करते हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। यह ठीक है, सरकार कहती है कि पता नहीं वह योजनायें कब तक चलें लिहाजा उनको स्थायी कैसे किया जाय, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में भी अस्थायी कर्मचारी रहते थे मगर उनको निकाला नहीं जाता था लेकिन आज १५–१५ साल से जो मेकेनिक्स और आपरेटर काम कर रहे हैं––यह ठीक है कि सर्विस रूल्स नहीं बने हैं, लेकिन क्या यह उचित है कि उनको निकाला जाय, कई जगहों से उनको निकाला गया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह अपने अधिकारियों से कहें कि मानवीय दृष्टिकोण से उनको रखा जाय।

माननीय गिरधारीलाल जी यहां नहीं हैं, मैं माननीय मंत्री जी को समय पर आगाह करना चाहता हूं कि बहुत से अधिकारी मंत्री जी की सीधाई का बेजा फायदा उठाना चाहते हैं इसलिये अगर हमको जनतंत्र को बचाना है तो अफसरशाही के ऊपर जन प्रतिनिधि का अंकुश रहना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को सदन के सामने रखता हूं। और सदन से यह अपील करता हूं कि वह मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)––माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और जो विरोधी पक्ष की ओर से कटौती का प्रस्ताव आया है उसके विरोध में हूं। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारा प्रदेश उद्योग के मामले में दूसरे प्रदेशों से बहुत पिछड़ा हुआ है। यह भी सही है कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिये पावर बहुत ही आवश्यक चीज है। अभी हमारे भाई श्री प्रताप सिंह ने जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फैक्ट फाईंडिंग कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और बताया कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हमारे यहां बिजली महंगी है। यह सही है कि हमारे यहां बिजली महंगी है और जब तक ड्यूटी लगी हुई थी तब तक और भी ज्यादा महंगी थी। सरकार यही सोच कर कि इंडस्ट्री को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाय अभी थोड़े दिन पहले एक बिल लायी थी जिसमें उसने २० परसेंट ड्यूटी हटा दी थी। उस वक्त विरोधी पक्ष की ओर से यह एतराज किया गया था कि ड्यूटी हटा कर सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट्स को फायदा पहुंचा रही है और आज उसी चीज के बारे में जिसे सरकार इतने दिन पहले कर चुकी है सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। मैं तो इससे यही समझता हूं कि विरोधी पक्ष का केवल एक ही काम है और वह है सरकार के हर काम में बुराई निकालना चाहे जितना अच्छा काम वह क्यों न करे।

जो आंकड़े हमको इस साल मिले हैं उनके देखने से पता लगता है कि ५६–५७ के मुकाबिले में ५८–५९ में बिजली का उत्पादन ड्योढ़ा हो गया। लेकिन इंडस्ट्रिशल कंजम्पशन उस प्रोपोशन से नहीं बढ़ा। इससे साफ जाहिर है कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में जितना बढ़ावा सरकार को देना चाहिये और जिस इफरात से लोगों को लोड मिलने चाहिये वह नहीं मिल रहे हैं।

इंडस्ट्री से थोड़ा-सा संबंध मेरा भी है। इसलिये मैं कह सकता हूं कि इंडस्ट्री वालों को किस तरह की दिक्कतें इनसे पहुंच रही हैं और उनकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो यह कि एक-एक दिन में ५०-५० इंटरपशन्स होते हैं। आप अंदाजा करिये

[श्री श्रीकृष्ण गोयल]

कि जब ऐसा होगा तो कैसे मशीन चल पायेंगी। भले ही आइल मशीन हों, कोल्ड स्टोरेज की मशीनें हों या रेफ्रीजरेटर्स हों जब इस तरह से इंटरपशन्स होंगे तो बड़े-बड़े ब्रेक डाउन्स हों और प्रोडक्शन और रेफ्रीजरेशन में लासेज हों और कोई चीज नहीं हो सकती है। इसकी कितनी भी शिकायतें की जायं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती।

हमारे मुल्क को आजाद हुए १४ साल हो गये हैं लेकिन इन प्राइवेट इलेक्ट्रिक कम्पनियों को नेशनेलाइज नहीं किया गया है। उनके स्विच बोर्डों की हालत देखें तो मालूम होगा कि वह एक पैसा भी उन पर खर्च करने के लिये तैयार नहीं हैं। उनको लोगों की मुसीबत से कोई मतलब नहीं है। उनको काफी रुपया कमीशन के रूप में सरकार से मिल जाता है। पता नहीं किस तरह से वह अपने खर्चे दिखाते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रिक रेट्स भी बढ़वा लेते हैं। इस संबंध में जांच होने की आवश्यकता है।

आज कल देखा जाय कि लोड पर रेस्ट्रिक्शन्स हैं। कहीं पर १० घंटे के लिये बिजली बन्द रहती है, कहीं चार घंटे के लिये और कहीं ६ घंटे के लिये बन्द रहती है। अक्सर ऐसा होता है कि इन कम्पनियों के जो रेजीडेंट इंजीनियर्स हैं वह लोगों से १००-५० रुपये माहवार लेते हैं और रुपये लेकर उनको चलाने देते हैं। इस प्रकार से जो ईमानदार हैं और पैसा नहीं देना चाहते हैं उनको यह लोग परेशान करते हैं। डिपार्टमेंट से उतनी ही बिजली दी जाती है लेकिन ओवरलोड के कारण इंटरपशन्स बढ़ जाते हैं। उनकी शिकायत करने पर कोई सुनने वाला नहीं है।

बदायूं में जो प्राइवेट बिजली की कम्पनी है उसकी आम शिकायत है और गवर्नमेंट के पास भी रिप्रेजेंटेशन्स आये हैं। उत्तर प्रदेश में वहां सब से ज्यादा मिनिमम चार्जेज हैं। वहां ५ रुपये मिनिमम चार्जेज हैं। पता नहीं किस तरह से उन्होंने इतना बढ़वा लिया है। इसके लिये कई बार रिप्रेजेंटेशन्स भी किये गये और हाफिज जी से भी कहा गया, दूसरे विद्युत मंत्री जी से भी कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जहां तक मुझे पता है वह यह है कि इस कम्पनी के मालिकान और अफसर कहते हैं कि हमारी पहुंच सरकार में इतनी है कि आप लोग चाहे जितनी शिकायत करें, लेजिस्लेचर में भाषण दें लेकिन हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसके अलावा यह प्राइवेट कम्पनियां वही इंडस्ट्रीज चलाती हैं जो दूसरे लोग चलाते हैं। उनके चलाने से दूसरे लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। मान लीजिये एक आदमी कोल्ड स्टोरेज की इंडस्ट्री चला रहा है और वह भी चला रहे हैं तो घंटे दो घंटे के लिये उसका प्लांट बन्द कर देना मामूली बात है।

इसके अलावा जो लाइसेंसीज हैं उनको कितने लोड का कनेक्शन मिला हुआ है और कितना यूज कर रहे हैं यह मालूम होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वही देने वाले हैं और वही यूज करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि जितने भी प्राइवेट लाइसेंसीज हैं और जितना उनको कनेक्शन मिला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिये। किसी आदमी को भेजकर इस बात की जांच कराई जाय कि कितना लोड उनको सैंक्शन है और कितना वह इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा जहां तक ख्याल है वह यह है कि इसमें बड़ा भारी गोलमाल है। उसका कारण यह है कि बिजली की कमी है और इंडस्ट्रीज हर साल बढ़ती जाती है और वह आइल इंजिन लगाते नहीं हैं तो जरूरी बात है कि वह कुछ न कुछ गोलमाल करके अपना काम चलाते हैं और गलत तरीके से बिजली इस्तेमाल करते होंगे मैं एक और चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे हलके में एक गांव शेखूपुर है। वहां के प्रधान ने डेढ़ साल हुए एक प्रस्ताव पास करके भेजा था कि उनके ग्राम में बिजली लगा दी जाय। बहुत अच्छा गांव है, पुराने जमींदार हैं। इस तरफ कृपा माननीय मंत्री जी ध्यान दें।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीया, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव समर्थन में खड़ा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या २७—लेखा शीर्षक: ४१ और ८१-क—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक: ८१-क—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर)

मैं विद्युत में लगे हुये कर्मचारियों के बारे में अपना दृष्टिकोण रखना चाहता हूं। हमारे कानपुर में केसा में भी यह कर्मचारी कई हजार हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर हायडिल विभाग में हैं। उनकी पुकार मैं इस सदन में उठाना चाहता हूं। थर्ड और फोर्थ डिवीजन के कर्मचारी, रुड़की सर्किल की बात है, १९४८ से इनका बहुत सा एरियर पड़ा हुआ है, आज तक सरकार ने नहीं दिया। रिप्रेजेंटेशन किये गये लेकिन सुनवाई नहीं हो पायी। इन कर्मचारियों का यह भी कहना है कि न इन्हें बोनस मिलता है, न क्वार्टर मिलता है, न टी० ए० मिलता है और न प्रोमोशन और परमानेंसी के रूल्स हैं। यहां बीस-बीस साल से नौकरी करने वाले मौजूद हैं जिन्हें कनफर्म तक नहीं किया गया है। १९४९ से आज तक काम कर रहे हैं।

इनमें से कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनके संबंधियों की दुर्घटनाओं से मृत्यु हो गयी। विद्युत कार्य में अक्सर दुर्घटनायें होती रहती हैं। सरकार को नियमानुकूल उनके संबंधियों को कुछ न कुछ देने की बात सोचनी चाहिये। होता यह है कि परिवार के लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और कर पाते हैं तो १०,१० साल तक निर्णय नहीं होता है।

इस विभाग के जो ऊंचे अफसर हैं उनके भ्रष्टाचार की भी कोई जांच-पड़ताल नहीं होती। हर्दुआगंज अलीगढ़ में है, उसके रेजीडेंट इंजीनियर साहब अगर आप कहें तो मैं नाम भी ले लूं।

श्री अधिष्ठाता—नाम अगर न लें तो अच्छा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—उनके बारे में निश्चित शिकायतें हैं। कई साल हो चुके, उनकी जांच-पड़ताल नहीं हो पायी। बुंदेलखंड के एग्जीक्यूटि व इंजीनियर साहब के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आयीं। उनका तांता मैं बढ़ाना नहीं चाहता। हमारे मंत्री जी आ गये हैं। एक चीज नोट करवा दूं। इनके नीचे के अफसरान हम लोगों की बड़ी बेकद्री करते हैं। मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव है। कानपुर के सर्किल के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से अपने हलके की बात कहना चाहता था। मैंने सूचना भेजी तो कहा कि चाय पी रहे हैं। मैंने कहा कि दस पांच मिनट के बाद मौका मिले तो फिर कह दीजियेगा। जब मैंने फिर कहा कि मेरी बात सुन लें तो उन्होंने कहा कि वह घूमने चले गये। मैंने कहा जरा कहिये कि मैं एक मिनट बात करना चाहता हूं। जवाब आया कि वह कहते हैं कि दूसरे दिन आ कर मिल लेंगे। मुझे बहुत जल्दी थी अपने हल्के में जाने की। यह सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, सर्किल २ का व्यवहार है। वह हमारी बातें तक सुनना पसन्द नहीं करते। इसके संबंध में भ्रष्टाचार की बातें बतायी जायं तो सारा दिन लग जाय। कहा जाता है कि आप लिख कर दें। इससे ज्यादा क्या लिख कर दें, जब हाउस में कह रहा हूं? अपनी बीती, और नाम लेकर बता रहा हूं।

कर्मचारियों के प्रति जो व्यवहार केसा में या अन्य जगहों पर हायडिल विभाग में है उनकी कहानी जगह-जगह उनकी यूनियनों के द्वारा हमको सुनने को मिलती है और यह भी मैं जानता हूं एक अन्धाधुंध मची हुई है। अभी कानपुर में एक नयी लाइन जी० टी० रोड पर ले आउट हुई है। कहा यह गया था कि ३१ मार्च तक उसके अन्दर एप्लाई करने की तारीख है लेकिन मुझे पता लगा कि अभी तक उनकी एप्लीकेशंस नहीं ली जा सकीं जिनको कि वाकई जरूरत थी। किसान अपने रहट वाले कुओं के लिये बिजली लेकर बिजली से उसे चलाना चाहते थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक मेरे पास शिकायत मौजूद है बरहज नगरपालिका के बारे में। २० हजार की वहां आबादी है। वहां पर बिजली के लिये बार-बार कोशिश की गई कि बिजली वहां पहुंच जाय, लेकिन इस आधार पर बिजली वहां नहीं दी जा रही है कि वहां के प्रतिनिधि कोई सोशलिस्ट हैं और अगर वहां बिजली दे

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

दी गई तो उससे उस सोशलिस्ट प्रतिनिधि को कुछ महत्व मिल जायगा। मैं जानना चाहूंगा कि बड़े-बड़े हाई पालिसी के जो नियम बिजली के बारे में बनाये गये, उनका क्या आधार है? अभी हाल ही में हमको बताया गया कि बिरला कम्पनी को जो कि एक विदेशी कम्पनी के साझे में तैयार हुई है उसको बड़े सस्ते रेट पर बिजली दी गई और ऐसी हालत में दी गई जबकि पूर्वी जिलों में बिजली की बहुत आवश्यकता थी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन का कोरम इस समय नहीं है।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--- मैं यह कहने जा रहा था कि यह सस्ते रेट से हमारे बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बिजली देने के ठेके दिये जाते हैं और लम्बे अरसे तक के ठेके होते हैं, पच्चीस-पच्चीस साल के। लेकिन किसानों को जिस रेट पर बिजली उनको मिल रही है वह कई गुना तेज है, तीन-तीन गुना तक तेज है और उनके लिये किसी किस्म की कमी नहीं की जा रही है। आज बिजली की बहुत ज्यादा मांग है कि इस बिजली का फैलाव गांवों तक में हो, जिससे कि उद्योग-धंधे हमारे वहां बढ़ पायें, लेकिन मुझे कानपुर के बारे में अनुभव है। कानपुर में बिजली बढ़ने की बात बहुत दिन से हम सुनते आ रहे हैं। दो तीन जगहों पर जैसे पुखरायां की तरफ और जी० टी० रोड पर बिजली ले आउट हुई। लेकिन उनका अभी तक किसी रूप में उपयोग जनता के लिये नहीं हो पाया।

उद्योगों के संबंध में यह कोशिश थी कि बिजली इस रोड पर पहुंच जायगी तो उद्योग-धंधे देहातों में फैल जायेंगे। लेकिन वह बात होती दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि उद्योगों के बारे में जो सरकारी नीति है उसके संबंध में उसके अनुदान के समय हमने बताया था कि उद्योग जो कुछ मिलते हैं वह शहरों को ही मिलते हैं, देहातों के लिये कोई अनुदान नहीं मिल पाता है। तो अगर उसके लिये वहां अनुदान नहीं मिलेंगे तो यह बिजली अगर फैलेगी भी तो किस काम आयेगी? अतः आवश्यकता आज इस बात की है कि बिजली अगर वहां जाय तो उसका रेट वहां के अनुरूप हो और उद्योगों के संबंध में अनुदान की वृद्धि हो। इसके अलावा बिजली के उपयोग के संबंध में लोगों को जानकारी भी दी जाय।

कानपुर में जी० टी० रोड पर जो लाइन डाली गई वहां के ऐडमिनिस्ट्रेटर से मैंने बात की थी कि आप हमें भी अपने रूल्स ऐंड रेग्यूलेशन्स दीजिये ताकि हम उसे ग्राम समाजों को बतायें, तो उन्होंने कहा कि हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्रचार करना हमारा काम नहीं है, जिनको कोई जरूरत हो वह हमारे दफ्तर में आयें। अब उनका दफ्तर ऐसी जगह पर है जहां किसान पहुंच भी नहीं पायेगा, तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वह बिजली का उपयोग करेंगे कैसे? कानपुर के पास बिठूर में बिजली दी गई है। लेकिन जो बिजली वहां दी गई है वह सड़क के किनारे-किनारे कुछ लोगों को मिल गई है।

जरूरत इस चीज की है कि बिजली से उद्योगीकरण हो सके और उस उद्योग से जनता लाभ उठा सके। सरकार इस बात की चिन्ता नहीं करती है। बिजली देने के साथ कुछ और साधन सुलभ अगर यह सरकार कर दे तो वहां के स्थानीय लोग कुछ उद्योग लगा सकते हैं और बिजली का सदुपयोग हो सकता है। इससे अपने प्रदेश में उद्योग बढ़ सकेगा क्योंकि इसके साथ उसका लगाव है। अगर केवल बिजली को रोशनी के लिये दिया जायगा तो लोग इसका उपयोग नहीं ले सकेंगे। होना यह चाहिये कि इसके साथ-साथ उनको उद्योग की वृद्धि के लिये साधन उपलब्ध किये जायें।

इसके साथ-साथ मुझे यह भी कहना है कि यहां पर कहा गया कि बिजली के बोर्ड की नीति के बारे में अभी कुछ न कहा जाय परन्तु उसके संगठन के विषय में मुझे थोड़ी सी आशंका

है। मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि इस बोर्ड को जिम्मेदारी देने के बाद सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे बरी हो जायगी। इनके कहने का क्या यह तात्पर्य होगा कि इस बोर्ड को यह सारा काम सुपुर्द करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जायगी। इस बोर्ड के अन्तर्गत या विभाग के अन्तर्गत जो अधिकारी हैं वे सभी सरकारी हैं। उनके सारे कार्यकलाप को ध्यान से देखना होगा कि यह अपने प्रदेश की समृद्धि में कहां तक साथ देते हैं और इनके प्रयत्न के परिणामस्वरूप क्या लाभ होता है। मैं समझता हूं अगले वर्ष में मंत्री जी इस बोर्ड की नीति के बारे में अधिक ध्यान देंगे तो उचित ही होगा। तब लोगों को मालूम होगा कि इस बोर्ड ने देश में क्या उन्नति की है। तब सरकार अपनी तरफ से बात रखेगी और हम भी अपनी बात रखेंगे और देखेंगे कि इस बोर्ड ने क्या काम किया है। मैं समझता हूं कि इस अनुदान के अन्तर्गत कुछ और बिजली के कर्मचारी हैं जो बिजली के उद्योग में लगे हुये हैं, उनके साथ वह नियम लागू नहीं किये जाते हैं, जो अन्य कर्मचारियों के साथ लागू हैं। उनको न कोई बोनस मिलता है और न किसी प्रकार की वृद्धि मिलती है और न सहूलियत ही उनको कोई मिलती है। मैं आशा करता हूं कि उन कर्मचारियों की तरफ सरकार ध्यान देगी और उनकी कठिनाइयों को इस अनुदान के अन्तर्गत दूर करेगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्तुत अनुदान पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। म इस विभाग के या दूसरे विभाग के फल हुए भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं करना चाहता। मेरा मत धीरे-धीरे यह बन गया है कि भ्रष्टाचार की अधिक चर्चा करके हम अपने पक्ष को कमजोर करते चले जाते हैं। ज्यों-ज्यों हम भ्रष्टाचार की अधिक चर्चा करते हैं, त्यों-त्यों सामाजिक मान्यता इसको प्राप्त होती जाती है जो भ्रष्टाचारी लोग नहीं हैं उनको भी ऐसा महसूस होने लगा कि चर्चा तो थोड़ी होती ही रहती है। वह भी अपनी जगह से कुछ विचलित होते नजर आते हैं। इसलिये मैं भ्रष्टाचार के संबंध में न कह कर अपने क्षेत्र के संबंध मे बिजली की बातें कहूंगा।

मेरे क्षेत्र में एक कस्बा महमूदाबाद है। मैं इस बिजली को बेकारी से जोड़ना चाहता हूं। यदि बिजली का प्रसार हो तो बेकारी के घटने में सहायता मिलेगी ऐसा मेरा ख्याल है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में महमूदाबाद है वहां पर पुराने जमाने में राजा साहब महमूदाबाद वहां के रहने वाले रहे हैं जिन्होंने इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि इस देश में मुसलिम लीग का बड़ा भारी साथ दिया है और साथी रहे हैं। उनका बड़ा भारी अमला वहां पर काम करता रहा है। जमींदारी उन्मूलन के बाद उसमें से बहुत से लोग लखनऊ भागकर आये और बहुत से पाकिस्तान चले गये और बहुत से अभी भी वहां पर हैं। वह एक प्रकार से राजा साहब के साथ अपनी जिन्दगी बिताते थे। जमींदारी विनाश के बाद जो दूसरी व्यवस्था स्थापित हुई तो उसमें उनको अपनी जिन्दगी चलाना मुश्किल पड़ रहा है। उसका परिणाम यह हो रहा है कि वहां पर कम्युनिज्म का प्रचार हो रहा है और फैल रहा है। मैं तो यहां तक कहने की हिम्मत करता हूं कि उस कस्बे में बहू बेटियों की इज्जत भी आज हिफाजत में नहीं है वह एक बेकारी का विषय है? आदमी मरता क्या न करता वाली उनकी दशा है। सन् १९५६ में इस सदन में जब हाफिज साहब मंत्री थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था और यह कहा था कि सिधौली कस्बे का बिजलीकरण अगले वित्तीय वर्ष में हो जायगा और उसके पश्चात् महमूदाबाद को भी बिजली दी जायगी। १९५६ के बाद १९६० आ गया, लेकिन आज तक वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ और न पूरा होता नजर आ रहा है। मैं सरकार के अधिकारियों और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सिधौली में बिजली पहुंचे या नहीं, महमूदाबाद में बिजली अवश्य पहुचनी चाहिये ताकि वहां के लोगों को रोजी रोजगार मिल सके और वे लोग जो पाप कर रहे हैं, जीविका के लिये आखिर

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

बैंच रहे हैं वह रुके। मुझसे कल चीफ इंजीनियर साहब से बात भी हुई और उन्होंने अपनी परेशानी बतलायी। लेकिन किसी तरह पर हमें वहां के लिये बिजली का प्रबन्ध करना चाहिये और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

बिजली का संबंध उद्योग धंधों से भी है इस से कोई इंकार नहीं कर सकता। मेरे साथी सरकार की बड़ी कटु आलोचना करते हैं जब उद्योग-धंधों को बिजली दी जाती है। अगर उद्योग धंधों के लिये बिजली न दी जायगी तो काम कैसे चलेगा, यह नहीं समझ में आता, जैसा इधर के एक भाई ने कहा कि विरोधियों का एतराज तो सरकार के हर काम के लिये रहता है और इसलिये वह सरकार के अच्छे कामों को देख नहीं पाते। यदि आपको प्रदेश का औद्योगीकरण करना है तो हमें उद्योगपतियों को बिजली देनी ही पड़ेगी और ऐसा करने में हम उन के साथ कोई मुरव्वत नहीं करते। वह बिजली तो हम इसलिये देते हैं कि उन उद्योगों में हमारे गरीब भाई लग कर अपना पेट पाल सकें और इसी नीति के तहत अगर हम उनको बिजली दें तो कुछ अनुचित न होगा।

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कहा कि विरोधी दल के लोग एक तरफ तो यह कहते हैं कि उद्योगों को बिजली न दी जाय और दूसरी तरफ रोजगार देने की बात कहते हैं। आपने अपने आसन से इस बात को सुना था। मैंने कहा था कि उद्योगपतियों को बिजली इसलिये दी जाय ताकि लोगों को रोजगार मिले और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसी लाइट में बोलें।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--मैंने यह नहीं कहा कि इसी वक्त यह बात कही गयी है। मैं तो कहता हूं कि कही गयी है यह बात और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको यह बात साबित भी कर दूंगा कि कब कही गयी है।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जहां हम उद्योगपतियों को बिजली देने की बात कहते हैं वहां साथ-साथ मेरी प्रार्थना यह भी है कि बिजली का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिये और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का प्रसार किये जाने में पक्षपात बरता जा रहा है इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अगर यह पक्षपात न बरता जाता होता तो क्या वजह थी कि १९५६ का वायदा, जो उस समय के विद्युत मंत्री ने किया था, आज तक पूरा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि हरदुआगंज में नया वाष्प बिजली घर बनाने के लिये १९५९-६० के तखमीने में १४ लाख ३० हजार रखा गया है, फिर २ लाख १६ हजार हुआ और १९६०-६१ में वह १ करोड़ ७३ लाख की योजना हुई। इस तरह नये-नये बिजलीघरों का बनाया जाना जारी है तो क्या वजह है कि सिधौली और महमूदाबाद के लिये कोई प्रबन्ध नहीं हो सका। वजह के लिये कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि १९५६ से १९६० तक देखा जाय कि कितने ट्रांसफार्मर आये और कितने बिजली घर बनाये गये। इसको देखने की कृपा करें तो पता चलेगा कि उस बात में कितना दम है।

इसके साथ ही मै अर्ज करना चाहता हूं और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यदि हम को प्रदेश की तरक्की करनी है तो हमको एक मास्टर प्लान की आवश्यकता है। इस बिजली के लिये भी एक मास्टर प्लान बनना चाहिये। यदि पहले से इसको नहीं बना लेते हैं तो फिर लोगों के प्रभाव में आकर, लोगों के दबाव में आकर उन योजनाओं में बाद में तब्दीली की जाती है जो कि पहले से मंजूर होती है और नयी योजनाओं को चालू किया जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यदि जनतंत्र में आपको लोगों का विश्वास पैदा करना है तो उसका यह भी एक तरीका है कि आपकी योजनायें पहले से निश्चित तरीके पर बनी हुई हों। और पहले उन योजनाओं को धीरे-धीरे बढ़ाते चले जाइये तभी जनता का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी जल्दी जो योजनायें चलाई जाती हैं उनका प्रभाव यह होता है कि वह अधूरी रह जाती हैं और उन पर खर्च किया गया सारा रुपया बरबाद चला जाता है। उदाहरण के लिये

बस्ती बभनान लाइन एक योजना चलाई गयी उसमें १६-१७ लाख रुपया नलकूपों में चला गया। वह अभी तक वसूल नहीं हो रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि महमूदाबाद क्षेत्र में आप बिजली देने की कृपा करें क्योंकि इसकी वहां पर बहुत आवश्यकता है। अगर वहां बिजली पहुंच गयी तो वहां पर छोटे-छोटे बहुत से उद्योग धंधे शुरू हो सकते हैं और वहां के लोग अपनी जिन्दगी अच्छी तरह बसर कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्तुत अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकार से मेरा आग्रह यह है कि इस समय जनता बहुत संकटकालीन दौर से गुजर रही है। इतना भारी संकट हमने इसक पहले कभी नहीं देखा है। खेती की पैदावार के लिये बिजली की सबसे अधिक आवश्यकता है। आज बिजली बेकार के कामों में दी जाती है, लेकिन ट्यूब वेल्स के लिये इर्रीगेशन के लिये या ऊशर के लिये, जिसके लिये लोग एक एक हार्स पावर के लिये तरसते हैं, बिजली नहीं दी जा रही है। यह बड़े शर्म की बात है कि हमारा देश इन सालों में अरबों रुपयों का अन्न बाहर से मंगा कर खा रहा है। अगर इस बिजली को अन्य कार्यों से बचा कर खेती के कामों में इसका प्रयोग करें, अगर खेती के कामों में इसको अब तक लगाया गया होता तो हमारी सारी दिक्कत हल हो गयी होती। उत्तर प्रदेश सोना उगलने वाला प्रदेश है। लाखों लोग आज बिजली के लिये तरसते फ़िर रहे है मगर उनको बिजली नहीं मिलती। सिनेमा के मालिक चाहते हैं तो उनके यहां २४ घंटों के अन्दर बिजली की फिटिंग हो जाती है, दूसरे बेकार के कामों के लिये तुरन्त बिजली की फिटिंग हो जाती है, लेकिन किसान के लिये वह नहीं मिल पाती आज तक सरकार की यह पालिसी डिक्लेयर नहीं हो पायी है कि किस वक्त किसान को बिजली दी जायेगी।

मैं चाइना की बात नहीं कहूंगा। मैं दूसरे मुल्कों की, अमेरिका, आदि की, बात भी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस गवर्नमेंट की बात कहूंगा। पंजाब की जो हालत है, वहां के किसानों की जो हालत है, कम से कम उस हालत तक तो हमको लाया जा सकता है। वहां पर भी तो कांग्रेस का राज्य है। यहां पर भी कांग्रेस का राज्य है। लेकिन पंजाब के काश्तकार जहां १०० फीसदी फायदा उठाते हैं वहां हम ३३ फीसदी भी फायदा नहीं उठा पाते हैं। मैं माननीय यादव साहब से कहना चाहूंगा, मैं निर्माण कार्यों का विरोधी नहीं हूं किन्तु यह जरूर चाहता हूं कि बिजली की जहां जरूरत है वहां बिजली दी जानी चाहिये और जहां बिजली की जरूरत नहीं है वहां बिजली बेकार नष्ट नहीं की जानी चाहिये। जब हर चीज का कोटा फिक्स है तो कम से कम खेती के लिये भी बिजली का कोटा नियत होना चाहिये। आज जिस रेट से बिजली ट्यूबवेल्स के लिये दी जाती है उसी रेट से हमारे पश्चिमी जिलों के लोग बिजली लेने को तैयार हैं। लेकिन वहां के लोगों की दो-दो सालों से दरख्वास्तें लगी हुई हैं और उनको बिजली नहीं मिल पायी है। आज किसान को बिजली के लिये ५०-५० मील से आकर क्लर्कों की खुशामद करनी पड़ती है, उनको इस दिक्त से बचाया जाय। उनको यह बताया जाय कि फलां वक्त तुमको बिजली मिलेगी और उस समय उनको बिजली मिलनी चाहिये एग्रीकल्चरल वर्क के रेट्स इंडस्ट्रियल के मुकाबिले में कम होने चाहिये। इसी संबंध में मैं आपके सामने आंकड़े पेश कर रहा हूं कि अगर हमने बिजली का इंतजाम नहीं किया तो हमारी क्षति कितनी होगी। सन् १९२९ में हमारे प्रदेश में ७ लाख ८० हजार ६२९ मैसनरी वेल्स थे, लेकिन १९५९ में हमारे प्रदेश में २,२१,५३९ मैसोनरी वेल्स रह गये हैं। उनसे २० फीसदी से ज्यादा पैदावार होती थी, लेकिन चूंकि किसान को वक्त के ऊपर तकावी नहीं मिल सकी है किसान उन कुओं को कायम नहीं रख सका है। दूसरी दिक्कत यह हुई कि जमींदारियां छिन गयीं जिससे कुयें जमींदारों के पास और जमीन काश्तकार के पास रह गयी। जमींदार काश्तकार को कुयें इस्तेमाल

[श्री यशपालसिंह]
नहीं करने देते और खुद उन कुओं को किस चीज के लिये डेवलप करें, क्यों करें? अच्छा हो कि सरकार की तरफ से ऐसे लाखों कुओं को मुआवजा देकर काश्तकारों के हक में दखल दिया जाय जिससे काश्तकार उनसे फायदा उठा सकें।

दूसरे, मैं बहुत विनम्र शब्दों में यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि इंजीनियर्स हमारे देश के निर्माता हैं। कई लोग जो गैर जिम्मेदारी से यह कह देते हैं ३ दिन से चर्चा चल रही है, यह कहा गया कि सभी इंजीनियर्स बेईमान हैं, इससे हमारे राष्ट्र की तामीर को धक्का लगता है। इंजीनियर हमारे निर्माता हैं। मैं कहता हूं कि जो बेईमान हैं, करप्ट हैं उनको सजा दी जाय, लेकिन हर एक इंजीनियर बेईमान है, यह कहने से हमारे देश को कलंक लगता है। अगर इंजीनियर्स न होते तो यह सिवलीजेशन सो गयी होती, यह शिल्प केंद्र खंडहर हो जाता। इंजीनियर न होते तो यह संगीत सूख जाता, इंजीनियर न होते तो यह सभ्यता पंगु हो जाती, इंजीनियर न होते तो आज यह असेम्बली हाल यहां एग्जिस्ट न करता, बल्कि यहां एक कूड़े का ढेर पड़ा होता। जरूरत है कि विद्या, बुद्धि और प्रतिभा की इज्जत की जाय,

"हजारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।"

जहां विद्या, बुद्धि और प्रतिभा की इज्जत नहीं होती वहां समाज बुझ जाया करता है, वहां की सिवलीजेशन और कल्चर मिट जाया करती है। माननीया, मानव धर्मशास्त्र में लिखा है, "अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नां च व्यतिक्रमः, त्रीणि तत्र जायन्ते दुर्भिक्ष मरणं भयम" जहां काबिले एहतराम लोगों को आदर और सम्मान नहीं मिलता उस देश के अन्दर दुर्भिक्ष आया करता है, ओले पड़ते हैं, टिड्डी दल आया करते हैं, मरण होता है, भय होता है। इसलिये हमें योग्य इंजीनियरों का मान करना चाहिये साथ ही हमारा सब का प्रयत्न होना चाहिये कि हमारे देश में से भ्रष्टाचार दूर हो और यह इंडिविजुवल कैरेक्टर को डेवलप करने से दूर हो सकता है।

मैं उस रुड़की में रहता हूं जो बिजली का सबसे बड़ा सेंटर है। रुड़की से दो मील के फासले पर जो गांव हैं वह अंधेरे में पड़े हुए हैं, लेकिन रुड़की के छोटे से कस्बे में ३ सिनेमा चलते हैं। पहले जहां एक सिनेमा चलता था, अब ३ चल रहे हैं। जिस देश के अन्दर करोड़ों आदमी भूखे पड़े हों, लाखों आदमी सड़कों पर और भट्ठियों के साथ चिपट-चिपट कर रातें काटते हों, उस देश के लिये शोभा नहीं देता कि नाचने गाने पर, लग्जरी में इतनी बिजली खर्च की जाय। गवर्नमेंट को अपनी पालिसी डिक्लेयर करनी चाहिये, ऐलान करना चाहिये कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जायगी वह ऐग्रिकल्चर के लिये दी जायगी। जब तक ऐग्रिकल्चर तरक्की नहीं करेगा तबतक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। जो ढाई करोड़ आबादी का मुल्क मिस्र है वहां ४० मन फी एकड़ पैदावार होती है और हमारे देश का औसत अभी तक ७ मन फी एकड़ भी नहीं है। और वह एक रेगिस्तानी मुल्क है। अगर वहां नील का वाटर है तो उससे ज्यादा पैदा करने वाला गंगा का पानी है, उसमें ज्यादा मिनरल्स हैं, ज्यादा खाद्योज्य हैं, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन है जोकि हमारी फसलों को बढ़ा सकता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट इस तरफ कोई तवज्जह नहीं दे रही है। मैं बड़ी नम्रता के साथ यह आग्रह करता हूं कि कम से कम ऐग्रिकल्चर के लिये इसी सन् ६० के अन्दर इतनी बिजली जो पैदा हो रही है वह सब से पहले कुओं को दी जाय, वरना दिक्कत यह होगी कि जहां हम आज से ५० साल पहले थे वहीं आज होंगे। अगर पैदावार का रकबा न बढ़ा, अगर प्रोडक्शन न बढ़ा तो दूसरे मुल्कों की हमें गुलामी करनी पड़ेगी और माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपके जरिये से आज फिर यह कह देना चाहता हूं कि हम इनवाइट करेंगे दूसरे "इज्म" को हम इनवाइट करेंगे लाल आंधियों को, कम्युनिज्म को तो हमारे देश का जो

एक्स्प्लायटेंड मास जो शोषित वर्ग है वह कभी देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता। उन्हें हमारी कला और संस्कृति अच्छी न लगेगी।

"बुभुक्षितैः व्याकरणं न भुज्यते, पिपासितैः काव्यरसो न पीयते।"

जनता जनार्दन और उसकी गरीबी का यह तकाजा है कि खेती के कामों पर बिजली को खर्च किया जाय। खेती की पैदावार जब तक न बढ़े तब तक सिनेमाघरों, नाचने गाने के क्लबों और लग्जरी के स्थानों से बिजली को एकदम रोक दिया जाय। अगर मेरे इस आग्रह को यह सरकार मान ले तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि सन् ६० में ही हम सेल्फ सफीशियेंट हो जायेंगे और हमें बाहरी अनाज की जरूरत नहीं होगी। जिस देश को हम "सुजलां, सुफलां, मलयज-शीतलां" भूमि कहते थे, यह कहते थे कि यहां की भूमि रतन उगलती है वही भूमि आज दाने दाने के लिये दूसरों की मुहताज है यह बहुत बड़े फक्र की बात होगी अगर हमारे मंत्री जी आज सिर्फ तीन चीजों का एलान यहां पर कर दें। पहला एलान यह कि काश्तकारों के लिये जो बिजली दी जायगी वह बहुत सस्ते दामों पर दी जायगी। दूसरा एलान यह कि फर्स्ट प्रायरिटी खेती के कामों के लिये दी जायगी और तीसरा एलान यह है कि बिजली के मुहकमे के जो छोटे छोटे आपरेटर्स हैं, लो पेड सर्वेन्टस हैं, जो हमारे मैकेनिक काम करते हैं जिनकी तनख्वाहें कम हैं उनकी तनख्वाहें किसी की भी सौ रुपये से कम न होंगी। पंजाब एक छोटा सा प्रदेश है और कांग्रेस से ही गवर्न्ड है, लेकिन वहां किसी भी बिजली के कर्मचारी की तनख्वाह सौ रुपये माह-वार से कम नहीं है। लेकिन हमारा इतना बड़ा प्रदेश है यहां किसी छोटे कर्मचारी की तनख्वाह सौ रुपये तक नहीं पहुंचती है। अगर मंत्री जी ने यह तीनों एलान कर दिये तो मैं समझूंगा कि जिस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने में खड़ा हुआ हूं वह पूर्ण हो गया। और ईश्वर करे गवर्नमेंट को सद्बुद्धि आवे और उसको प्रभु सत्पथ प्रदान करें जिससे वह इस प्रदेश की सेवा कर सके।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, यह प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है जहां करीब ८० फीसदी जनता कृषि पर जीवित है, उसको प्राथमिकता बिजली में देने के लिये, सस्ती बिजली देने के लिये जो बात मेरे पूर्ववक्ता ने कही है वह बहुत उत्तम है और जितना हो सके बहुत अच्छा है। साथ ही सौ रुपये से कम तन-ख्वाह न हो तो सौ रुपये क्या दो सौ रुपये भी उनकी तनख्वाहें हो जांय तो ज्यादा आपत्ति की बात नहीं है लेकिन साधनों की देखते हुये अगर कोई सुझाव दिये जांय तो बात समझ में आवे लेकिन केवल "वचनस्य का दरिद्रता" जबानी जमाखर्च करना है तो बात दूसरी है। वास्तविकता यह है कि दो सौ रुपया किया जाय तो टैक्स लगे और फिर विरोध हो। इसलिये ऐसे प्रस्ताव अच्छे तो हैं लेकिन जबानी जमाखर्च ही है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तत्व नहीं है।

अब जहां तक बिजली के उत्पादन का सम्बन्ध है उसके लिये हमारे पास विवरण हैं। जो पुस्तिका प्रस्तुत की गई है सरकार की ओर से उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उस पुस्तिका में बिजली के उत्पादन और वितरण के विवरण इस प्रकार हैं---१९५६-५७, ५७-५८ और ५८-५९ के आंकड़े मैं रख रहा हूं जो फिगर्स इन हाजार यूनिट्स हैं। कुछ उत्पादन जो हुआ है वह क्रमशः ६ लाख ७२ हजार, ७६४ हजार यूनिट्स, ७ लाख ६६ हजार ५८६ हजार तथा उसके बाद ७ लाख ७६ हजार यूनिट्स। इस प्रकार तीन वर्षों में करीब डेढ़ दो हजार या इससे ज्यादा यूनिट्स का उत्पादन हमारे यहां बिजली का बढ़ा है। तो जिस क्रम से बिजली का उत्पादन बढ़ा उस क्रम में कृषि और औद्योगिक कामों में बिजली नहीं दी गई, ऐसा मालूम होता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रदेश के लोगों का जीवन-स्तर उठाने के लिये यह आवश्यक है कि कृषि में और उद्योगों में सस्ती बिजली दी जाय। इससे जो अनएकोनामिक होल्डिंग्स हैं उनको भी सहायता पहुंचेगी और किसानों का जीवन स्तर भी ऊंचा होगा।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। रिहन्द डैम के सिलसिलें में श्री प्रतापसिंह ने और दूसरे लोगों ने भी कहा और उसके साथ में बिजली परिषद् की भी बात है। हमें जो बजट साहित्य मिला है उसके भाग दो के पृष्ठ ९६ और १२७ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पेज ९६ पर लिखा हुआ है कि जितना हमारा बिजली का कारोबार है वह किस तरह से विद्युत् परिषद् को दे दिया गया है। विद्युत परिषद् में सरकारी कर्मचारियों की सेवायें ट्रान्सफर कर दी गई हैं। यह एक ऐसी संस्था है जैसे कि लोकल बाडीज होती हैं....

श्री प्रतापसिंह---मैंने यह नहीं कहा था।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---ठीक है। तो पेज ९६ पर आप देखें उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारी प्रदेशीय सरकार का कहां तक उस विद्युत् परिषद् से सम्बन्ध है। रिहन्ड डैम के बारे में जो टीका-टिप्पणी की गई वह चूंकि प्रशासन के अन्तर्गत आता है इसलिये वह करना जायज है। रिहन्द की बिजली किसानों को न देकर बिरला को अलम्यूनियम फैक्टरी के लिये दी गई और सस्ते दर पर दी गई, यह कहा गया। इस सम्बध में मैं बताना चाहता हूं कि औद्योगीकरण में दो सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। अगर हमको कृषि पर ही निर्भर नहीं रहना है और अपने प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योगों को भी चलाना है तो यह आवश्यक है कि हम पूंजीपतियों को प्रोत्साहित करें। हमें उनको बिजली भी देनी पड़ेगी। उसी रूप में बिरला को वहां पर बिजली दी गई। वह वहां पर अलम्यूनियम का कारखाना लगा रहे हैं। इस कारखाने से हमारे हजारों आदमियों को फायदा पहुंचेगा और फारेन एक्सचेन्ज की भी बचत होगी। तो मुझे कोई ऐसा तर्क नहीं दिखाई देता जिससे इसका विरोध किया जा सके। यह आप अवश्य कह सकते हैं कि किसानों को बिजली नहीं मिली। इस सम्बन्ध में हमारे माननीय मुख्य मंत्री कई बार कह चुके हैं कि मऊ, सोहावल और गोरखपुर के जो पावर हाउसेज हैं बिजली के उन तीनों को वह एक ग्रिड बनाना चाहते हैं और ग्रिड बना करके तीनों स्थानों पर जो मशीनें खाली हैं उनको रिहन्द से कनेक्ट कर देंगे। उसका परिणाम यह होगा कि उससे इतनी बिजली हो जायगी कि हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जांय। तो हमारे पास जो पावर हाउसेज हैं उनमें थोड़ा सा नियोजन करके हम अपना काम निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हमारी मिक्स्ड एकोनामी है तो उसमें अगर हम बिरला को बिजली न देते तो किसी दूसरे को देते। बिना किसी व्यक्ति के तो कोई चीज संचालित नहीं होती है। इसलिये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस दृष्टिकोण से इसकी टीका-टिप्पणी की गई। हां, उनको बिजली देने से अगर वहां पर औरों के लिए बिजली का अभाव रहता तो यह बात मुझे भी खटकती। लेकिन जब उसके लिये दूसरी व्यवस्था की जा रही है तो फिर उस टीका-टिप्पणी का आधार क्या है।

दो एक बातें मैं और कहना चाहता हूं। मैं यह जरूर मानता हूं कि अगर औद्योगीकरण के लिये बिजली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दी जाय तो वह अच्छा होगा, उससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऊंची उठेगी।

जहां तक ट्यूबवेल्स का सवाल है, पिछले सालों में दो ढाई सौ ट्यूबवेल प्रति जिले के हिसाब से सारे प्रदेश में लगाये गये हैं। यह सही है कि ट्यूबवेल का रेट १५--२० रु० फी एकड़ पड़ जाता है जो कि किसान की शक्ति के बाहर पड़ जाता है इसलिये हमारा उत्पादन का जो लक्ष्य है वह पूरा नहीं हो पाता। कभी-कभी जब सूखा पड़ता है और पानी की माफी या सस्ता देने की बात होती है तो कानूनी दिक्कत पड़ती है। लाखों रुपये की तकावी और छूट आप देते हैं तो क्या यह संभव नहीं है कि किसानों को आप सस्ती बिजली दें और जो सब्सीडी आप देते हैं, उसमें आप उसको एडजस्ट कर दें। इससे किसानों की स्थिति ऊंची होगी और उनको बिजली इस्तेमाल करने की आदत भी पड़ेगी।

कुछ साथियों ने कहा कि ट्यूबवेल्स के पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। उसका भी कारण यह है कि बिजली महंगी पड़ती है इसलिये जो सीमित साधनों वाले किसान है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ट्यूबवेल के पानी के बजाय वे समझते हैं कि कुएं का ही पानी ठीक है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे बिजली को किसानों के लिये सस्ती दें।

दूसरी बात यह है कि देवरिया में जो बिजली दी जाती है न जाने क्यों वहां पर बल्ब बहुत फ्यूज होते हैं। न जाने बिजली की मशीनरी में कोई खराबी है या और कोई बात है। लोग इस वजह से बिजली से घबराने लगे हैं कि बिजली से बहुत से स्थानों में आग लग गयी है। ३६ हजार रुपये का सामान एक व्यवसायी का जल गया। पिछले ६ महीनों में ३ बार इस नगर में यहां आग लग चुकी है। इसकी बाबत मैंने शिकायत भी की थी। जब हमें वहां के लोगों को बिजली के प्रयोग के लिये आदी बानना है तो इसके लिये जरूरी है कि वहां के कर्मचारियों को इस बात की हिदायत दी जाय कि वे लोगों को उसके तौर तरीके बतायें और उनकी तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न करें जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में बिजली के अभ्यस्त हो सकें। मेरा विश्वास है कि इस साइंस के जमाने में हम अपने उत्तरदायित्व को निभा पायेंगे।

दूसरी बात यह है कि देवरिया और बरहज में बिजली के खंभों की बहुत शिकायत है। माननीय उग्रसेन जी इस समय यहां नहीं हैं वे बार-बार सदन में इसके बारे में प्रश्न उठाया करते हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बिजली के खंभों की शिकायत को दूर करने की कृपा की जाय। हमारे यहां एक छोटे से नगर में ऐसी शिकायत है तो उससे मैं अन्दाजा लगा सकता हूं कि और स्थानों पर भी ऐसी शिकायतें होंगी। सरकार इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने की कृपा करे। इन बातों से माननीय मंत्री जी को बिजली के प्रसार और प्रचार में सुविधा मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)––सदर साहिबा, आज बिजली के ऊपर बहस हो रही है। किसी भी मुल्क के लिये आज की दुनियां में जब कि विज्ञान का जमाना है, बिजली की बड़ी जरूरत है। हम पश्चिमी देशों की तरफ देखें, वहां जो काश्तकार लोग हैं उनके नौकर भी मोटरों में फिरा करते हैं। उसके बरअक्स अगर हम अपने हिन्दोस्तान और यू० पी० को देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि इस माने में हमारा यू० पी० काफी पिछड़ा हुआ है। अभी इससे पहले भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ एक बात कहूंगा––

जो करो नजर वह है हर जगह, जो हो बेबसर तो कहीं नहीं,
मुझे आज तक न खबर हुई, वह कहां है और कहां नहीं।

जो देखता है उनकी नजर में भ्रष्टाचार होगा। आज तो इस बिजली का सवाल है। हम देखते हैं कि दिल्ली में ट्राम्स चलती हैं बिजली के जरिये चलती हैं लेकिन आज लखनऊ में ट्रामवे नहीं है। तो अगर आज हम देहली से मुकबला करें या कि शिकागो, लंदन आदि बाहरी मुल्कों से अपना मुकाबला करें तो उससे बहुत पीछे हैं। देहली से लखनऊ बहुत पीछे है। मैं जिस इलाके से आया हूं वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में गन्ना पैदा होता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर गन्ना का काम बहुत होता है। तो इस जमाने में जब कि गुड़ देहातों में बिकता है और बनता है, अगर वहां बिजली मिल जाय तो ज्यादा से ज्यादा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज बहादुर]

मशीनें वहां चलायी जा सकती हैं। वहां धान बहुत ज्यादा पैदा होता है, अगर वहां बिजली मिल जाय तो धान कूटने की मशीनें लग सकती हैं। इसके अलावा आटे की मशीनें लग सकती हैं।

इस जमाने में जब कि लोग तरक्की कर रहे हैं, हमारे यहां पानी की कमी है, बारिश की कमी से बहुत ज्यादा पैदावार नहीं हो पाती। लेकिन अमेरिका में आज यह हालत है कि वहां के किसान जब चाहें पानी बरसा लिया करते हैं। आज वहां विज्ञान की इतनी तरक्की है कि बिजली के जरिये अन्न की पैदावार बड़ी तेजी और सहूलियत के साथ बढ़ा ली जाती है, इसी तरह से यहां भी अन्न की पैदावार बढ़ायी जा सकती है।

बिजली से कई फायदे हैं, जैसे अगर बिजली के जरिये कोई काम किया जाता है तो वक्त की बचत होती है, जो काम कई आदमी मिल कर घंटों, दिनों तथा महीनों में कर पाते थे उनको चन्द मिनटों में पूरा कर लिया जाता है। इसके अलावा कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो जाती है। अगर कोई काम ऐसा हो जिसे हजारों आदमी भी मिल कर नहीं कर सकते थे उस काम को भी मशीनों के जरिये कम लागत में बड़ी आसानी से किया जा सकता है।

इस विज्ञान के युग में विज्ञान और बिजली से सही और गलत दोनों काम लिये जा सकते हैं। जैसे इंजीनियर लोग अगर वैज्ञानिक तरीके से अपने अक्ल को लगावें तो उससे देश की बड़ी तरक्की हो सकती है। वहीं पर अगर उन्हें गलत दिशा में ले जायं तो एटम बम तैयार किया जाता है। जिससे दुनिया के लाखों और करोड़ों आदमियों का खून होता है। तो दोनों चीजें हैं, अगर दिमाग को डिस्ट्रक्शन की तरफ लगायें तो उससे नुकसान भी बहुत होता है लेकिन अगर दिमाग को कंस्ट्रक्शन तरफ लगावें तो इन इंजीनियरों के द्वारा हमारा देश और प्रदेश बहुत आगे बढ़ सकता है।

मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहते हैं कि इंजीनियरों की तनख्वाह कम की जाय, या उनको रहने के लिये मकान न दिया जाय या उनको अच्छा खाना न मिले। मैं तो इस राय का हूं कि जितने हमारे इंजीनियर्स हैं उनको तनख्वाह भी अच्छी मिलनी चाहिये, उनके रहने के लिये इमारत भी अच्छी होनी चाहिये तथा खाने को भी अच्छा मिलना चाहिये ताकि उनका दिमाग रुपये की कमी की वजह से कहीं दूसरी तरफ न लग जाय। वरना हो सकता है कि वे रुपये के लिये कोई दूसरा तरीका पैदा करें। इसके साथ ही साथ इन इंजीनियर्स का भी फर्ज है कि वे अपनी अक्ल से जो यू० पी० की इतनी बड़ी आबादी को हैजान है, परेशानी है, जो उनकी गरीबी है, मुफलिसी है उसको दूर करें और हजारों लाखों आदमी जो काम के लिये मारे-मारे फिरते हैं उनको कोई न कोई काम मिल सके।

आज बहुत से आदमी शिक्षित हैं, पढ़े-लिखे हैं मगर बेकार हैं। आज हर आदमी को जो १८ वर्ष से ज्यादा उम्र का है उसे कोई न कोई काम मिलना चाहिये ताकि वह काम करके अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ावे, देश की पैदावार को आगे बढ़ावे तथा कोई आदमी खाली न रह सके। क्योंकि जब आदमी खाली रहता है तो उसका दिमाग बुरी बातों की तरफ जाता है, ऐडवर्स क्रीटिसिज्म करता है। आज यह हमारे लिये कितनी लज्जा की बात है कि सैकड़ों नौजवान हमारे यहां बेकार भरे हुए हैं और उनको कोई काम नहीं मिलता। इस वास्ते इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम ऐसी नयी-नयी मशीनें बनायें जिससे उन लोगों को काम मिले। आपका ध्यान सिर्फ ४,६ शहरों की तरफ ही रहने से काम नहीं चलने वाला है। जैसा कि प्रताप सिंह ने कहा, यह सही है कि आज यह जमाना है जब कि जो डाउनट्राडेन हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, पीड़ित और कमजोर हैं जिन पर हमारी जिन्दगी का इन्हसार है, जिन पर हमारे प्रदेश की उन्नति का दारोमदार है उन देहात की तरफ भी व चलें और इस बिजली को गांव गांव में, देहात-देहात में हर जगह फैलावें।

२७--लेखा शीर्षकः ४१ और ८१-क--विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षकः ८१-क—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर)

एक वक्त था जब कि हमारे यहां साइंस और बिजली की चीजें आयीं मोटर और रेलें आयीं तो उसे देख कर लोग भागते थे और घबड़ाते थे। म्युटिनी भी इसी वजह से हुई थी। जब साइंस की चीजों का ईजाद हुआ तथा बिजली की नयी-नयी चीजें आयीं तो चूंकि लोगों का उससे कोई सम्पर्क नहीं था, इससे वे घबड़ा गये और उनमें भ्रम पैदा हो गया जिससे सिपाहियों ने बगावत शुरू कर दी। तो हम उस चीज को जिसे पहले बुरा समझते थे अच्छा समझने लगे और इस्तेमाल करने लगे, पहले लोग बिजली लेना पसन्द नहीं करते थे, उसके जरिये कारखाना चलाना, चक्की चलाना लोग पसन्द नहीं करते थे। अबजो उस की जरूरत को लोग महसूस करते हैं तो यह सन्तोष की अलामत है, आज देहात में भी उसकी मांग है, आज लोग चाहते हैं कि छोटे से छोटे काम के लिये भी बिजली मिले और गांवों तक में बिजली का इंतजाम हो। अगर देहात में बिजली पहुंच जाय तो वहां के लोगों की बहुत सी जरूरत और मुसीबतें दूर हो जायं और उस का नतीजा यह हो कि लोगों की गरीबी और इफलास दूर हो जाय। जिस तरह से हम यहां देखते हैं कि बिजली का बटन दबाने से पंखे चलने लगते हैं या रोशनी हो जाती है उसी तरह से देहात के और कस्बों के लोग भी चाहते हैं कि उन को बिजली मोहैया कराई जाय। आज लोगों की जो रोज की जरूरतें हैं वह तकाजा कर रही हैं कि जिस तरह से भी हो ऐसे साधन मोहैया कराये जायं कि जिस से ज्यादा बिजली पैदा हो सके।

यह ठीक है कि अब बिजली पहले से ज्यादा पैदा हो रही है। हमारे बरेली के पावर-हाउस को कोयले की कमी की वजह से भट्ठे वालों से कोयला कर्ज दिलाया गया, मेरे पास भट्ठे वालों ने आकर शिकायत की कि हमारा कोयला पावर हाउस से वापस नहीं कराया जा रहा है। जब मैंने डी० एस० ओ० से कहा तो उन्होंने बताया कि कोयले की कमी है और पावर हाउस को कोयले की जरूरत थी इसलिये उसे दिलाया गया था। इसलिये हमारे यहां जो कोयले की कमी है जिसकी वहज से बिजली पर असर पड़ता है वह दिलाया जाय। गंगा जमुना जिन की हम पूजा करते हैं उनके पानी से, दरियाओं के पानी से, कोयले से जिस तरह से भी बिजली पैदा हो सके वह पैदा की जाय ताकि देहातों और कस्बों के गली-कूचे में भी बिजली पहुंच सके। देहातों में उद्योगों के लिये और खंडसारी वाले शकर के कारखानों को, धान व आटे की मशीनों के लिये बिजली दिलाई जाय, हमारे यहां लकड़ी के कारखानों और आरे की मशीनों के लिये भी बिजली की दिक्कत है, लोहा ढालने वालों को भी बिजली की जरूरत है और देहातों के तमाम तरह के कामों के लिये बिजली की बहुत जरूरत है।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आभारी हूं कि ३ दिन से बराबर प्रयत्न करने पर भी बोलने का अवसर हम महिलाओं को नहीं मिला था, आप बैठी हैं तो समय मिला वैसे शायद न मिलता इसकी मुझे शिकायत है। इस विषय पर बोलने की मेरी खास इच्छा तो नहीं थी लेकिन दो तीन दिन से बराबर प्रयत्न कर रही हूं, सार्वजनिक निर्माण का बहुत महत्वपूर्ण विषय था उस पर भी मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती थी।

लेकिन अब पहले मैं अपने हरदोई जिले की बात कहूंगी कि वहां बिजली का इतना बुरा प्रबन्ध है कि वहां बिजली लक्ष्मी शुगर मिल को ठेके पर दी गई है, वह सन् ६० तक का ठेका है, सब से ज्यादा तेज बिजली वहां पर है, जब कि यहां ६ पैसे यूनिट बिजली है हरदोई में ७-८ आने यूनिट बिजली है। इतनी उन्नति होने पर भी अभी तक वहां पर हाइड्रोएलेक्ट्रिक का प्रसार नहीं है यद्यपि दूसरी जगहों से हरदोई में बिजली तेज पड़ती है और मिलती भी बहुत मुश्किल से है और इसी कारण से हमारे जिले में कोई भी उद्योग बिजली से नहीं चलाया जा सकता। घर-घर में गर्मियों के दिन में बिजली के पंखे चलते हैं पर हमारे जिले में पंखे नहीं चलते। अब

[श्रीमती विद्यावती बाजपेयी]

की साल तो पहले से अच्छी हालत है, इस वक्त अच्छी सुविधा है। आशा है सरकार इसे अपने हाथ में लेने की कृपा करेगी और वहां की बिजली और जगहों की तरह अच्छी और सस्ती मिलने लगेगी।

कृषि, सिंचाई और बिजली इन तीनों का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। पहले यह योजना थी कि झोपड़ी-झोपड़ी में बिजली का प्रचार होगा। १०-१२ वर्ष हो गये, और चीजों में काफी उन्नति हुई, लेकिन बिजली वाले मसले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारे हरदोई जिले में झोपड़ी तो क्या अभी हम बहुत दूर हैं जब कि उद्योग भी बिजली के जरिये से अच्छे किये जा सकें। इतनी कमी है। इस विज्ञान के जमाने में जब कि दूसरे देश चन्द्रमा तक जाने की बात सोच रहे हैं, उस समय तो बिजली का इतना इंतजाम होना चाहियें कि अच्छे-अच्छे कारखाने और उद्योग बिजली के जरिये चल सकें और कृषि में भी उन्नति हो सके। हमारे जिले में कम से कम ६ ट्यूबवेल ऐसे हैं जो बिजली के न होने के कारण बेकार हैं, कोई लाभ उनसे उठाया जा नहीं सकता, गवर्नमेंट का बहुत सा पैसा उनमें लगा है। जहां पर ट्यूबवेल बने हुए हैं उधर से भी अगर बिजली निकल जाय तो भी वह ट्यूबवेल काम में आ जाते हैं, लेकिन सुना यह गया है कि जिधर ट्यूबवेल बने हैं उसको छोड़कर दूसरी जगह से लाइन निकाली गई है। शिरोमननगर के पास कहीं पर एक ट्यूबवेल बना हुआ है, बिजली ५-६ मील अलग से निकाली गई है, या ज्यादा दूर से निकाली गई है, वहां तक नहीं पहुंच पाई। वह ट्यूबवेल अब भी वैसा ही पड़ा है, ५०-६० हजार रुपया उसमें लगा है। तो जहां पर ट्यूबवेल बने हैं वहां से बिजली निकाली जाय। दूसरी बात यह है कि पहले बिजली हो तब ट्यूबवेल बनाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना ट्यूबवेल में पैसा बेकार खर्च होता है।

आजकल जब इतनी आवश्यकता बिजली की है, जबकि हमें इतना कड़ा मुकाबला दूसरे देशों से करना है और दूसरे देशों में इतनी उन्नति हो रही है बिजली के जरिये से तब इतनी धीमी प्रगति से हम लोग चल रहे हैं। इस विषय में ज्यादा ध्यान देकर छोटे-छोटे उद्योग-धंधों और कारखाने वगैरह बिजली से चलाए जायं जिससे जनता का हित हो और सिंचाई और कृषि में उन्नति हो।

यह भी नहीं कि कुछ काम नहीं हुआ है। हुआ जरूर है। शाहाबाद, पिहानी वगैरह में बिजली पहुंच गई है। लेकिन अभी बहुत कुछ होना है।

यह कहा गया कि इंजीनियर्स में बड़ा भ्रष्टाचार है, रुपया खाते हैं, यह करते हैं वह करते हैं। आज हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल जी जहां भी खड़े होते हैं यही कहते हैं कि इंजीनियर्स और ओवरसियर्स की ज्यादा जरूरत है, भारत के भावी निर्माण के लिये बहुत आवश्यकता है। जो हमारे लड़के पढ़कर निकलते हैं वह बड़ी मेहनत के बाद इस डिपार्टमेंट्स में आते हैं और उसके बाद यह कहा जाता है कि बड़ा भ्रष्टाचार है, इतने इंजीनियर्स क्यों रखे गये, इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन सब काम एक आदमी थोड़े ही कर सकता है। अगर एक आदमी बीमार है तो डाक्टर से ही अच्छा होगा। उसको कोई दूसरा आदमी अगर जाकर दवा दे तो वह मर जायगा। इसी तरह से अगर कोई मकान बनाना है, कारखाना बनाना है, बांध बनाना है, पावर हाउस बनाना है तो उसे इंजीनियर ही बनायेंगे। तो जहां जिसकी आवश्यकता होती है वहीं उसकी खपत होती है। इसलिये हर एक आदमी पर आरोप नहीं लगाना चाहिये।

अब रही बात भ्रष्टाचार की तो अगर कोई दोषी है उसकी जरूर जांच होनी चाहिये और सख्त सजा उसे दी जानी चाहिये। हमारी एक बहन पर्चा दे गई हैं जिसमें लिखा है कि बिठूर, जिला कानपुर में तो बिजली पहुंच गई है, चौबेपुर ब्लाक में भी किसानों के लिये बिजली की व्यवस्था सरकार करें। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करती हूं।

*श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बिजली से सस्ती किसी भी चीज में शक्ति नहीं है। इसलिये जरूरत है कि बिजली ज्यादा से ज्यादा पैदा हो। अगर हम रहट से पानी देते हैं, अगर बिजली से पानी देते हैं तो बिजली वाला पानी सस्ता पड़ता है, एक बीघे में १ रुपया पड़ता है और वैसे ५ रुपया पड़ता है। जब मैं आंकड़े देखता हूं तो लाखों यूनिट बिजली बेकार जाती है जैसा कि इस तालिका से विदित है। १९५६-५७ में ७४,९७,३२ हजार यूनिट बिजली तैयार हुई। औद्योगिक शक्ति के रूप में ३२,४१,०८ हजार यूनिट बिजली काम आयी, अन्य प्रयोजनों में २७,६७,४३ हजार यूनिट काम आयी। १९५७-५८ में ८७,२०,०८ हजार यूनिट बिजली बनी, औद्योगिक शक्ति के रूप में ३५,०६,०२ हजार यूनिट काम में आयी और अन्य प्रयोजनों में ४०,२६,३३ हजार यूनिट बिजली काम में आयी। तो आप देखें कि कितनी बिजली बेकार गई। १९५६-५७ में १४,८८,८१ हजार यूनिट बिजली बेकार गई। १९५७-५८ में ११,८७,७३ हजार यूनिट बिजली बेकार गई। अन्य प्रयोजनों में जो बिजली बेकार गई उसमें सिंचाई, घरेलू काम, सड़कों की बत्तियां, व्यापार के लिये और छोटे-छोटे व्यवसाय शामिल हैं। तो अन्य प्रयोजनों में इतने काम शामिल हैं उनको तो १९५६-५७ में २७,६७,४३ हजार यूनिट बिजली दी गई और बड़े-बड़े उद्योगों के लिये ३२,४१,०८ हजार यूनिट बिजली दी गई। तो बड़े कामों के लिये ज्यादा और छोटे कामों के लिये कम। इस तरह से हमारे देहातों में बिजली बहुत कम गई है। कुएं बनाये हैं तो उनके लिये बिजली नहीं मिल रही है। एक कुंआ मेरे गांव में लखनपुर का बना है, उसके लिये खम्भे लग गये, कनेक्शन के लिये १२ मई से दरख्वास्त पड़ी है, लेकिन बिजली नहीं मिली। जितना काम है हम अपने निजी कुएं पर बिजली लेकर चला सकते हैं उतना ट्यूबवेल से नहीं कर सकते।

नम्बर ३९ और नम्बर ८५ दो हमारे यहां ट्यूबवेल हैं। तो नम्बर ३९ कुएं से पक्के बीघे की आबपाशी ३९ रुपये पड़ती है और घरेलू कूएं की आबपाशी ५ रुपये फी बीघा से ज्यादा नहीं पड़ रही है। किसान भागता है इस कुंयें से सिंचाई कर दो लेकिन कमांड कम है। १ हजार एकड़ बिजली के कुएं का कमांड रखा गया है, लेकिन ५०० एकड़ सींचता नहीं। लिहाजा मेरी तो यह दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली के कुएं बनाये जायं और किसानों को बिजली दी जाय बजाय इसके कि अल्म्युनियम के कारखाने के लिये दी जाय।

करोड़ों रुपया बिजली पर खर्च हो रहा है। उस बिजली का इस्तेमाल यह किया जाय कि हर ५० और ६० एकड़ पर एक कुआं बना कर सहकारी समितियों के जिम्मे कर दिया जाय और बिजली उसे दे दो और कह दो कि हमारा इतना रुपया लगा है, तुम इतना अदा कर दो तो कुआं फिर कमेटी का हो जायगा। इस तरह से अगर आप व्यवस्था करेंगे तो सिंचाई की योजना चल सकेगी। इससे उपज बढ़ जायगी और हजारों आदमी उद्योग में लग जायेंगे।

आज जहां बड़े कारखानों की ओर निगाह रखते हैं वहां किसानों को बिजली देने की तरफ भी ध्यान दिया जाय। त्रिपाठी जी ने कहा कि अगर बड़े कारखाने न खोलें तो हमारे यहां बड़े उद्योगों की बढ़ोत्तरी नहीं होगी। पहले रोटी खाने को मिले तो दूसरे काम आप कर सकियेगा। अगर पेट भूखा हो और गल्ला पैदा न हो तो बड़े कारखानों का क्या होगा? इस लिये मैं चाहता हूं कि पहले नाज पैदा किया जाय और इसके लिये जितना आप कुएं बनाने तथा बिजली लगाने में खर्च कर देंगे उतना ही आपका फायदा होगा, देश का फायदा होगा और आपको बाहर से नाज नहीं मंगाना होगा और आपके उद्योग में तरक्की होगी। इसलिये सबसे पहले किसानों को सिंचाई के लिये कुएं दिये जायं और उनके लिये बिजली दी जाय। गन्ने से राब, फिर शकर निकाली जाती है। इसके लिये बिजली की मशीनों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टीकाराम]

आवश्यकता होती है। लिहाजा इसके लिये भी बिजली दी जाय। इस तरह से देहात में छोटे उद्योगों का जाल बिछ जायगा और इससे बेकारी की समस्या हल होगी।

श्री धर्मसिंह--मान्यवर, इस अनुदान पर माननीय प्रतापसिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं। कटमोशन को पेश करते हुए जो बातें कही गयीं मैं संक्षेप में सभी का उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

बिरला आदर्स का जिक्र किया गया। कहा गया कि जो छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे हैं उनके लिये बिजली नहीं रह जायगी। दूसरे जिस रेट पर बिजली दी गयी है उनको वह बहुत कम है और ट्यूबवेल का जो रेट है वह बहुत है। श्रीमन्, इस प्रदेश में जो अल्युमीनियम का कारखाना बना है उसको जो बिजली दी गयी है उस समय भी यह प्रश्न रेट का सरकार के विचाराधीन था। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसमें सरकार को लास किसी प्रकार का नहीं है। पहले थोड़ी सी गलतफहमी हो रही थी। जो प्रोजेक्ट है उस पर करीब ४६ करोड़ के खर्च होगा। ३१ करोड़ के करीब, ट्रान्समिशन लाइन्स को छोड़ कर, जो असली प्रोजेक्ट है, पावर हाउस है, उस पर खर्च होगा। तो बिड़ला ब्रदर्स को जो बिजली दे रहे हैं वह ट्रांसमिशन लाइन्स लगा कर नहीं दे रहे हैं बल्कि पावर हाउस के गेट्स की तरफ, बाहर की तरफ बिजली दी जा रही है और उस रेट में डेप्रिशियेशन कास्ट, इंटरेस्ट, सेल्स टैक्स के चार्जेज, मेन्टिनेन्स इत्यादि के जितने चार्जेज आते हैं वे सब पूरे तरीके से सम्मिलित कर लिये गये हैं।

बिजली का किस्सा कुछ इस प्रकार का है कि मान लीजिये ट्यूबवेल को ६ मील के लिये बिजली देनी पड़ती है तो उसका रेट स्वयं ही ऊंचा हो जायगा क्योंकि ट्रान्समिशन लाइन बनाने में उस पर ज्यादा कास्ट पड़ जाती है और जितना कम लोड किसी स्थान पर खर्च होता है उतने ही अधिक उसके चार्जेज होते हैं। तो ५५ हजार किलोवाट के करीब एक स्थान पर जो दी गयी है यह आगे चल कर प्रोडक्टिव होगी और इस में किसी प्रकार से भी लास होने वाला नहीं है। इसलिये यह कहना कि सरकार ने कोई जालसाजी करके या रेट् को इधर-जधर करके बिड़ला-ब्रादर्स के साथ कोई गलत रियायत की है यह बात बिल्कुल गलत है। जब अल्युमीनियम फैक्ट्री लगाने की बात हुई तो केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेशीय सरकार से पूछा कि तुम बिजली देने के लिये तैयार हो या नहीं। उसमें जो रेट मुकर्रर है वह तो ५ या ७ परसेंट के करीब और ज्यादा है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसमें आगे चल कर जो दूसरे लोगों को बिजली दी जायगी उसका रेट अधिक हो सकता है। ट्यूबवेल का तो आटोमेटिकली अधिक होता ही है क्योंकि एक ट्यूबवेल पर अधिक से अधिक १० हार्स पावर ही लोड खर्च होता है और उसमें भी ८ घंटे चले, १२ घंटे चले। तो आंकड़ों को जब हम देखते हैं तो इसमें किसी प्रकार से लास नहीं है।

दूसरी बात यह कही गयी कि सब को सब बिजली दे दी गयी। तो आज तो ईस्टर्न पावर प्रोजेक्ट के नाम से तीन पावर हाउसेज गोरखपुर, सोहावल और मऊ में बने हैं और सिद्धान्ततः यह बात मान ली गयी है कि इन तीनों ग्रिड्स को एक जगह मिला दिया जाय और उसको रिहन्द से कनेक्ट कर दिया जाय। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज भी पावर की कमी वहां पर नहीं है और यह हो जाने के बाद तो फिर कमी का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके अलावा थर्ड फाइव इयर प्लान में मिर्जापुर में सिंगरौली के आसपास जहां कोयला आसानी से मिल सके एक थर्मल स्टेशन लगाने का इरादा है। लिहाजा यह कहना कि बिड़ला आदर्श को बिजली देने के बाद उत्तर प्रदेश बिल्कुल बरबाद हो जायगा, कोई बिजली बाकी नहीं बचेगी, सही नहीं है, बिजली की किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी।

एक बात यह कही गयी कि इस प्रदेश में बिजली का उत्पादन कम हुआ। तो कम तो रहेगा ही, मांग तो हमेशा रहेगी। लेकिन जहां तक बिजली विभाग का सम्बन्ध है कई योजनाओं

को कार्यान्वित किया गया। ३६ टाउन्स के एलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम लागू हुई, सबके सब एलेक्ट्रीफाई हो गये। पहले जब यह प्रोजेक्ट बनाया गया था मान्यवर, तो यह स्कीम ५ करोड़ की थी और यह आशा थी कि प्रत्येक टाउन और विलेज जिसकी आबादी ५ हजार तक है उसको एलेक्ट्रिफाई कर सकेंगे लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसमें केवल एक करोड़ रुपया ही रह गया है और उसमें से भी ८०-८५ लाख रुपया खर्च हो चुका है और अब जो थोड़ा सा पैसा रह गया है उसमें एक आध टाउन एलेक्ट्रिफाई किया जा सकेगा। इसी दौरान में बहुत से टाउन इलेक्ट्रिफाई किये गये। यह कहना कि कुछ भी काम नहीं हुए हैं, ठीक नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि लोगों के स्टैंडर्ड आफ लिविंग के बढ़ जाने के कारण आज प्रत्येक गांव में बिजली के पहुंचाने की आवश्यकता है। लेकिन इधर पैसे की कमी है तो मान्यवर, उसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

माननीय प्रतापसिंह जी ने माताटीला का जिक्र किया। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यह मल्टी परपज स्कीम है और कुछ फारेन एक्सचेंज के कारण यह स्कीम बीच में समाप्त हो गई थी। अब इसको फिर से ले लिया गया है और अगले वर्ष भी काम होगा और तृतीय पंचवर्षीय योजना में इससे ३० हजार किलोवाट बिजली प्राप्त हो जायगी।

मान्यवर, रेट्स के बारे में यह कहा गया कि हमारे यहां रेट्स ज्यादा हैं। जहां तक हाइडिल विभाग का सम्बन्ध है उसके रेट्स और सूबे से ऊंचे हैं ऐसी बात नहीं है। हां, प्राइवेट कम्पनियों के रेट्स ऊंचे हो सकते हैं लेकिन हाइडिल विभाग के १८ घंटे प्रति दिन ३०० दिन तक का रेट १०.३ पाई प्रति यूनिट, पंजाब का ११.१ पाई, आंध्र का १६ पाई, देहली का १२.२१ पाई, मद्रास का १०.८५ पाई और दामोदर वैली का १२.४५ पाई प्रति यूनिट है। बम्बई और कलकत्ते का हमारे यहां से कम है। इसमें दो रायें नहीं हैं। आप कह सकते हैं कि लखनऊ के मुकाबले में कानपुर का रेट कम क्यों है? मान्यवर, जहां ज्यादा लोड होगा वहां उतने ही ज्यादा कारखाने होंगे। बम्बई, कलकत्ते में सब से ज्यादा कारखाने हैं इसलिये वहां के रेट्स कम हैं। बम्बई का रेट ८.८७ पाई और कलकत्ते का ८.७ पाई प्रति यूनिट है। इसकी वजह वहां का लोड फैक्टर है और वहां बहुत ज्यादा कारखाने हैं जिनकी वजह से ट्रांसमिशन और सब-स्टेशन्स वगैरह के बनाने में कम खर्च पड़ता है। इसलिये वहां रेट्स कम हैं। अगर ज्यादा दूर बिजली ले जायेंगे और इंडस्ट्रियल परपज के लिये इस्तेमाल करेंगे तो उसमें रेट अधिक होगा। जो आंकड़े मैंने सदन में उपस्थित किये हैं उससे स्पष्ट है कि बम्बई और कलकत्ता को छोड़कर हमारे सूबे के रेट्स कम हैं।

इसके बाद लखनऊ में एक सड़क का जिक्र किया गया कि वह एलेक्ट्रिफाई नहीं की गई यहां पर प्राइवेट कम्पनी है और उसके कायदे कानून बने हैं कि किस तरह से कोई लोकेलिटी एलेक्ट्रिफाई होती है। यह नोटकर लिया गया है और इसको देखा जायेगा।

एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के रूल्स के बारे में कहा गया। यह पिछले साल एक अप्रैल से ही बना है और यह मामला सरकार के विचाराधीन है। इसमें जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम परम्परायें बनाने जा रहे हैं, हम इस कार्य को इस बोर्ड को ठीक तरीके से लाने के बाद ही करना चाहते हैं।

कई माननीय सदस्यों ने ट्यूबवेल्स के रेट्स के बारे में भी कहा। जहां तक खेती के काम को प्रायोरिटी देने की बात है उसके सम्बन्ध में इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कहा। मान्यवर, विभाग के द्वारा किस प्रायोरिटी से बिजली दी जायगी, एक लिस्ट तैयार की गई है उसमें सरकारी कामों को छोड़कर जिसमें सरकारी ट्रेनिंग स्कीम्स, स्टेट इंडस्ट्रीज आती हैं, इन दोनों चीजों को छोड़ कर तीसरा नम्बर ट्यूबवेल्स का आता है।

[श्री धर्मसिंह]

पश्चिमी जिलों के माननीय सदस्यों को याद होगा १५ मई, १९५९ से पहले इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल परपज के लिये १० हार्स पावर तक पूरे तौर से डिकंट्रोल था। इस दौरान में बहुत से ट्यूबवेल बने और सरकार की तरफ से यह भी आश्वासन दिया गया है कि १५ मई से पहले जिन लोगों ने अपना इनवेस्टमेंट कर दिया था, ऐग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल परपज के लिये, या मशीनें इत्यादि खरीद ली थीं, ग्रिड और शारदा वगैरह में, या अपना पैसा खर्च कर दिया था या विभाग ने एक तरीका बनाया था कि २५ रुपया किसी ने जमा कर दिये थे और मशीन इत्यादि के लिये आर्डर दे दिये थे तो जो विभाग का वादा था वह आज भी दिया जा रहा है। लिहाजा प्रायारिटी स्वयं है। जहां-जहां और जिस प्रकार बिजली उपलब्ध होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है।]

मान्यवर, अभी अवस्थी जी ने डे साहब का जिक्र किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैंने नाम नहीं लिया था। आपने नाम ले लिया।

श्री धर्मसिंह---एक कर्मचारी जो कि हरदुआगंज पावर हाउस में थे, उनके खिलाफ शिकायतें आयीं। उसके उत्तर में मैं उनको बता देना चाहता हूं कि एक साल के करीब उनको हो गया सरकार ने उनको नोटिस दे दिया। वह रिटायर हो गये।

इसके बाद कम्पनीज के रेट्स के बारे में कहा गया। यह भी कहा गया कि वह कम्पनीज जो मुनाफा उठाती हैं वह ज्यादा हैं। उनको नेशनलाइज कर दीजिये। एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनने के बाद मुरादाबाद और बिजनौर की तरफ की जो कम्पनीज हायडिल डिपार्टमेंट से बल्क सप्लाईज लेती थीं और जनरेट नहीं करती थीं, उस एजेंसी को गवर्नमेंट ने ले लिया। आज नीति यह है कि जो कम्पनियां बिजली पैदा नहीं करती हैं केवल वितरण की एजेंसीज हैं, उनके लाइसेंस इक्सपायर होने के बाद, उनको ले लिया जाता है।

इसके अलावा एक बात श्री गोयल जी ने बदायूं के बारे में कही। यह बात ठीक है कि पाँच रुपये वहां ज्यादा लिये जाते थे। शिकायत होने के बाद उसकी छानबीन करवाई गयी टेक्निकल बातों के आधार पर। गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से कुछ हिदायतें हैं। पत्र-व्यवहार करने के बाद गवर्नमेंट किसी नतीजे पर पहुंचेगी।

इसके बाद उन्होंने एक बात यह कही कि कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है बिजली के मुहकमे में। यह दिक्कत जरूर है। बिजली का एक स्विच बोर्ड होता है। वह भारतवर्ष में नहीं मिलता है। लिहाजा इस बात की कोशिश की जा रही है कि जहां पर बहुत ज्यादा लोड है, जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं गाजियाबाद की तरफ एक लाइन देंगे जिसका केवल एक ही स्विच हो और वह स्विच जो घंटे निर्धारित हैं यदि आठ घंटे का टाइम है तो आठ घंटे के बाद केवल एक ही लाइन के स्विच को दबा दिया जाय तो सब के सब जितने भी कारखाने हैं जो आठ घंटे से ज्यादा काम करना चाहते हैं और ज्यादा कन्जम्पशन चाहते हैं, उसको खत्म कर दिया जाय और उसमें दिक्कत आकर के न पड़े। इस तरीके से इस पर रेस्ट्रिक्शन या चेक हो सकता है।

एक बात यह कही गई कि जहां तक एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है कोई किसी भी प्रकार का इन्वेस्टीगेशन नहीं होता। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितना यहां पर बिजली का उत्पादन हुआ तो आज तो सर्वे के लिए यहां भी इन्तजाम है, जहां-जहां पर आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि हम इस तरह के साधन इस प्रदेश में अधिक से अधिक पैदावार बिजली की करने के लिए ढूंढे, उसको इंवेस्टीगेट करते हैं और जहां-जहां भी आवश्यकता पड़ती है जिस जिस प्रकार से पैसा मिलता है उसी तरीके से होता है। एक माननीय सदस्य ने देवरिया के एलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और महमूदाबाद और सिंगरौली वगैरह का जिक्र किया। तो सरकार तो चाहती है सभी टाउन्स को एलेक्ट्रिफाई करना। लेकिन थोड़ी-सी जो मैंने दिक्कत बतायी वह यही है कि हमारे पास में जो पैसा था प्लान में वह ८५ लाख के करीब समाप्त

हो गया। थोड़ा बहुत और पैसा है। उनको यकीन रखना चाहिए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन पर पूरे तरीके से विचार किया जायगा। इन शब्दों के साथ जो माननीय प्रताप सिंह जी ने कटमोशन पेश किया है मैं चाहता हूं कि सदन उसको स्वीकार न करे और जो माननीय मंत्री जी ने यह अनुदान पेश किये हैं उनको सदन स्वीकार करे।

*श्री मलिखार्नासंह––माननीया अधिष्ठात्री महोदया, आज जो माननीय प्रतापसिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है इस अनुदान पर उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय सभा सचिव जो विद्युत के हैं उनके भाषण से हमारी जो शंकायें थीं वह स्पष्ट हो गईं कि यह सरकार जो है वह पूंजीपतियों का पोषण करना चाहती है। आज जो अपने प्रदेश में खाद्य संकट खड़ा हुआ है और गल्ले की समस्या प्रमुख रूप में आज हमारे सामने है उसमें ट्यूबवेल को तीसरी केटेगरी में रखा है। ट्यूबवेल को बिजली देने के लिए प्रायरिटी के लिहाज से तीसरे नम्बर पर रखा है। इससे आज इस सदन को यह स्पष्ट मालूम हो जाना चाहिए कि यह सरकार जो है वह ट्यूबवेल्स के लिए बिजली न देकर सिर्फ पूंजीपतियों को बिजली देना चाहती है जो कि बड़े-बड़े कारखाने चलाते हैं।

इसके बाद मैं माननीय हाफिज जी के सन् १९५७ के बजट भाषण को यहां बताना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा था, जिस तरह से माननीय सचिव ने कहा, कि हम ५ हजार के ऊपर की आबादी के जितने गांव होंगे या टाउन होंगे उनको इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एलेक्ट्रिफाई कर देंगे। आज भी उत्तर प्रदेश में ७५ टाउन एरियाज ऐसी हैं जिनमें यह सरकार बिजली देने में असमर्थ रही है। तो आज इस घोषणा को मैं झूठी घोषणा समझूं या यह समझूं कि सरकार वायदे तो बड़े-बड़े करती है और सब्ज बाग भी दिखाती है, लेकिन बाद में कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम पैसा कहां से लायें? इसलिए हम यह नहीं कर सकते।

(इस समय ४ बजकर १८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसी तरह से गांवों में हम यह देखें कि जितनी शहर में इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं उनको तो ये बिजली देने को तैयार हैं, लेकिन शहर के पूंजीपतियों पर जो बिजली के टैक्स का रुपया बकाया है उसको लेने के लिए तैयार नहीं हैं और गांवों में जो बिजली के जाने की प्रमुख आवश्यकता है, गावों में जो पढ़े-लिखे लोगों की बेकारी दूर करने के लिए वहां काटेज इंडस्ट्रीज बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए बिजली नहीं दी जायगी। बिरला जी को बिजली दी जायगी अल्यूमिनियम का कारखाना चलाने के लिए। आज प्रदेश की बेकारी आपको दूर करनी है, प्रदेश की गरीबी मिटानी है तो गरीबी, चन्द पूंजीपतियों के द्वारा शोषण करके या हजार दो हजार पढ़े लिखे लोगों को काम देकर या कुछ इंजीनियरों को काम कराकर दूर नहीं होगी बल्कि बेपढ़े लिखे लोग या छोटे-छोटे कारीगर जब काम पर लगेंगे या गांवों में काटेज इंडस्ट्री होगी तो उस समय बेकारी दूर होगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार, चन्द पूंजीपतियों को या जो बड़े-बड़े आदमी हैं, उनको ही जितनी बिजली है, देना चाहती है।

जो पुराने पावर हाउस हैं और आज काम कर रहे हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊं कि उनके जो इंजीनियर हैं वह बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं। मैंने भसीन साहब को खुद दिखाया कि मैनपुरी पावर हाउस में कोयले का गबन हो रहा है और कोयला चोरी जा रहा है। छिपकर भट्ठों पर जा रहा है। भसीन साहब को दिखाया और वह खुद भी गये, लेकिन आज तक उन इंजीनियर महोदय के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैंने पर्सनली जाकर बताया कि इस तरह से इस विभाग के कारखानों में गबन हो रहा है। इसी तरह से जो कनेक्शन दिये जाते हैं उनमें जो एरिया का इन्सपेक्टर होता है, वह गड़बड़ी करता है। विशेष रूप से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मलिखानसिंह]

कमर्शियल विभाग से सम्बन्धित बिजली के कनेक्शन हैं और दूसरे जो लाइट और फैन के कनेक्शन हैं उनको मन्जूर करने में बीच में वह बहुत रोड़े अटकाते हैं। बीच में पैसा तय करते हैं जिससे वे बेचारे गरीब व्यक्ति कनेक्शन लेने में इतने असमर्थ हो जाते हैं कि वे बिजली लेने का नाम नहीं लेते हैं। इस विभाग में जो भी काम चल रहा है वह इसी तरह से है। अगर दूसरे का जरूरी काम होता है तो उसको बुलाकर कह दिया जाता है कि यह टैक्निकल बात है। फिर उसको खत्म कर दिया जाता है।

अभी रबी की फसल में जब कि जाड़ा पड़ रहा था तो उस समय फसल खड़ी हुई थी। उस समय बिजली तीन दिन के लिये चली गई तो आप समझ सकते हैं कि ट्यूबवेल से कैसे पानी मिलेगा। वहां पर खेत सूख जाते हैं। ट्यूबवेल के जो मेड़ निकाले जाते हैं वह इस आधार पर निकाले जाते हैं कि जितने गांव के किसान हैं वह अपने कुयें से सींच नहीं सकते। आपकी बिजली तीन दिन तक गायब रही तो इस प्रोडक्शन को कम करने का कौन जिम्मेदार है। क्या इसका जिम्मेदार आपका विद्युत विभाग नहीं है? यह विद्युत विभाग इस प्रदेश में एक प्रमुख स्थान रखता है क्योंकि एक तो नहर और दूसरे बिजली। बिजली के बगैर ये ट्यूबवेल चल नहीं सकते हैं। बिजली के बगैर कोई कारखाना भी चल नहीं सकता है। इन सब बातों पर मंत्री जी गौर करें। अगर इतना रुपया व्यय करके भी उतना लाभ नहीं मिल पाता तो कहीं पर गलती जरूर है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन चीजों को गम्भीरता से देखें और गम्भीरता से देखने के बाद इस पर विचार करें और विचार करने के बाद देखें और सोचें कि वास्तव में यह सब कमियां कैसे दूर की जा सकती हैं। जहां तक मैंने सुना है पहले सरकारी उद्योग को बिजली दी जायगी तो इसी कारण मैं ट्यूबवेल का प्रमुख स्थान रखता हूं। अगर ट्यूबवेल को बिजली मिल जाय तो उससे आपकी फूड समस्या हल होगी। मैं इस समस्या को ही प्रमुख समस्या मानता हूं। उत्पादन बढ़ाने के लिये पानी सब से प्रमुख चीज है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पहले ट्यूबवेल को प्रायोरिटी दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह कहना चाहता हूं कि पावर कनेक्शन सब रोक दिये गये हैं। मैनपुरी बिजली कम्पनी को सरकार ने अपने हाथ में लिया था। वहां के एक पूंजीपति अपने पैसे के बल पर एक साल से उसके लिये कोर्ट में रिट दाखिल किये हुये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस केस में उन्होंने क्या प्रयत्न किया है? आपके लीगल एडवाइजरों ने उस केस में क्या किया इसका आज तक पता नहीं है? मैनपुरी बिजली कम्पनी आज भी उसी व्यक्ति के हाथ में है जिस कम्पनी को सरकार ने एक साल पहले अपने हाथ में लिया था। यह विभाग उस बिजली कम्पनी से मिल कर बीच में फायदा उठाना चाहता है जिससे यह पूंजीपति फायदा उठायें। इसी वजह से उस पूंजीपति ने रिट दाखिल किया है। यहां पर कहते हैं कि बिजली सस्ती देते हैं, लेकिन वहां पर ८ आना, ६ आना के हिसाब से बिजली देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सदन में इस पर प्रकाश डालें कि उस कम्पनी ने जो रिट दायर कर रखा है उसमें क्या हुआ? आपके रेट जो इतने हाई हैं, वह क्यों हैं?

तीसरी चीज, मैनपुरी पावर हाउस से जो कोयला चोरी जाता था और जिसकी मैंने शिकायत की थी उसके बारे में क्या हुआ, पता नहीं चल सका। ट्यूबवेलों के कनेक्शन देर में दिये जाते हैं और वे नहीं चलते इस पर भी मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करें। इसके अलावा बिजली जो ३, ३ दिन तक चली जाती है उसका कारण भी वे बतलायें। इसके अलावा मैंने हरदुआगंज के लिये कहा था। पहले मैंने ही प्लानिंग कमेटी से प्रस्ताव पास कराया कि हमारे जिले मैनपुरी में करहल, बेवर और भोगांव टाउन एरियाज को एलेक्ट्रिफाइड किया जाय। उस समय इसका आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कुरावली में चूंकि ट्यूबवेल को कम बिजली मिलती है इसलिये वहां ट्रान्सफार्मर लगाने के लिये वहां के आफिसर ने लिखापढ़ी की कि वहां एक बड़ा ट्रान्सफार्मर दिया जाय, लेकिन ३ साल हो गये,

वहां कुछ नहीं हुआ। सरकार इन बातों की सफाई दे और इन शब्दों के साथ में कहना चाहूंगा कि यह सरकार देहात की तरफ उपेक्षा करके बड़े-बड़े लोगों को देखना चाहती है। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कुछ विचार प्रकट करने के लिये मुझे समय दिया। जो अनुदान मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और इसके साथ ही गाजियाबाद के सम्बन्ध में जो कुछ दिक्कतें हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं।

गाजियाबाद एक औद्योगिक केन्द्र बन गया है और बनता जा रहा है। कई बार इस चीज का जिक्र हुआ है और अखबारों में भी काफी चर्चा इस बात की हुई है। पिछले साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहां तशरीफ लाये थे और उन्होंने भी उन कारखानों को देख कर उनकी तारीफ की। बावजूद इसके कि कारखाने वहां रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, विभाग की तरफ से बिजली का लोड वहां बढ़ाने के लिये कोई खास कोशिश नहीं की गई है। कई बार यहां भी कहा गया, कई डेपुटेशन भी मिनिस्टर साहब से मिले, चीफ इंजीनियर साहब से मिले, लेकिन कोई तसल्ली बख्श इन्तजाम वहां के लिये नहीं किया गया। जितना लोड विभाग की तरफ से बढ़ाने की कोशिश की जाती है और जितनी देर में वह इन्तजाम होता है उतनी देर में वहां की जरूरत दुगनी हो जाती है। इस वक्त भी गवर्नमेंट के पास ३, ४ सौ के करीब प्रार्थना-पत्र वहां के पड़े होंगे जिन पर गवर्नमेंट गौर कर रही है।

पहले मुरादनगर में एक डिस्ट्रिब्यूटिंग स्टेशन था, वहां एक टावर लाइन लायी गयी, लेकिन लाइन कम्प्लीट होने के पहले ही जितनी जरूरत थी, वह दुगनी हो गयी। अभी भी उस दिन माननीय धर्मसिंह जी ने कहा था कि वहां एक थर्मल-स्टेशन, डिजल इंजन लगाया जा रहा है और लोड बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जितने प्रार्थना-पत्र इस समय भी पड़े हैं, उनका हिसाब लगा कर अगर वह देखें तो जितना लोड वह बढ़ायेंगे वह जरूरत को देखते हुए कम है और नेग्लिजेबिल है जरूरत को देखते हुए। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वहां लोड बढ़ाने के लिये वह जल्दी ही कोई इन्तजाम करें।

कुछ साथियों ने यह भी शिकायत की कि ट्यूबवेल्स को पहले बिजली मिलनी चाहिये। यह ठीक है कि अन्न पैदा करना पहली बात है और यह पहले होना चाहिये, लेकिन अगर सरकार इन्तजाम करे तो दोनों ही जरूरतें हल हो सकती हैं। जितने लोड की आवश्यकता है अगर उतना लोड गाजियाबाद को दे दिया जाय तो मैं उद्योगपतियों की तरफ से यह वचन देता हूं कि वहां जितने भी पम्पिंग सेट्स लगाने की जरूरत होगी उनके लिये इंजिन गाजियाबाद सप्लाई कर सकेगा यह बहुत डिजल इंजिन तैयार कर रहा है और बहुत सस्ते दामों पर सप्लाई कर सकता है बशर्ते कि जितने लोड की हमको आवश्यकता है उतना दे दिया जाय। हम इंजिन सस्ते देंगे और उसके साथ-साथ जो वहां की दस्तकारी है उसको भी उससे फायदा होगा।

इसके साथ-साथ वहां ट्रान्सफार्मर लगाने का एक कारखाना लग रहा है। तो अगर उनको बिजली मिल जाय तो यह भी वहां पर तैयार हो सकेंगे। आज अफ्रीका से लोग आकर वहां पर कारखाने लगाने को तैयार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यू० पी० में बिजली की दरें ज्यादा हैं। ज्यादा दरों के होते हुये भी लोग गाजियाबाद में आकर अपने कारखाने लगाना चाहते हैं। अफ्रीका में जो पंजाबी लोग हैं, और लोगों को भी, उनको अपने देश में वापस आने के लिये मजबूर किया जा रहा है वहां की हुकूमत द्वारा। वे लोग गाजियाबाद में आकर कारखाने खोलना चाहते हैं क्योंकि वह एक सेन्टर बन चुका है और वहां पर कारीगर वगैरा मिल सकते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेजासिंह]

हैं। आज अगर यह सरकार या इनके चीफ इंजीनियर यह घोषणा कर दें कि जितने लोड की आवश्यकता होगी उतना लोड दिया जावेगा तो मैं कह सकता हूं कि वहां एक साल के अन्दर सैकड़ों कारखाने और खुल जायेंगे। वे इस इन्तजार में हैं कि यू० पी० सरकार बिजली का इन्तजाम करे और हम अपना काम शुरू करें। डायर मेकिन वाले वहां पर ओवल्टीन और दूसरी चीजों के लिये एक कारखाना ३ करोड़ की लागत का लगाना चाहते हैं। कलकत्ता के एक सज्जन ट्रान्सफार्मर के लिये कारखाना लगाना चाहते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि गाजियाबाद की तरफ आप विशेष ध्यान दें और वहां जितने लोड की आवश्यकता है उतना वहां दें।

अब वहां पर बिजली की क्या हालत है इसके बारे में भी बतलाना चाहता हूं। अगर चीफ इंजीनियर महोदय या मंत्री महोदय गाजियाबाद जायं और ६ बजे से १० बजे के बीच वहां रहें तो देखेंगे कि वहां पर हर आधे घंटे के बाद, १५ मिनट के बाद, लाइट आफ हो जाती है और कभी-कभी तो १५-१५ मिनट तक और आधे-आधे घंटे तक नहीं आती है। अब मैं यह नहीं कह सकता कि इसमें हाइडिल वालों का दोष है या मार्टिन कम्पनी का दोष है। लेकिन यह सच है कि वहां बहुत जल्दी-जल्दी बिजली फेल होती है। वह लोड के कमजोर होने की वजह से हो, या मोटर खराब होने की वजह से हो, किसी भी वजह से हो। इससे काम नहीं हो पा रहा है और काम में रुकावट होती है। गाजियाबाद के पास एक गांव है वहां ४ ट्यूबवेल्स बोर हुये, लेकिन पता नहीं वे क्यों नहीं चलते। वे बेकार पड़े हुये हैं।

एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं। मोहम्मदपुर पावर हाउस जो है उसी के पास एक मोहम्मदपुर गांव भी है। शायद एक फर्लांग पर भी नहीं है, लेकिन उस पावर हाउस में बिजली चल रही है और गांव में एक बत्ती भी अब तक नहीं लग सकी। मैं नहीं कहता कि वह लोग उस बिजली को नहीं चाहते या विभाग वाले नहीं देते। एक फर्लांग भी फासला नहीं होगा, अगर वहां वालों ने गलती की है तो आपको नहीं करनी चाहिए कि आप वहां से बिजली पैदा करें, बाकी कस्बों को दें, लेकिन जिस जमीन पर बिजली पैदा करते हैं वहां वालों को न दें।

गाजियाबाद के पास ही एक सुन्दरपुरी गांव है, स्टेशन से लगा हुआ। नाम तो गांव है, लेकिन वहां ज्यादातर रेलवे के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उन्होंने मकान बनाये हुये हैं। उस गांव के खरंजों, नालियों और वहां की सफाई को देखने के लिए मेनन साहब आये थे, और धर्म सिंह जी को मैंने लिख कर दिया था कि उसका सर्वे करवा लो कि इस पर कितना खर्चा आयेगा, लेकिन वह सर्वे हुआ या नहीं हुआ, उस गांव को बिजली नहीं मिली।

श्री उपाध्यक्ष—वक्त खत्म हो गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सदन के हरएक माननीय सदस्य को जाहिर है कि अपना प्रदेश जो कृषि प्रधान प्रदेश है इसकी बेकारी की समस्या को हल करने के लिए अगर कुछ (शक्ति) बिजली को बढ़ा करके काम में लायी जाय तो वह शायद हल हो सके। बिना इसके मैं समझता हूं कि अपने प्रदेश में जो बेकारी की फौज हर साल लाखों की तादाद में खड़ी होती जा रही है उसके समाधान का कोई और तरीका नहीं है। लेकिन मैं जब इसको इस कसौटी पर कसता हूं कि क्या प्रदेश की सरकार विद्युत को लेकर अपने प्रदेश में बेकारी और अन्न की समस्या जो बढ़ती जा रही है उसको हल करने में समर्थ हो सकेगी, तो श्रीमन्, मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि शायद जो गति आज है चलने की उससे १०० वर्ष से ऊपर लगेंगे तब शायद बेकारी की समस्या हल हो सकेगी।

रिहन्द बांध की चर्चा इस सदन में परसों से है और माननीय मुख्यमंत्री दुर्भाग्य से सदन में मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कई बार इस सदन में आश्वासन दिया कि रिहन्द बांध के पूरे हो जाने

के बाद पूर्वी जिलों की समस्या विद्युत की हम हल कर देंगे। अफसोस होता है कि भूखे आदमी को आश्वासन तो बहुत दिनों से दिया जाता है और जब थाल में हर तरह की भोजन सामग्री तैयार हो कर उसको खाने का वक्त आता है तो ऐसे आदमी के सुपुर्द कर दिया जाता है जिसको इस देश से मुहब्बत नहीं है।

सभा सचिव, धर्मसिंह ने कहा कि बिरला ब्रदर्स को जो रिहंद बांध की बिजली दी गयी है, सरकार बतावे स्पष्ट शब्दों में कि उससे उसको सालाना कितने की आमदनी होगी? और दूसरी तरफ़ जो पास के जिले हैं जिनमें ट्यूबवेल के लिए हजारों रुपया खर्च किया गया और सैकड़ों की तादाद में श्रीमन्, आपको जानकारी है कि ट्यूबवेल बिना बिजली के बन्द पड़े हैं। जिनके नाम पर यह सरकार जिन्दा है––गांधी जी––उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े कारखानों का औद्योगीकरण मत करो, विकेन्द्रीयकरण करो, छोटे-छोटे कारखाने खोलो। मैं आपके जरिये जानना चाहूंगा कि पूर्वी जिलों में कितनी बिजली छोटे-छोटे उद्योग-धंधे जो गांव में फैले हुए हैं उनके लिए सरकार ने दी है?

मैं अदब के साथ कहूंगा कि फैक्टरी से जो आमदनी होगी वह सरकार की जेब में तो जायगी नहीं, वह जनता के खजाने में न जाकर किसी व्यक्ति विशेष के खजाने में जायगी और इससे प्रदेश की जनता का भला नहीं होगा और गरीबी का हल नहीं होगा बल्कि कुछ लोगों के हाथों में शक्ति का केन्द्रीकरण होगा। मैं सरकार से यही कहूंगा कि इस इरादे से सरकार को हटना चाहिये और जनता में इस तरह की भावना पैदा करना चाहिये कि जनता की भलाई के लिये सारे साधन सुलभ किये जा रहे हैं।

श्रीमन्, आपको जानकारी होगी क्योंकि आपका वहां निवासस्थान भी है, मैं समय अधिक नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक बात कहूंगा कि सरकार पता लगाये कि कितने ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं जिनको सरकार के अधिकारी स्वयं जांच करके पता लगाते हैं। मेरा यह विश्वास है कि सौ में एक दो होते हों, लेकिन ९८, ९९ फीसदी भ्रष्टाचार के आरोप जो इनके अधिकारी नहीं है, बाहर के हैं वे सरकार को बताते हैं।

मऊ पावर हाउस के सम्बन्ध में हमारी ओर से बीसों प्रश्न हुये कि भ्रष्टाचार है, सरकार का ध्यान ही नहीं जाता था, लेकिन श्रीमन्, आपने देखा कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी अभी कुछ अधिकारियों को सजायें हुईं। तो यह इरादे की बात है। सरकार को उद्योगशील होना चाहिये। इधर के बैठने वाले सारे लोग सारे अधिकारियों के विरुद्ध नहीं है, सभी को बेईमान नहीं समझते। सरकार की यह भावना होती जा रही है कि हम सभी अधिकारियों के दुश्मन हैं और जो कहते हैं सब गलत कहते हैं और उधर के सब लोग बिलकुल सही कहते हैं। इस इरादे को कम करना चाहिये और अपने मन में यह सोचना चाहिये कि इधर से कहने वाले भी सही कहते हैं।

मैं एक देहाती कहावत कहूंगा "चिराग के तले अंधेरा" माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मऊ, सोहावल आदि विद्युत केन्द्रों को आरम्भ कर देंगे तो समस्या हल हो जायगी। इसी बात को धर्मसिंह जी ने अभी दोहराया है। कहा जाता था रिहन्द बांध के लिये कि वह तैयार कर लें तो समस्या हल हो जायगी बिजली की, लेकिन जो तैयार होता चला जा रहा है वह आप दूसरों के सुपुर्द करते जाते हैं और फिर तैयार होने की बात कह दी जाती है। मैं मऊ और कोपागंज कस्बे की बात कहता हूं गाजीपुर के कस्बे और बलिया के कस्बे जो मऊ से दस दस और पन्द्रह पन्द्रह मील के क्षेत्र में आते हैं वहां अंधेरा है जो लोग छोटे-छोटे कारखाने लगाकर काम करते हैं उनके लिये मेरे पास हजारों दरख्वास्ते हैं मऊ पावर हाउस में उनकी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, आजमगढ़ में पड़ी हुई हैं मगर बिजली का सम्बन्ध नहीं मिलेगा। वह बिजली का सम्बन्ध बलिया जायगा, अकबरपुर जायगा, दूर दूर जायगा, सड़कों के किनारे दिखाने के लिये

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

लेकिन जहां बहुत से गरीब लोग बसते हैं, जहां पिछड़े उद्योग-धंधे हैं उनके लिये आप शक्ति देने में असमर्थ हैं ।

मैं निवेदन करूंगा कि बिजली को एक आमदनी का जरिया नहीं मानना चाहिये । इस सरकार के, श्रीमन्, जितने विभाग हैं, जितने भी इसके काम होते हैं उन सब को यह आमदनी का जरिया मानती है । अब यह फैसला करना पड़ेगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आमदनी का जरिया नहीं मानना चाहिये, उसमें बिजली भी आती है । जो पिछड़े हुये क्षेत्र हैं, जहां उद्योग-धंधे पिछड़े हुये हैं,जहां गरीबी है,जहां आबादी ज्यादा है, जहां के लोग उद्योग-धंधे चलाना चाहते हैं, आप तो बारबार यह कहते हैं कि पिछड़े हुये लोगों को उद्योग-धंधे देने के लिये, गरीबी मिटाने के लिये बिजली लगा रहे हैं, लेकिन जब बिजली पैदा होती है, गरीबी मिटाने का एक हल सामने आता है तो सरकार उस रास्ते को भूलकर दूसरी तरफ चली जाती है । इसके अतिरिक्त वह बहुत महंगी पड़ती है जैसा कि आप देखेंगे बजट में भी कहा गया है कि दोहरीघाट पम्प नहर से आजमगढ़ जिले में कुल दो हजार एकड़ रबी की सिंचाई हुई ।

मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल करनी चाहिए कि आखिर बात क्या है जब किसान पानी लेना चाहता है, वह अधिक गल्ला पैदा करना चाहता है फिर भी इतनी कम सिंचाई क्यों हुई ? उसका कारण यह है कि पानी इतना महंगा पड़ता है जिसको पूर्वी जिले के किसान दे नहीं सकते । अधिकारियों से मैंने कहा कि रेट कम कीजिये तो उन्होंने कहा कि सस्ता कैसे करें, बिजली का रेट इतना ज्यादा है कि अगर उसको हम देने लगें तो सारा घाटे में ही चला जायगा, नफा होने की तो कोई बात ही नहीं उठती । तो मेरा सुझाव है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और जहां पर गरीबी ज्यादा है वहां पर रेट कम किया जाय ।

आज कानपुर और आजमगढ़ में बिजली के क्या रेट हैं ? कानपुर से आजमगढ़ में बिजली का रेट शायद दूना है । एक तरफ आप बिजली पैदा करें और उसको कोई ले नहीं और एक तरफ कोई मांगता हो उसको मिले नहीं, इसका क्या कारण है ? सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तब तक इस समस्या का कोई हल नहीं होगा । इसलिये बिजली सस्ती होनी चाहिये और वह आम जनता को सुलभ होनी चाहिये । जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं समझता हूं कि खाली शहरों में और सड़कों के किनारे बिजली लगा देने से कोई समस्या हल नहीं होगी । साथ ही साथ सरकार को भ्रष्टाचार को रोकने के लिये तत्पर और सजग रहना पड़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, दोनों पक्षों के जो भाषण इस अनुदान पर हुये वे इसी बात के प्रतीक हैं कि बिजली के उत्पादन की आवश्यकता इस प्रदेश में बहुत ज्यादा है और प्रायः प्रत्येक व्यक्ति ने जो कुछ कहा उससे यह नतीजा निकलता है कि इस मद में पैसा कुछ ज्यादा ही खर्च किया जाना चाहिये । फिर माननीय प्रतापसिंह की तरफ से यह प्रस्ताव आना कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन धन की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय, मेरी समझ में नहीं आया ।

श्री प्रतापसिंह—मैंने एक रुपये का प्रस्ताव नहीं रखा है, मैंने यह प्रस्ताव किया है कि सम्पूर्ण धनराशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

श्री उदयशंकर—खैर, आपने बड़ी उदारता की कि सिर्फ १०० रुपये की कमी करने की बात कही । तो जहां तक बिजली के उत्पादन के बढ़ने की बात है, प्रत्येक सदस्य की यह मांग है कि प्रदेश की यह सबसे बड़ी आवश्यकता है ।

मुझे इस विभाग के प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ बातें आपके जरिये मन्त्री जी की सेवा में प्रस्तुत करनी हैं । देखने में यह आता है कि इसके प्रशासन पर जो पैसा खर्च होता है वह कुछ

ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। आज इस प्रदेश और देश के अन्दर मध्यम वर्ग असंतुष्ट है, शिक्षित होते हुये भी और हमारी जो पीजेन्टरी है वह दुखित है, पीड़ित है। सरकार की जिम्मेदारियों में से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह भी है कि वह उन सारे उपायों को काम में लावें जिनसे इन दो वर्गों का कल्याण हो और उनकी दिक्कतें दूर हो सकें।

हमारी सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है वह भी ज्यादा तादाद में इन्हीं दो वर्गों से ही मिलता है। इसके बाद भी अगर ठीक ढंग से खर्च न किया जाय तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इस सिलसिले में मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सारदा पावर हाउस इन्क्वायरी कमेटी का क्या हश्र हुआ? उसने रिपोर्ट क्यों नहीं दी और वह कब तक आवेगी? केसा का सामान का आर्डर जिस कम्पनी को दिया गया है उसके लिये निश्चित रूप से बताया गया कि वह स्टैन्डर्ड के मुताबिक नहीं था। तो उस कम्पनी से क्या दोस्ती है कि रिहंड का आर्डर भी उसे ही दिया गया? यह रहस्य समझ में नहीं आता। अभी हमारे सभा सचिव श्री धर्मसिंह जी ने कहा कि बिरला कम्पनी को जो बिजली दी जायगी उसमें ट्रांसमिशन लाइन का खर्चा निकाल दिया गया है और तब हम घाटे में नहीं पड़ते हैं। आखिर, ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत ही क्यों पड़ी? और अगर लगाई तो ट्रांसमिशन लाइन का खर्चा आप बिरला साहब को बिजली देने के लिये, क्यों निकाल देते हैं? अगर नहीं जरूरत थी तो आपके इंजीनियर्स क्यों नहीं पहले ही इतना इमेजिन कर सके कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका खर्चा हमें शामिल नहीं करना होगा? जितना पैसा इस पर लग रहा है और जिस भाव पर बिजली दे रहे हैं, उसका सूद भी नहीं आता है।

आज उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के वार्षिक लेखे की यह किताब मिली है। इसमें दिया है कि कार्य-सम्पादन का कुल व्यय ५९–६० में ३९९.७३२ लाख रुपये था, दोहराया तखमीना ४१९.९३६ लाख रुपये था। अगले बजट का तखमीना ४४३.८११ लाख रुपये है। वास्तविक प्राप्तियों को देखें तो ११५.७५९, ५९–६० में, दोहराया गया तखमीना १२३.८५४ लाख रुपये और बजट का तखमीना है १२३.४०१ लाख रुपये। इसका नतीजा यह है कि १३७.२१४ लाख रुपये का घाटा होगा जिसकी पूर्ति राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले सबवैंशन से होगी। बड़ी अच्छी बात है, हमारी वेलफेयर स्टेट है और इसे सबवैंशन देना ही चाहिये।

मैं सरकार का ध्यान जरा सरकारी अन्डरटेकिंग्स की ओर ले जाना चाहता हूं। कृषि के फार्म आप चलावें, वहां घाटा। सिंचाई की योजनायें आप चलावें, वहां घाटा। और बिजली की योजनायें चलावें, वहां घाटा दें। तो होना क्या है इस प्रदेश का? आपकी इस अकल और हिम्मत से जिससे हर पैसा जो आप लगावें वह घाटे में जावें, इस प्रदेश की इकानामी का क्या बनना है? मैं निहायत अदब से गुजारिश करूंगा कि जरा इस ओर भी ध्यान दीजिये। लोगों की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वह ठीक ढंग से खर्च होना चाहिये। उसको आप इस कायदे से खर्च करें कि जो भी अन्डरटेकिंग्स आप लें वे मुनाफे की लें।

इन्डस्ट्रीज को बिजली दिये जाने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अभी हमें १३–१४ अरब रुपया गल्ले के लिये खर्च कर देना पड़ा। उस रुपये से आप बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकते थे, लेकिन जब उस क्षेत्र को आपको बिजली देनी होती है तो आप कहते हैं कि सस्ती बिजली बनेगी तो हम बिरला जी को देंगे, अगर खेती वाले लोगों को बिजली की आवश्यकता होगी तो कहा जायगा कि तुमको डीजल की देंगे। मैं पूछता हूं कि यह पक्षपात क्यों है? आखिर लोग आपके इस पक्षपात को आपका कौन-सा जेस्चर समझें? इससे एक ही नतीजा निकलता है कि आपका पीड़ित वर्ग की तरफ झुकाव नहीं है, आप उन लोगों के साथ पार्शियलिटी बरतते हैं जो बेहतर कंडीशन्स में हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपनी बेसिक पालिसी को बदले और इस तरह बदलें कि खेती की उन्नति के लिये,

[श्री उदय शंकर]

छोटे उद्योगों की उन्नति के लिये सस्ती बिजली सरकार दे और उनके घरों में सरकार ज्यादा पैसा लाने की कोशिश करे। सबवेंशन दे तो सरकार उन छोटे काश्तकारों या छोटे उद्योग धंधों को दे जिनके पास पैसा नहीं है, जो बड़े उद्योगपति हैं जो थोड़ा घाटा भी बरदाश्त कर सकते हैं उनको यह न दीजिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय प्रतापसिंह जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, आज बिजली की कितनी आवश्यकता है, यह दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने जो भाषण किये, उससे जाहिर हो गया है कि उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन उसमें आज जो प्रगति हो रही है, वह उस अनुपात से नहीं हो रही है। जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में बिजली की बहुत आवश्यकता है। आज जो कुछ थोड़ी बहुत बिजली ट्यूबवेल्स को मिलती है वह इतनी महंगी है कि किसान को पानी लेने की हिम्मत नहीं पड़ती। किसान उसका रेट नहीं चुका पाता। नतीजा यह होता है कि किसान को जितना पानी लेना चाहिये वह घबरा कर नहीं लेता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि और उद्योग धंधों के उत्पादन में हम ऐसी छलांग लगायें कि दूसरे देशों से आगे बढ़ जायं। हमारे यहां लाखों करघे वाले हैं जिनको पावर नहीं मिलती है। नतीजा यह होता है कि वे पुराने ढंग से ही करघे चलाते हैं। मेहनत भी उनको काफी पड़ती है, लेकिन उससे उनको प्राफिट बहुत कम होता है। बंगलौर में करघों को पावर मुहैया किया गया है। नतीजा यह है कि उनकी हालत अच्छी है। मैं चाहूंगा कि आप अपने यहां के इंजीनियर्स को बंगलौर भेजें कि वहां उनको किस प्रकार से बिजली सप्लाई की जाती है और वह यहां संभव है या नहीं इसको देखें। जो ये गांवों में लाखों की तादाद में बुनकर मजदूर हैं उनको बिजली सप्लाई करके तरक्की के रास्ते पर उनको ले जाया जा सकता है।

आज जरूरत इस बात की है कि देहाती क्षेत्र के किसान जो सदियों से इस बात की आशा लगाये हुए थे कि हमारे यहां देवी मोती के रूप में बिजली आयेगी और हमारे यहां जो अन्धेरा है वहां उजाला करेगी और जिसे सरकार अब तक पूरा नहीं कर सकी है कि उनको बिजली देती जब कि आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है। तो विद्युत विभाग के इंजीनियर लोग उसके सम्बन्ध में सोचें और यहां पर कोई चीज न मिले तो विदेशों में जाकर देखें कि कौन-कौन सी चीजों से सस्ती मशीनें लगायी गयी हैं और किस-किस चीज से सस्ती बिजली बनायी जाती है। आज के जमाने में तो अगर कहीं पानी बहता है तो उस थोड़े पानी से भी ५,१० किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है और दूसरी जगहों में की जाती है। अगर इस तरह से बिजली पैदा कर किसानों को मुहइया करने की बात बिजली विभाग सोचे तो मैं समझता हूं कि छोटी-छोटी यूनिटों से बहुत-सी बिजली पैदाकर खेती तथा छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के लिये दी जा सकती है।

मैंने पढ़ा है कि वायु से भी बिजली तैयार की जाती है तो यहां भी हवा से बिजली तैयार की जा सकती है। साथ ही माथेन से भी बिजली तैयार करने के प्रश्न पर विचार करना बहुत जरूरी है। जो लोग बड़े-बड़े प्लाण्ट लगा कर बिजली पैदा करने की जरूरत महसूस करते हैं, मैं समझता हूं कि बड़े-बड़े प्लाण्टों से जल्दी छोटे-छोटे प्लाण्टों को लगाकर बिजली देनी चाहिये। दो-तीन मीटर प्रति सैकड़े तथा तीन चार मीटर प्रति सैकड़े से ज्यादा जहां वायु की गति हो उससे बिजलीघर बनाये जा सकते हैं। मैंने यह भी पढ़ा है कि आदमी के पाखाना, गोबर और कीचड़ की घास से भी गैस पैदा करके बिजली के प्लाण्ट लगाये जाते हैं और लगाये जा सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि गांवों में जहां पर कि कोयले नहीं हैं और पानी की कमी है वहां इस तरह के बिजली घर बन सकें तो बड़ा अच्छा होगा।

दूसरी बात यह है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने बिजली विभाग में भ्रष्टाचार की बात भी कही, लेकिन मालूम होता है कि भ्रष्टाचार की बात कहने से सरकार

चिढ़ती है। इसलिये मैं केवल हस्तिनापुर बिजली घर की बात ही कहना चाहता हूं कि उसकी जांच होनी चाहिये। आप उसकी लागत को देखें तो हर साल उसमें बढ़ोत्तरी होती गयी है। सन् ५७ में लागत १,१८,३५४ रुपये थी और प्राप्ति हुई २७,२२९ रुपये तथा घाटा हुआ ५१,९२५ रुपये। इसी तरह से काशीपुर रुद्रपुर, बिजली घर की भी जांच होनी चाहिये। मैं तो माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसके लिये वे एक कमेटी बैठावें जो इस बात की जांच करे कि क्या कारण है कि इन तमाम जगहों में घाटा ही घाटा हो रहा है? इसी तरह से सन् ५८–५९ में जो रुपया विभाग को दिया गया था खर्च करने के लिये, उसमें बहुत काफी बचत हो गयी। मैं चाहता हूं कि विभाग इस तरफ ध्यान दे कि यह बचत क्यों हुई?

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बिजली उद्योग के राष्ट्रीयकरण बिना हमारे प्रदेश के लोगों को बिजली मिलना असंभव है। जहां जहां बिजली सस्ती मिलती है उसे तो लेकर सरकार प्राइवेट लोगों को दे देती है और जहां बिजली महंगी मिलती है उसको वह स्वयं खर्च करती है। मैं चाहता हूं कि सरकार जो ठेकेदारों को सस्ते दर पर बिजली देती है उसके ऊपर भी सोचे। ५५–५६ में सरकार ने ठेकेदारों को कम भाव पर बिजली देने का समझौता किया जिसका नतीजा यह हुआ कि ठेकेदारों ने आम जनता से ६ आने ८ आने फी यूनिट के हिसाब से वसूल किया। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका राष्ट्रीयकरण हो। दूसरी बात यह है कि मार्टिन कम्पनी के ऊपर सरकार ने २२ मुकदमे चलाये, लेकिन न मालूम क्या हुआ कि उन सब को सरकार ने वापस ले लिया। कम्पनी की तरफ से गलतियां भी हुईं, लेकिन फिर भी सरकार ने मुकदमे वापस ले लिये और करोड़ों रुपया कम्पनी का विस्तार करने के लिये कर्ज दिया गया। आप देखते हैं कि किसानों की बकाया वसूलने में कोई कसर नहीं की जाती, लेकिन पूंजीपतियों से कहीं सख्ती की गई हो बकाया की वसूली में इसकी एक भी मिसाल नहीं है। कानपुर की एक स्वदेशी काटन मिल के ऊपर २८ लाख रुपया बिजली का बकाया है और बहुत से पूंजीपतियों पर सरकार का और मजदूरों का, किसानों का करोड़ों रुपया बकाया पड़ा है, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं करती।

मुझे एक बात और कहनी है मजदूर के बारे में कि उन्हें पहाड़ों पर भेजा जाता है और केवल ५ रुपया एलाउन्स उनको मकान का मिलता है, उनको वहां मकान नहीं मिलता और वह बहुत परेशानी में रहते हैं, उनको स्थायी नहीं किया जाता और तरह तरह से सताया जाता है। जो नीचे के चौथे दर्जे के कर्मचारी हैं उनके बार में सरकार विचार करे और मकान के लिये जो उन्हें मिलता है उसमें वृद्धि करे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)––उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे डिबेट का अगर निचोड़ किया जाय तो वह संक्षेप में यह रहा कि सरकार के पास २ पैमाने हैं, एक गरीबों के लिये और एक अमीरों के लिये। जहां तक गरीबों का सवाल है, नलकूप में या दूसरी चीजों में देखा जाय रेट्स ऊंचे रखे गये हैं और जहां पर बड़े पूंजीपतियों और सेठों का सवाल है तो उन्हें सरकार ने सस्ती बिजली दी है। यह केवल बिजली देने का ही सवाल नहीं है बल्कि जैसे कि माननीय सदस्यों ने यहां बातें कहीं अगर उनका विश्लेषण किया जाय तो बिजली की बकाया की वसूली के लिये यहां बिल भी आया और बड़े जोर से सरकार की तरफ से कहा गया कि लोग पैसा नहीं देते उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

ऊपर हमें सख्ती करनी होगी कि वह जल्द वसूल हो जाय। लेकिन एक भी ऐसी मिसाल हमारे सामने नहीं आई कि कभी भी वह उपाय जो सरकार ने बनाया था किसी बड़े डिफाल्टर के खिलाफ उपयोग में लाया गया हो। किसानों के खिलाफ जो लगान वसूली में या तकावी वगैरह की वसूली में उपाय बरते जाते हैं वह बहुत दूर तक नीलाम व कुर्की की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ कानपुर में ६-६ लाख रुपए की बकाया कम्पनियों पर है और दो तीन कम्पनियों पर है, लेकिन वह वसूल नहीं की जाती। इन दो पैमानों की वजह से लोगों को ज्यादा शिकायत है।

दूसरी तरफ यहां कुछ ऐसे काम इस बीच में हुए हैं जैसे खटीमा पावर हाउस के विषय में यहां बड़ा विवाद चला और आज तक मुझे खयाल है अगर मैं ठीक कहता हूं, अब भी उसमें सिल्ट आता है और जहां पर तेल नहीं आना चाहिये वहां आयली सब्सटेंस निकलता है और वह ठीक नहीं काम कर रहा है। पावर हाउस बना है थोड़ा बहुत, लेकिन जो बातें वहां होनी चाहिये थीं वह ख्वाब हो गईं। उस पर सिद्दीक हसन कमेटी बैठी तो उस कम्पनी के लिये जितना खराब लिखा जा सकता था उतना खराब उसने लिखा कि कम्पनी ने शुरू से आखिर तक गलतियां ही गलतियां की हैं। जो एक्सपर्ट थे उस कमेटी में वह यू० पी० गवर्नमेन्ट के ही थे और अगर बाहर के भी होते तो शायद और बातें मालूम पड़तीं, लेकिन नाम न लेकर मैं इतना अर्ज करूंगा कि सिद्दीक हसन कमेटी ने जब बहुत कंडेम किया कि यह कम्पनी किसी काम की नहीं है। अभी रिपोर्ट में यह भी देखने को मिला कि भविष्य में इस कम्पनी को कोई काम न दिया जाय तो हमारी समझ में नहीं आता कि उसके बाद रिहन्द में उसी कम्पनी को क्यों काम दिया गया ? कानपुर एलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के बारे में भी अभी कहा गया। उदयशंकर दुबे जी ने शायद कहा था। तो यह क्या बात है कि जिस कम्पनी के बारे में बहुत ज्यादा खुद सरकार की बिठाई हुई कमेटी ने कहा और सब लोगों ने शिकायत की कि उसका काम ठीक नहीं है तो भी बार-बार उसको ही काम दिया जाय। यह एक गहरा संदेह पैदा करती है।

भ्रष्टाचार के बारे में तो ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर किसी के भ्रष्टाचार के बारे में कहा जाय, खासकर पावर डिपार्टमेन्ट के बारे में, और अगर जांच भी हो जाय और उसके बाद यह तय हो जाय कि इसके बाद वह वापस नहीं आएंगे, लेकिन माननीय मंत्री जी के जाते ही फिर लिया जाय आफिसर बनाकर कर १,८०० रुपये की जगह २,२०० रुपये की तनख्वाह पर रख लिया जाय, तो क्या यह उचित है? इसके माने तो यह हुए कि अगर किसी की तरक्की करानी है तो शिकायत कर दो और.....

श्री उपाध्यक्ष—सदन में शान्ति नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, अपनी आनेस्टी के लिये जो यू० पी० में सबसे मशहूर है, मुझे दुःख होता है, ऐसे आदमी के किये हुए काम को उलट देना ईमानदारी को खत्म कर देना है इस देश में। कल माननीय सम्पूर्णानन्द जी की जगह सी० बी० गुप्ता आ गये तो जो आदमी आज भ्रष्टाचार में निकाले गये हैं, वह रख लिये जाएंगे। यह तो बहुत गलत प्रथा है। तो इस तरह से मिनिस्टीरियल लेविल का स्तर नीचे गिरता है।

कुछ सामान इस डिपार्टमेन्ट में अंधाधुंध खरीद लिया जाता है। रिहन्द बनाने के लिये एक क्रेन खरीदी, वार डिस्पोजल में मिल रही थी, शायद १ लाख रुपये की है। अभी तक पड़ी है। सन् ४८ में खरीदी थी आज तक काम नहीं आई। कहते हैं खड़ी करने में ३५ हजार रुपया पड़ेगा। वह बन्द पड़ी है। कहते हैं कि कोई ऐसे ही ले जाय।

एनुअल वैरीफिकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। इस डिपार्टमेन्ट में बहुत कम हुआ करता है ऐसा मेरा अन्दाज है। सस्पेंस का जो एकाउण्ट है, जो एक लिमिटेड सेक्शन है, उससे ज्यादा उचन्त में रखना, यह अच्छी चीज नहीं है।

सरप्राइज चेकिंग जरूर होनी चाहिये। ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ में कोई एंजिन खरीदा गया। नये की कीमत दी गई, पुराना लगाया गया। तो ऐट रैन्डम चेकिंग की जाय कि जहां-जहां काम हो रहा है, ठीक हो रहा है या नहीं, ठीक माल लगा है या नहीं। तो ऐसे टैक्नीकल आदमी होने चाहिये। इसके अलावा मैं अपने इंजीनियर साहबान की तब तारीफ करूंगा जब वह चीपेस्ट बिजली प्रदेश में पैदा करें और जनता को दें। वैसे यह प्रदेश भारत में सब से आगे माना जाता है, लेकिन बिजली के मामले में सबसे पीछे है। दक्षिण में हाइडल की बिजली सस्ती पड़ती है, लेकिन उतनी सस्ती हमारे यहां क्यों नहीं बनती जब कि हमारे यहां नदियां हिमालय से निकलती हैं और उनमें गर्मियों में भी पानी रहता है, बल्कि बढ़ भी जाता है। इसलिये मैं मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि डैम्स बनाये जायं और इस तरह काफी बिजली पैदा हो सकती है। और एक प्रयोगशाला ऐसी होनी चाहिये जो यह खोज करे कि जो चीजें हमको बाहर से मंगानी पड़ती हैं उनको अपने यहां ही बनाया जाय और साथ ही कमर्शियल फर्म्स को 'टेक्नीकल नो हाऊ' भी दें।

आजकल हमारे इंजीनियर्स के पास कागजी काम बहुत बढ़ गया है, वह एक डिगनी-फाइड क्लर्क की तरह काम करते हैं और उनकी बुद्धि का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं हो पाता जो कि होना चाहिये। मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान दें।

हमारे इंजीनियर्स का बड़ा नाम था, लेकिन इधर आस्ट्रेलिया में जो हमारे विद्यार्थी जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट देखकर शर्म आती है, यह नहीं कि हमारे यहां के लोगों का स्टैन्डर्ड नीचे गिर गया है बल्कि उसका कारण यह है कि सेलेक्शन ठीक नहीं होता। जिनकी सिफारिश होती है उन्हीं को ट्रेनिंग के लिये भेजा जाता है। इससे सारे देश का नुकसान होता है।

इस विभाग में छटनी हो रही है, छोटी-छोटी जगहों पर काम करने वालों को, करीब २५० आदमियों को नोटिस देकर अलग किया गया है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उन लोगों के बाल बच्चे हैं और आजकल काफी गिरानी है, तो इस तरह से एकदम उनको रिट्रेन्च न किया जाय इतने साल नौकरी कर लेने के बाद। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रतापसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन और विरोध करते हुए इस विषय पर रोशनी डालने का प्रयत्न किया। मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय धर्म सिंह जी ने मेरे कटौती के प्रस्ताव में जो सवाल थे उनका जवाब देने का प्रयत्न किया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे सवाल जहां के तहां मौजूद हैं। उन्होंने जवाब दिया कि जो बिजली सस्ती बिड़ला को दे रहे हैं उसमें ट्रांसमिशन के दाम नहीं लिये जायंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कांट्रैक्ट दोनों के बीच में हुआ उसका वह पैरा पढ़ने की कृपा करें। मैं आपकी आज्ञा से, मान्यवर, उसे फिर से पढ़ देना चाहता हूं :—

"The Company shall take electrical energy for a period of 25 years at the rate of naye paise 1.997717 per K. W. consumed."

अब इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कौन-सा दाम घटाया जायगा और कौन-सा बढ़ाया जायगा। तो मेरा सबसे बड़ा चार्ज है कि पूंजीपतियों के लिये यह सरकार साँपड

[श्री प्रताप सिंह]

कार्नर रखती है। जो ३०,००,००० रुपये का घाटा सालाना ब्याज के रूप में होता रहा और ७,४८,००,००० रुपये की जो योजना थी उसके निर्माण के समय जो एक्जीक्यूटिव और सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर सुपरवीजन के लिये वहां नहीं रहे उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

मैं एक गलतफहमी उधर के लोगों की दूर करना चाहता हूं। वे बहुत बड़े हिमायती बनते हैं उन लोगों के जो देश का निर्माण करते हैं। मैं उन तमाम इंजीनियरों की कद्र करता हूं और उनसे कन्धे से कन्धा भिड़ा कर देश की तरक्की के लिये योग देने को तैयार हूं, लेकिन ऐसे इंजीनियरों, मंत्रियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है जो इस मुल्क को मिटा कर अपनी कोठियां बनाना चाहते हैं जिसका उदाहरण भूतपूर्व मिनिस्टर ने दिया और उन्होंने बार बार एक इंजीनियर के बारे में लिखा जो कि हाइडल के चीफ थे। उनको एक मंत्री लिखकर जायं कि दोबारा इस विभाग में उस व्यक्ति को न लिया जाय, लेकिन उसके लिये एक प्रिविलेज पोस्ट क्रियेट की गयी। मुझे देख कर तकलीफ होती है। मुल्क का निर्माण करने के लिये आप रहें या न रहें, लेकिन हम तो रहेंगे ही।

दूसरी बात कही गयी कि बड़ी संजीदगी के साथ तथा इत्मीनान के साथ विभाग कार्य कर रहा है। इस संबंध में मैं बतलाऊं कि इस विभाग ने बहुत से ऐसे कार्य किये जिनकी सैंक्शन नहीं ली गयी। १,१८६ कार्य इस विभाग ने ५७ में किये और ६,६१,०२,१३५ रुपया बिना सैंक्शन के खर्च किया। ३१ मार्च, ५८ तक १,६२८ कार्य किये गये जिसमें ७,८३,५५,६१८ रुपया बिना सैंक्शन के खर्च किया गया। इस पावर विभाग में खास तौर से ऐसा लगता है कि १ रुपये का एक पैसा नजर आ रहा है क्योंकि बिना सैंक्शन के लाखों रुपया खर्च किया जाता है और यह कहा जाता है कि विभाग बहुत अच्छी तरह से चल रहा है।

रिहन्द डैम के बारे में ध्यान दिलाया गया। खटीमा के संबंध में जो कमेटी बैठी उसने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो इसे साफ करें :—

"We have mentioned in the body of the report that the absence of the penalty clause in the Khatima agreement has left the department with no remedy against the contractor and we are strongly of the view that such provision must be made in the case of Rihand."

तो यह पैनाल्टी क्लाज जो है रिहन्द का ठेका जिसको दिया गया है उनके साथ है या नहीं ?

तीसरे यह भी है कि हम ५५ हजार किलोवाट बिजली देंगे। लेकिन उसी एग्रीमेंट में यह भी है कि अगर एक्सेस बिजली लेंगे तो ४० रुपये पर किलोवाट चार्ज किया जायगा। बिड़ला जैसे लोगों के लिये रुपये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ४० रुपये पर किलोवाट के हिसाब से एक्सेस पेमेंट कर देंगे। फिर २५ साल का एग्रिमेंट है। २५ साल किसी देश के निर्माण के लिये बहुत बड़ा टाइम होता है। यह बहुत गलत बात की इसका स्पष्टीकरण सरकार दे।

चौथे, मान्यवर, सेकेंड फाइव ईयर प्लान में सरकार खुद इसे मानती है:—

"Planned development of an under-developed agriculturist economy as in Uttar Pradesh, cannot be completed in the agriculture sector alone. Diversification of trade and industrialization, with special emphasis on the employment potential is essential. In the modern age this is closely related to the availability of cheap electrical power."

कृषि से ही हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल होने वाला नहीं है। इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है नौकरियां देनी हैं। इसके लिये हमें नये पावर हाउसेज बनाने होंगे।

अभी जो जवाब दिया सभा सचिव महोदय ने उसमें उन्होंने यह कहीं नहीं बतलाया कि कितने प्रतिशत बिजली वे देहातों को दे रहे हैं। लघु उद्योग-धन्धों को दे रहे हैं। हमारे जिले की ओर माननीय मंत्री ध्यान दें। हमसे बार-बार यह कहा जाता है कि हम रुपये का इस्तेमाल नहीं कर पाये। मेरा सुझाव यह है कि डेवलपमेंट फंड बनायें और जो रुपया नहीं इस्तेमाल होता है वह डेवलपमेन्ट फंड में ट्रान्सफर हो जाना चाहिये। सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन ने सिफारिश की है कि जितनी भी नई नदियां हैं कोई नदी ऐसी नहीं रहनी चाहिये जिसका इन्वेस्टिगेशन न हो। इस ओर हमारी सरकार ने क्या प्रयास किया?

देश का निर्माण एक अहम सवाल है। जो हमारे मेकैनिक्स हैं, आपरेटर्स हैं उनकी सर्विसेज के बारे में अब तक कुछ नहीं किया गया। १५-१६ साल काम करने के बाद उनको निकाल दिया जाता है और डेली वेजेज पर उनसे काम लिया जाता है। इंजीनियरों की जहां हम कद्र करते हैं वहां उनसे यह उम्मीद करते हैं कि वे विभाग को सलाह दें कि ऐसे लोगों की सर्विसेज को रेगुलेट किया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं फिर उस सवाल को दोहराता हूं कि विरोधी दल, खास तौर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी देश का निर्माण करने वाले लोगों के कन्धे से कन्धा मिला कर उनका हमेशा साथ देगी, लेकिन ऐसे अफसरों को कभी बरदाश्त नहीं करेगी जो मुल्क के निर्माण में मुल्क का निर्माण न कर के अपना निर्माण करते हैं।

इसके अलावा मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण करें कि क्यों सरकार के दिल में बिड़ला के लिये एक साफ्ट कार्नर है और क्यों यहां के लोगों को सस्ते दामों पर बिजली नहीं देना चाहते।

मंत्री जी ने कहा कि यह कहना गलत है कि हमारे यहां बिजली अधिक दामों पर मिलती है। मैं फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ चुका हूं। उसमें तो यह भी कहा गया है कि एलेक्ट्रिसिटी का दाम ज्यादा है, लेकिन ड्यूटी का प्रश्न है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये ड्यूटी को खत्म कर देना चाहिये ताकि हमारे प्रदेश का औद्योगीकरण हो सके। किसी देश में बिजली का उपयोग उस देश के आर्थिक ढांचे का माप-दंड होता है और उद्योगीकरण पर ही देश की जनता का लिविंग स्टैंडर्ड निर्भर करता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी अपनी पालिसी को बतायेंगे और यह ड्रिफ्टिंग फ्राम वन ब्लन्डर टु ऐनअदर, एक गलती के बाद दूसरी गलती करते जाना नहीं होना चाहिये। हम एक डेफिनिट पालिसी चाहते हैं। यही मेरा सुझाव है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो मासूम सुझाव हैं माननीय मंत्री जी उनको मान लेंगे।

*श्री गिरधारीलाल---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आज इस विभाग के ऊपर पूरे तौर पर रोशनी डाली गयी। जैसा मैंने २ बजे के बाद कहा था कि इस वक्त जो वोटिंग होने वाली है वह रिहन्द पर और जो छोटा-सा स्टाफ है उसके सिलसिले में जो अनुदान है उन पर होगी। मैं इस वक्त विशेष तौर पर रिहन्द बांध के सिलसिले में कुछ बात कह देना चाहता हूं। हालांकि इस विषय पर मेरे से पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरधारीलाल]

इधर से रोशनी डाली जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं। रिहन्द बांध के बारे में एलर्जी है हमारे कुछ दोस्तों को महज बिड़ला के नाम से। अगर हम यह कहें कि एक अल्यूमीनियम फैक्टरी वहां पर हम खोल रहे हैं और उसमें ५५ हजार किलोवाट बिजली खर्च होगी तो शायद इतना एतराज न हो। खैर, मैं तो इतना कहना चाहता हूं जैसा कि इसी सदन में मुख्य मंत्री जी पहले बता चुके हैं कि वह इस प्रान्त के लिये किसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर आये और उसके लिये जो भी उनको तजवीज थी उसके हिसाब से उसको वहां पर लगाने की बात हुई।

जहाँ तक बिजली के रेट्स की बात है, मैंने अभी देखा कि हिन्दुस्तान में जहां-जहां भी अल्मूमीनियम फैक्टरीज हैं केरल को ले लीजिये, उड़ीसा को ले लीजिये या बंगाल को ले लीजिये हर जगह के रेट्स हमारे यहां से बहुत कम हैं। दूसरी बात यह कि यह रेट्स तमाम डेप्रिशियेशन चार्जेज वगैरह निकाल कर प्राफिट के ऊपर हैं। पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में मैंने यह बताया था।

तीसरी बात एक और मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे हमारे दोस्तों की ख्वाहिश और जजबात हैं मैं भी उन बातों से खाली नहीं हूं। जिस वक्त यह प्रश्न उठा था और वह दल यहां आया और उससे बातचीत हो रही थी तो मेरे मन में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि जो हमारे टर्म्स हैं उनके ऊपर हमको अड़ना है और उन टर्म्स पर अगर वह हमसे बिजली चाहते हैं तो लें वरना नहीं। वह बातचीत हो ही रही थी मैंने दूसरे दिन शाम को जो हमारे साथी कर्मचारी थे इस विभाग में जोकि उसके एक्सपर्टस हैं उनसे पूछा कि यह ५५ हजार किलोवाट बिजली वह है जोकि वहां पर और अन्य कामों में लगाना है तो सन् १९६२ के बाद कितना समय लगेगा इसके लोड को बिल्ड करने में। उन्होंने बताया कि कम से कम तीन वर्ष लगेंगे जितने समय में हमारी जनता इतनी बिजली को इस्तेमाल कर सकेगी। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए, जैसा कि पहले बताया गया था कि गोरखपुर, मऊ और सोहावल पावर स्टेशन्स को इंटरलिंक करके ग्रिड में डाल दिया जाय तो शायद ३०,३५ हजार किलोवाट बिजली सरप्लस हो जाती है और मैं समझता हूं कि हमें सफर नहीं करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों ने कहा कि हमारे ट्यूबवेलों के लिये बिजली नहीं मिलती और एल्यूमीनियम फैक्टरी को दी जाती है। मैंने कहा कि उस इलाके में ट्यूबवेल के लिये आज भी बिजली मिल सकती है और इस प्रकार के धंधों के लिये बिजली कम नहीं होगी। इस तरीके से वहां पर १९६२ में जब बिजली हमें देनी है तो बिजली की कमी नहीं होगी और हमारे लिये बिजली की जितनी जरूरत होगी उतनी हमें मिलेगी।

मैंने जैसे कहा कि तीन वर्ष लोड बिल्ड करने में लगेंगे। अगर ३२ करोड़ का प्रोजेक्ट है तो आधा सुस्त पड़ा रहे यह कहां तक मुनासिब है और तीन वर्ष में हमें उम्मीद है १९६५-६६ तक जैसे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि सिंगरौली में इतनी बिजली होगी कि उसका इस्तेमाल करने के लिये सवाल खड़ा हो जायगा। मैं इस विषय में सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं।

यह कहा गया कि इससे फायदा क्या हुआ हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का या हमारे सूबे का। जहां तक आमदनी की बात है तो साफ जाहिर है कि और जैसा कि सभा सचिव ने बताया कि यह बिजली रिहन्द डैम पर ही दी जायगी। हम जो २,४ १० मील के फासले पर बिजली सप्लाई करते हैं तो जितनी बिजली ट्रांसमिशन लाइन्स में चली जाती है वह बच जायगी जैसे किसी नहर का पानी जब हम नालियों के द्वारा कहीं ले जाते हैं तो बहुत-सा पानी जमीन सोख लेती है उसी तरह से ट्रांसमिशन लाइन्स से बिजली ले जाने में बिजली खर्च होती है। इन तमाम बातों से हम बचे। वह अपनी लाइन लगाकर बिजली ले जायंगे और इस्तेमाल करेंगे। सवाल यह है कि फायदा क्या हुआ? अगर इसको पोलिटिकल इश्यू बनाया जाय तब तो बात दूसरी है, लेकिन

हमारे राज्य को ३० लाख टन एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ती है जिसके लिये हमारा रुपया बाहर जाता है। इससे फारेन एक्सचेंज के बचाने में मदद मिलेगी। यह कोई कम चीज नहीं है।

यह प्रश्न उठा था कि बिड़ला जी ने क्या किया? वह अपने काम को और बढ़ाने जा रहे हैं। इसके लिये उनकी ख्वाहिश है कि वह स्वतंत्र पावर स्टेशन लगायें जिसके जरिये से वह अपनी अपनी मांग को पूरा करेंगे। इसलिये किसी को घबड़ाने की जरूरत नहीं है। यह जरूर है कि रिहन्द के बनने से और इस फैक्टरी के कायम होने से वहां पर और इंडस्ट्रीज कायम होंगी और वह इलाका चमकेगा और राजनारायण जी के पड़ोस में है, वहां काफी रोशनी होगी और उनकी तबीयत खुश करने के लिये वहां एक अच्छा सामान मौजूद हो जायगा। इस विषय में अब मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

दूसरी बात खरीमा के बारे में कही गई। किसी भाई ने गलतफहमी से यह कह दिया कि उसी कम्पनी को कैमा का काम दे दिया गया। मेरी इत्तला में ऐसा नहीं है, लेकिन रिहन्द का काम जरूर दिया गया था। इस से पहले सिद्दीक हसन कमेटी ने जिस वक्त काम चालू किया या चालू करने जा रही थी यह सवाल हुआ कि इतनी देरी क्यों लगी कोई वहां पर मौजूद था या नहीं, किसके मातहत यह बना यह सब देखने के लिए एक कमेटी बिठायी गयी। उस कमेटी ने उसका पूरी तौर पर परीक्षण किया। इसी समय जब वह काम हो रहा था दूसरी तरफ रिहन्द डैम का ठेका दे दिया था उसके बाद उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार के सामने आयी। जब वह रिपोर्ट सरकार के सामने आयी तो उस वक्त वहां पर जिस चीफ इंजीनियर ने अपने मातहत उस काम को करवाया था उसके ऊपर भी कार्यवाही की और उसकी पेंशन वगैरह सब रुकी पड़ी है। उस पर एक सिन्वेश्कर कमेटी बैठायी गयी इसी बात को देखने के लिये कि जब वह काम इस तरीके का था तो ठेका क्यों दिया गया। उस कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आ जायगी।

श्री राजनारायण––सिन्वेश्कर कमेटी की रिपोर्ट क्या है?

श्री गिरधारीलाल––रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आयेगी और उसको हर एक माननीय सदस्य देख सकेंगे।

एक सवाल यह उठाया गया कि इंडस्ट्रीज को कितनी बिजली दी गयी और कितनी ट्यूबवेल्स को दी गयी। उसका असली मतलब यह था कि कृषि को नजरन्दाज किया जा रहा है और पूंजीपतियों को बिजली दी जा रही है। लेकिन मैं आप को बता दूं जितनी बिजली हमारे सूबे के अन्दर पैदा होती है उसमें २४ प्रतिशत बिजली ट्यूबवेल्स और पम्प कैनाल्स पर खर्च होती है। बड़ी इंडस्ट्रीज पर १० प्रतिशत खर्च होती है और छोटी और बीच की इंडस्ट्रीज पर ३० प्रतिशत बिजली खर्च होती है। बाकी कामों पर ३६ प्रतिशत खर्च होती है। इस प्रकार से जो करीब ९६ करोड़ २९ लाख ९२ हजार ७१६ किलोवाट बिजली है वह वितरित होती है। कुछ हाइडिल से बिजली पैदा होती है कुछ स्टीम स्टेशन्स से पैदा होती है। जैसा उसका खर्चा होता है उसी हिसाब से उसके रेट्स हैं।

एक साहब ने कहा कि ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, तो माननीय सदस्यों ने खुद अभी एक यहां पर ऐक्ट पास किया था जिसके जरिये से उस वक्त मुस्तसना किया था एग्जम्पट किया था जितनी भी इस प्रकार की ड्यूटी या चार्जेज इंडस्ट्रीज के ऊपर हुआ करते थे उनसे और जहां तक कि कृषि की बात थी इसके ऊपर तो पहले से ही किसी प्रकार की कोई ड्यूटी या टैक्स नहीं लगा करता था। (व्यवधान)

[श्री गिरधारीलाल]

जहां तक अभी फिर वह बात उठायी पी० डब्ल्यू ० डी० के समय वही बात उठायी गई। इर्रीगेशन के वक्त भी उसको उठाया गया और आज फिर कुछ लोगों के सिर पर जैसे भूत सवार होता है उस तरह से वह चीज नाच रही है। लेकिन मुझको तो धूनी देनी होगी उसका असर कहीं होगा कहीं नहीं होगा । जैसा मैंने पहले बताया था कि एक व्यक्ति यहां से छुट्टी लेकर गया और यह ठीक है कि उसने छुट्टी लेते वक्त यह कहा था कि जब तक मैं रिटायर होता हूं मैं वापस नहीं आना चाहूंगा लेकिन सरकार को किसी भी कानून से अगर वह पहले वापस आना चाहे तो मना करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक चार्जेज और एलीगेशन्स की बात है उसके खिलाफ जितने भी एलीगेशन्स आये थे मैंने पहले भी एक बार एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि वह सीडोनामस थे ? मैंने उन बातों को देखा और देखने पर जब मुझे उसमें कोई चीज नहीं मिली तब वापस आने का प्रश्न आया। यह समस्या बहुत सी बातों की वजह से मेरे सामने रही और इसको बहुत सोचने समझने के बाद में यह तय किया गया कि के० पी० भार्गव जो यहां के चीफ सेक्रेटरी थे पहले और दूसरे श्री सतीश चन्द्र जो कि डेवलपमेंट कमिश्नर हैं उनके सुपुर्द यह चार्जेज सब जो कि सीडोनामस थे किये गए। उन्होने उन चार्जेज को देखा और देखने के बाद में उस व्यक्ति से भी उसकी छानबीन की और अन्त में इस नतीजे पर आये कि कोई भी ऐसे चार्जेज नहीं हैं जिन चार्जेज के ऊपर इस व्यक्ति को किसी भी हालत में वापस आने से रोका जाय। इसलिये जहां तक उसके वापस आने की बात थी उसको नहीं रोका गया। रहा यह प्रश्न ---जो कुछ गलतफहमी इस बारे में हैं कि उसको किसी बड़े पद पर रखा गया या ज्यादा तनख्वाह पर रखा गया तो बड़ा पद या ज्यादा तनख्वाह दोनों शायद एक ही चीज हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि कोई ज्यादा तनख्वाह देकर नहीं रखा गया है जितना वेतन पहले था उतना ही वेतन अब भी रहेगा।

एक सदस्य----पहले के मिनिस्टर ने कार्यवाही क्यों की थी, यह बता दीजिए जरा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---पुराने मिनिस्टर से पूछिए कि चार्जेज थे या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल---मैं समझता हूं कि वह पहले हमारे साथ आ लें। आ कर के इस घर के अन्दर बैठ जायं, तब बात करें तो ज्यादा अच्छा हो। पहले कौन था और अब कौन है ? मिनिस्ट्री एक ही है और यह कोई न समझे चाहे वह इधर बैठे, या उधर बैठे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यह जो पोलिटिकल दल हैं यह बुजुर्ग दल है इसका कोई भी सदस्य पूरी मैजोरिटी रखता है तो उस पर इन सब बातों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि अभी जो माननीय मंत्री जी ने खुद उस परिच्छेद को उठाया और कुछ उल्लेख यह किया किसी चीफ इंजीनियर महोदय का मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको इतने हल्केपन से न लें। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने कुछ थोड़ी सी सफाई करने की कोशिश की, लेकिन आज इसमें सभी लोग बड़े चिन्तित हैं अगर इस प्रकार के गम्भीर मसले स्पष्ट नहीं होंगे और इस तरह से उनको लिया जायगा, मैं मांग करूंगा माननीय मंत्रीजी से कि इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है भार्गवा साहब की वह सदन के सामने रखी जाय।

श्री गिरधारीलाल---मैंने जैसा बतलाया तो इस तरीके से इन बातों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता । रही मिनिस्ट्री की बात तो वही मिनिस्ट्री पहले भी थी और आज भी वही है। पार्टी वही है। आज मैं इसमें यहां हो सकता हूं कल को दूसरा हो सकता है, मेरे स्थान पर कल कोई दूसरा आ सकता है। तो इसमें किसी को परेशान होने की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—अब आप लोग शान्त रहें। बहुत सी बातों का जवाब हो गया।

श्री गिरधारीलाल—एक बात मैनपुरी की एलेक्ट्रिसिटी कम्पनी के नेशनलाइजेशन के विषय में कही तो उसमें यह ठीक है कि १९५८ में उसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था उसमें वह हाईकोर्ट में पहुंचे और वहां जाकर एक रिट दाखिल कर दिया। इसलिये वह मामला बीच में रुका पड़ा हुआ है।

एक बात और बतलाना चाहता हूं कि बिजली की कमी हमारे प्रान्त के अन्दर बहुत काफी है। खासतौर से पश्चिमी जिलों के अन्दर इस प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं जिनमें बिजली की मांग बहुत ज्यादा है। तो उस कमी को पूरा करने के लिये इस वक्त हर प्रकार की कोशिश की जा रही है। उसके लिये जितने डिजिल सेटस किसी कीमत पर भी मिल सके लेने की बात है और उनको लेकर बिजली पैदा करने की मन्शा है जिससे हमारे यहां इस प्रकार की कमी न रहे और जिससे कोई ट्यूबवेल या इंडस्ट्री न रुकी रहे। इस बात को मद्देनजर रखकर छोटे या बड़े सेटस को लेकर हमने मुहैया किया है और उससे कुछ प्लाण्ट को चलाया है और कुछ चलाये जा रहे हैं। उसमें खासतौर से एक तो मेरठ में एक्सटेन्शन किया गया ६०० कि० वा० का। एक अलीगढ़ में २०० कि० वा० का एक्सटेन्शन किया गया। बलरा में ४०० कि० वा० का, हापुड़ में ३०० कि० वा० का, ठकरानी में १,००० कि० वा० का, गाजियाबाद में १,६०० कि० वा० का एक्सटेन्शन इसी प्रकार के सेड्स लगाकर पूरा किया जा रहा है। शारदा देवा फीडर में जो वहां नहर है उसमें पानी की कमी है। अगर उसमें पानी बढ़ जाय तो ४,००० कि० वा० उससे बिजली बढ़ सकती है। उसके लिये एक वहां पर नदी है उसका पानी लेकर उसमें पानी डालेंगे। इस तरह से उस ४,००० कि० वा० बिजली पैदा करके इस कमी को पूरा किया जायगा।

मार्टिन कम्पनी के साथ मुकदमें चल रहे हैं। इसके लिये जो सरकार सतर्क और सचेत हो तो वह अपनी समझदारी से उस मुकदमे को चलायेगी अगर उन मुकदमे में बगैर किसी परेशानी के ही सही नतीजा मिल जाता है तो हम उसको वापस लेने के लिये तैयार हैं। अभी तक एक भी मुकदमा वापस नहीं हुआ है, लेकिन अगर जरूरत हुई तो ऐसा किया जायगा। पहले उनके पास धन की कमी थी। अब वह कमी उनकी बहुत कुछ पूरी हो रही है। मुमकिन है वह दिक्कत उनको न हो। तो इस रोशनी में सरकार को अगर वे विश्वास दिलाये कि आगे इस प्रकार से गलती नहीं होगी तो सरकार इसके ऊपर विचार करेगी कि जो मुकदमे चल रहे हैं वे मुकदमे वापस लिये जांय या नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अपने अनुदान को दोबारा रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रताप-सिंह जी अपने कटमोशन को वापस ले लेंगे नहीं तो दल इसको मन्जूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान २७ के अधीन मांग की राशि में सौ पये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है। जनता को महंगे दर पर बिजली देकर रिहन्द बांध की बिजली को बिड़ला ब्रदर्स को सस्ते दाम पर देने की घोषणा की आलोचना करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क के अन्तर्गत १,५५,३२,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५१ के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् संस्थाओं का निर्माण न करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१--विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर)--लेखा शीर्षक ८१-क के अन्तर्गत ६,०८,०१,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५४ मिनट पर शुक्रवार, १८ मार्च, १९६० के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
११ मार्च, १९६०।

पी० एस० यू० पी०---ए० पी० ३१९ एल० ए०---१९६०---८४५ १